# 69वीं वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

## अनुक्रमणिका


| | | |
|---|---|---|
| 1. | निदेशक मंडल, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी-इकाइयाँ, इकाइयाँ/विभाग/कार्यालय, पंजीकृत कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय, लेखा परीक्षक, बैंकर और कानूनी सलाहकार। | 2-3 |
| 2. | सूचना | 4 |
| 3. | अध्यक्ष का भाषण | 5-6 |
| 4. | निदेशक की रिपोर्ट | 7-22 |
| 5. | लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट | 23-61 |
| 6. | भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ और प्रबंधन का जवाब | 62-64 |
| 7. | तुलन पत्र | 65-67 |
| 8. | लाभ और हानि खाता | 68-69 |
| 9. | नकदी प्रवाह विवरण | 70-74 |
| 10. | नोट 1 से 24 | 75-98 |
| 11. | नोट 25- लेखा विधि नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियाँ जो वितीय विवरण का भाग है। | 99-116 |

## निदेशक मंडल

**श्रीमती अनीता सी मेश्राम**
अपर सचिव, उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
(08.11.2024 से प्रभावी)

**श्रीमती नीरजा आदिदम**
विशेष सचिव, उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
(20.01.2022 से 09.09.2024 तक)

**श्री नरेश आर्य**
निदेशक (एफआईसीसी), उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार
(30.04.2024 से प्रभावी)

**श्री पद्मसिंग प्रदीपसिंग पाटिल**
निदेशक, उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार
(26.09.2022 से 03.04.2024 तक)

**श्री मोहन लाल मीणा**
उपसचिव, उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, सरकारी नामित। निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
(01.11.2024 से प्रभावी)

**श्री जोहान टोपनो,**
निदेशक,
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
(20.04.2020 से 30.09.2024 तक)

**श्री एच. चिंजासन**
संयुक्त निदेशक (एफआईसीसी),
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, सरकार द्वारा नामित निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
(01.11.2024 से प्रभावी)

**श्रीमती गीता मिश्रा**
संयुक्त निदेशक (एफआईसीसी),
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
सरकारी नामित निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
(29.09.2021 से 31.08.2024 तक)

## प्रमुख कार्यकारी अधिकारी

**श्री अनिल फुलवारी**
निदेशक,
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार
(28.11.2023 से प्रभावी)

**श्री एसएस शेखावत**
विशेष कार्य अधिकारी

**श्रीमती सियोन कौंगारी**
सलाहकार

**श्रीमती मोनिका अहुजा**
कंपनी सचिव
( दिनांक 16.08.2024 से प्रभावी)

## मुख्य कार्यकारी अधिकारी-इकाइयाँ

**श्री वी.के. चौधरी**
प्रभारी, सिंदरी इकाई

**श्री शुभम**
प्रभारी, गोरखपुर इकाई

**श्रीमती एम.एन. मालेश्वरी**
प्रभारी, रामागुंडम इकाई

**श्री इरफान अहमद**
प्रभारी, तालचर इकाई

**श्री आरएल देशभ्रतार**
प्रभारी, कोरबा संभाग

## इकाइयाँ/विभाग/कार्यालय

| | | |
|---|---|---|
| सिंदरी यूनिट | - | झारखंड |
| गोरखपुर यूनिट | - | उत्तर प्रदेश |
| रामागुंडम यूनिट | - | तेलंगाना |
| तालचेर यूनिट | - | ओडिशा |
| कोरबा संभाग | - | छत्तीसगढ़ |
| केंद्रीय कार्यालय | - | नोएडा (यूपी) |

## पंजीकृत कार्यालय

7, इंस्टिट्यूशनल एरिया, स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर-III, लोधी रोड, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली-110003।

## केंद्रीय कार्यालय

पीडीआईएल भवन (5वीं मंजिल), ए-14,
सेक्टर-1, नोएडा
जिला गौतम बुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश-201301.

## लेखा परीक्षक

मेसर्स एम. वर्मा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली।

## बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
केनरा बैंक

## कानूनी सलाहकार

मेसर्स फॉक्स एंड मंडल, एडवोकेट्स, कोलकाता।

मेसर्स जी. जोशी एंड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नई दिल्ली

मेसर्स हम्मूराबी और सोलोमन, एडवोकेट्स, नई दिल्ली

# सूचना

एतद्द्वारा संक्षिप्त सूचना दी जाती है कि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 69वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 24 **दिसंबर, 2025 को शाम 04:00 बजे** सम्मेलन कक्ष, दूसरी मंज़िल, ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001 में नीचे दिए गए कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी:-

**69वीं वार्षिक आम बैठक का साधारण कार्य**

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और सी एंड एजी की रिपोर्ट को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना।

   नीचे दिए गए प्रस्ताव पर विचार करना और अगर ठीक समझा जाए, तो बदलाव के साथ या बिना बदलाव के, इसे एक साधारण प्रस्ताव के तौर पर पास करना: -

   " **यह संकल्प लिया जाता है कि** 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियों सहित, एतद्द्वारा **अनुमोदित और अपनाए जाते है**।"

2. **कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण।**

   नीचे दिए गए प्रस्ताव पर विचार करना और अगर ठीक समझा जाए, तो बदलाव के साथ या बिना बदलाव के, इसे एक आम प्रस्ताव के तौर पर पास करना: -

   " **यह संकल्प लिया जाता कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ धारा 139(5) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण, जिसका निर्णय बोर्ड द्वारा किया जाएगा, एतद्द्वारा **अनुमोदित किया जाता है** ।"

**निदेशक मंडल के आदेश द्वारा**
**फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए**

**हस्ताक्षर/-**
**(नरेश आर्य)**
**निदेशक ( वित्त)**
**डीआईएन नंबर:-10627329**

**दिनांक: 24.12.2025**
**स्थान: नोएडा**

**टिप्पणी :** बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार शेयरधारक को अपने स्थान पर प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार है। प्रतिनिधि का कंपनी का शेयरधारक/सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

सेवा में,

एफसीआईएल के सभी शेयरधारक
एफसीआईएल के सभी बोर्ड सदस्य

**प्रति कॉपी:**

1. मेसर्स एम वर्मा एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट।
2. चेयरमैन, ऑडिट कमिटी।

# एफसीआईएल की 69वीं वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष का भाषण

**प्रिय शेयरधारकों, देवियों और सज्जनों,**

निदेशक मंडल की ओर से, मैं आज आयोजित हो रही आपकी कंपनी की वित्तीय **वर्ष 2024-25 की 69वीं वार्षिक** आम बैठक में सभी शेयरधारकों का स्वागत करती हूँ।

प्रारंभ में, यह सूचित किया जाता है कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वार्षिक खाते, साथ ही वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर सी एंड एजी की टिप्पणियाँ पहले ही वितरित की जा चुकी हैं। आपकी अनुमति से, मैं इन्हें पढ़ा हुआ मानती हूँ।

**वित्तीय प्रदर्शन:**

यह सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आपकी कंपनी को 35.18 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ, जिसका कारण आरएफसीएल द्वारा वर्ष 2018-19 और 2022-23 में जारी किए गए शेयरों पर आयकर मांग के लिए 81.45 करोड़ रुपये का प्रावधान था। यद्यपि यह मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है, फिर भी एहतियाती उपाय के रूप में यह राशि खातों में दर्ज कर ली गई है। यदि इस प्रावधान को ध्यान में न रखा जाए, तो वर्ष के अंत में शुद्ध लाभ 46.27 करोड़ रुपये होगा, जबकि पिछले वर्ष यह 37.85 करोड़ रुपये था। इस प्रकार, वर्ष के दौरान कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। **31.03.2025 को कंपनी की शुद्ध संपत्ति 705.51 करोड़ रुपये** है।

**लाभांश:**

वर्ष 2024-25 के दौरान, एफसीआईएल को 35.18 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी कंपनी लाभांश तब तक घोषित नहीं करती जब तक कि पिछले वर्षों के घाटे और पिछले वर्षों में प्रावधान न किए गए मूल्यह्रास को चालू वर्ष के लाभ में समायोजित न कर लिया जाए। इसलिए, कंपनी के बोर्ड ने वर्ष 2024-25 के दौरान लाभांश घोषित न करने का निर्णय लिया है।

**भविष्य का दृष्टिकोण:**

- आरएफसीएल द्वारा रामागुंडम यूनिट को पुनर्जीवित कर दिया गया है और 22.03.2021 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान, आरएफसीएल ने 11.95 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 6.83 लाख मीट्रिक टन अमोनिया का उत्पादन किया, जबकि पिछले वर्ष यह क्रमशः 11.16 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 6.38 लाख मीट्रिक टन अमोनिया था। इस वर्ष के दौरान, कंपनी ने 55,258.52 लाख रुपये का कर-पूर्व लाभ अर्जित किया, जबकि पिछले वर्ष यह 44,096.10 लाख रुपये था, और 41,430.79 लाख रुपये का कर-पश्चात् लाभ अर्जित किया। जबकि पिछले वर्ष यह 32,813.39 लाख रुपये था।
- गोरखपुर परियोजना चालू हो गई है और 03.05.2022 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान, गोरखपुर ने 12,01,007 मीट्रिक टन यूरिया और 6,83,731 मीट्रिक टन अमोनिया का उत्पादन किया, जबकि पिछले वर्ष यह क्रमशः 13,50,128 मीट्रिक टन और 7,67,590 मीट्रिक टन था। इस वर्ष के दौरान, HURL ने 1,837.36 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ और 1,382.07 करोड़ रुपये का कर-पश्चात् लाभ अर्जित किया, जबकि पिछले वर्ष यह क्रमशः 1797.56 करोड़ रुपये और 1324.48 करोड़ रुपये था।
- सिंदरी परियोजना चालू हो चुकी है और सिंदरी में वाणिज्यिक उत्पादन 15.4.2023 से शुरू हो गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान, HURL ने 12,47,035 मीट्रिक टन यूरिया और 7,15,658 मीट्रिक टन अमोनिया का उत्पादन किया है, जबकि पिछले वर्ष यह क्रमशः 11,43,767 मीट्रिक टन और 6,59,610 मीट्रिक टन था।
- तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की परियोजना का कार्य प्रगति पर है। परियोजना के पूरा होने (मेसर्स टीएफएल) की तिथि दिसंबर2027 निर्धारित की गई है। परियोजना से पहले की गतिविधियाँ पूर्ण हो चुकी हैं। विभिन्न एलएसटीके और गैरहै। एलएसटीके अनुबंधित फर्मों द्वारा परियोजना कार्य प्रगति पर-

एफसीआईएल इन संयुक्त उद्यमों में भागीदार है, जिसकी एचयूआरएल और आरएफसीएल में 11% और टीएफएल में 4.45% हिस्सेदारी है। प्रत्येक संयंत्र प्रति वर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करेगा। एचयूआरएल और आरएफसीएल परियोजनाएं गैस आधारित हैं, जबकि टीएफएल परियोजना कोयला आधारित है। आरएफसीएल ने अपनी कुल इक्विटी के 11% के बराबर इक्विटी शेयर जारी किए हैं। एचयूआरएल ने अपनी कुल इक्विटी के 9.69% के बराबर इक्विटी शेयर एफसीआईएल और एचएफएल को जारी किए हैं (संयुक्त रुप से)।

**कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)**

समाज के प्रति अपने दायित्व को ध्यान में रखते हुए, एफसीआईएल ने वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में सीएसआर फंड के तहत 74.89 लाख रुपये और वर्ष 2023-24 में 48.09 लाख रुपये का योगदान दिया था।

**आभार:**

अंत में, मैं एफसीआईएल में निरंतर सहयोग और विश्वास बनाए रखने के लिए सभी बोर्ड सदस्यों और हमारे हितधारकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूं। मैं इस अवसर पर उर्वरक विभाग को भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने निरंतर और संपूर्ण सहयोग प्रदान किया है।

मैं भारत सरकार, अन्य मंत्रालयों और विभागों, बैंकों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) और सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त पूरे दिल से समर्थन के लिए भी आभारी हूं। इसके अलावा ईमानदारी से कंपनी के सभी स्तरों पर कार्यरत सभी कर्मचारियों द्वारा कंपनी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत के लिए हार्दिक सराहना व्यक्त करती हूं।

**हस्ताक्षर**
**(अनीता सी मेश्राम)**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
**डिन - 09781436**

**स्थानः नई दिल्ली**
**दिनांक: 24.12.2025**

# शेयरधारकों के लिए निदेशकों की रिपोर्ट

**वित्तीय वर्ष 2024-25**

**प्रिय सदस्यों,**

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित खातों और सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, प्रबंधन के उत्तर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ कंपनी की 69वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में खुशी हो रही है।

## 2.0 वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के मुख्य बिंदु और पिछले वर्ष के प्रदर्शन की तुलनात्मक स्थिति निम्नलिखित हैं:

**(रुपये लाख में)**

| **क्रमांक** | **विवरण** | **2024-25** | **2023-24** |
|---|---|---|---|
| **1.** | **परिचालन से राजस्व** | 0 | 0 |
| **2.** | **अन्य कमाई** | 7,304.03 | 6,446.74 |
| **3.** | **कुल आय** | **7,304.03** | **6,446.74** |
| **4.** | कुल व्यय | 9,212.35 | 1,356.83 |
| **5.** | **कर से पहले लाभ/हानि** | **-1,908.32** | **5,089.91** |
| **6.** | **कर व्यय** | 1,610 | 1,210.00 |
| **7.** | **कर के बाद लाभ/हानि** | -3,518.32 | **3,784.86** |
| **8.** | **प्रति इक्विटी शेयर आय** | **-46.85** | **50.40** |
| **9.** | **निवल मूल्य** | **70,551.59** | **75,002.90** |

वर्ष **2024-25** के दौरान, एफसीआईएल को **35.18** करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ, जबकि वर्ष **2023-24** के दौरान **37.85** करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। इस घाटे का मुख्य कारण **8,145.12** लाख रुपये का प्रावधान है, जो आरएफसीएल द्वारा एफसीआईएल को जारी किए गए शेयरों के लिए निर्धारण वर्ष **2018-19** और **2022-23** से संबंधित आयकर विभाग की लंबित मांग के लिए लेखा पुस्तकों में प्रावधान किया गया है। हालाँकि, यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में लंबित है, फिर भी एहतियात के तौर पर इस राशि को लेखा पुस्तकों में प्रावधान कर दिया गया है।

## 3.0 वित्तीय संसाधन

### 3.1 शेयर पूंजी

कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अभिदत्त पूंजी और चुकता पूंजी 750.92 करोड़ रुपये है, जो पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के बराबर है। 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु कम्पनी ने विशेष रिजर्व हेतु कोई राशि हस्तांतरण नही की है।

### 3.2 भारत सरकार के ऋण और भारत सरकार के ऋण पर ब्याज

भारत सरकार का कोई ऋण एवं उस पर कोई ब्याज देय नहीं है।

## 4.0 लाभांश

कंपनी (लाभांश की घोषणा एवं भुगतान) नियम 2014 3(5) के अनुसार, कोई भी कंपनी तब तक लाभांश घोषित नहीं करेगी जब तक कि पिछले वर्ष या वर्षों में प्रदान नहीं किए गए पिछले घाटे और मूल्यह्रास को कंपनी के चालू वर्ष के लाभ में समायोजित न कर दिया जाए। अतः, निदेशक मंडल ने वर्ष 2024-25 के दौरान ₹35.18 करोड़ के घाटे को देखते हुए किसी भी लाभांश की अनुशंसा नहीं की है।

**5.0 राष्ट्रीय राजकोष में योगदान**

कंपनी ने वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र और राज्य के खजाने में जीएसटी, आयकर, बिजली शुल्क के माध्यम से 23.47 करोड़ रुपये का योगदान दिया।

**6.0 उत्पादन परिणाम**

वर्ष 2002 में भारत सरकार द्वारा कंपनी को बंद करने के निर्णय के कारण, वर्ष के दौरान किसी भी संयंत्र में यूरिया का उत्पादन नहीं हुआ। हालाँकि, संयुक्त उद्यम कंपनियाँ, जिनमें FCIL 11% हिस्सेदारी के लिए एक इक्विटी भागीदार है, सिंदरी, गोरखपुर और रामागुंडम में वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नानुसार अमोनिया और यूरिया का उत्पादन हुआः

**(लाख मीट्रिक टन में)**

| विवरण | सिंदरी | गोरखपुर | रामगुंडम |
|---|---|---|---|
| यूरिया का उत्पादन | 12.47 | 12.01 | 11.95 |
| अमोनिया का उत्पादन | 7.16 | 6.84 | 6.83 |

**7.0 संयंत्र की स्थिति**

वर्ष 2002-03 (वित्त वर्ष) में सभी इकाइयों को बंद करने के सरकार के आदेशों के अनुसरण में, किसी भी इकाई में उत्पादन नहीं हुआ है और कार्यकलाप, सुरक्षा व्यवस्था तथा कर्मचारियों की देनदारी के निपटान तक सीमित हैं।

हालांकि, एफसीआईएल की बंद इकाइयों के पुनरुद्धार के संबंध में सीसीईए/मंत्रिमंडल के निर्णय के परिणामस्वरूप, रामागुंडम इकाई का पुनरुद्धार मैसर्स रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आर.एफ.सी.एल), ई.आई.एल, एन.एफ.एल और एफ.सी.आई.एल के संयुक्त उद्यम द्वारा किया गया है। गोरखपुर और सिंदरी को मैसर्स हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल), एनटीपीसी, सीआईएल, आईओसीएल, एफसीआईएल और एचएफसीएल के संयुक्त उद्यम द्वारा पुनर्जीवित किया गया है। तलचर इकाई का पुनरुद्धार सीआईएल, आरसीएफ, गेल और एफसीआईएल के संयुक्त उद्यम मैसर्स तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) द्वारा किया जा रहा है, जो निर्माण चरण में है।

**8.0 विपणन संचालन**

कंपनी की सभी उर्वरक इकाइयों को बंद करने और उत्पादन न होने के कारण हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, रांची स्थित विपणन कार्यालय बंद कर दिए गए थे और इन कार्यालयों की परिसंपत्तियों का निपटान कर दिया गया था/अन्य कार्यालयों/इकाइयों को भेज दिया गया था। इसलिए, कंपनी में कोई विपणन गतिविधि नहीं है।

**9.0 कंपनी का पुनरुद्धार**

1. बाद में, देश में यूरिया की मांग-आपूर्ति के अंतर को ध्यान में रखते हुए और एफसीआईएल की बंद उर्वरक इकाइयों में उपलब्ध परिसंपत्तियों और बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए, अप्रैल 2007 में भारत सरकार ने इन इकाइयों के पुनरुद्धार पर विचार करने का निर्णय लिया।

2. अक्तूबर, 2008 में, सीसीईए ने सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीओएस) का गठन किया जो इन इकाइयों के पुनरुद्धार की व्यवहार्यता की जांच करेगी और सरकारी वित्तपोषण का सहारा लिए बिना तथा गैस की उपलब्धता के अध्यधीन पुनरुद्धार के लिए एक योजना की सिफारिश करेगी।

3. सीसीईए ने ईसीओएस की सिफारिशों पर 4.8.2011 को एक मसौदा पुनर्वास योजना अनुमोदित की थी ताकि अलग-अलग इकाइयों का या तो भारत सरकार द्वारा नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अथवा बोली प्रक्रिया के माध्यम से पुनरुद्धार किया जा सके। सीसीईए ने यह भी अनुमोदन किया कि सरकार द्वारा नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार करने वाले संयुक्त उद्यम परियोजना में न्यूनतम 11% इक्विटी और एक बोर्ड सीट एफसीआईएल को प्रदान करेंगे।

4. इसके अलावा, सीसीईए ने दिनांक 09.5.2013 को एफसीआईएल के निवल मूल्य को सकारात्मक बनाने के लिए भारत सरकार के ऋण (2739.27 करोड़ रुपए) और ब्याज (7904.47 करोड़ रुपए) को माफ करने का अनुमोदन किया है ताकि एफसीआईएल पुनरुद्धार प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बीआईएफआर से पंजीकरण रद्द करा सके। कंपनी को दिनांक 27.06.2013 को बीआईएफआर से अपंजीकृत कर दिया गया था।

5. वर्तमान में, भारत सरकार के अनुमोदन से, एफसीआईएल की इकाइयों का पुनरुद्धार निम्नानुसार किया जा रहा हैं।

## 10.0 पुनरुद्धार की वर्तमान स्थिति

### रामागुंडम यूनिट:

- एनएफएल, ईआईएल और एफसीआईएल की भागीदारी के साथ 17.2.2015 को 'रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड' (आरएफसीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई गई है। एफसीआईएल को यूनिट की अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए 11% इक्विटी प्राप्त हुई।
- निदेशक (वित्त), एफसीआईएल, आरएफसीएल के बोर्ड में एफसीआईएल नामित निदेशक हैं।
- एफसीआईएल और आरएफसीएल के बीच रियायत समझौते और पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आरएफसीएल, आरएफसीएल के ऋणदाताओं के प्रतिनिधियों और एफसीआईएल के बीच प्रतिस्थापन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- आरएफसीएल ने 22.3.2021 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।
- वर्ष 2024-25 के दौरान, आरएफसीएल ने 11.95 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 6.83 लाख मीट्रिक टन अमोनिया का उत्पादन किया है, जबकि पिछले वर्ष क्रमशः 11.16 लाख मीट्रिक टन और 6.38 लाख मीट्रिक टन यूरिया और अमोनिया का उत्पादन हुआ था। वर्ष के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष के 44,096.10 लाख रुपये के मुकाबले 55,258.52 लाख रुपये का कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) अर्जित किया और पिछले वर्ष के 32,813.39 लाख रुपये के मुकाबले 41,430.79 लाख रुपये का कर-पश्चात् लाभ (पीएटी) अर्जित किया।

### तालचेर यूनिट:

- आर.सी.एफ, सी.आई.एल, गेल और एफ.सी.आई.एल की भागीदारी से 'तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड' (टी.एफ.एल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी को शामिल किया गया है।
- एफ.सी.आई.एल को यूनिट की अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए 4.45% इक्विटी प्राप्त होगी।
- निदेशक (वित्त), एफसीआईएल टीएफएल के बोर्ड में नामित निदेशक हैं।
- एफसीआईएल और टीएफएल के बीच रियायत समझौते और पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एफसीआईएल, टीएफएल और टीएफएल के ऋणदाता प्रतिनिधि के बीच प्रतिस्थापन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- टीएफएल वर्तमान में निर्माण और स्थापना चरण में है और संभवतः दिसंबर 2027 तक संयंत्र चालू हो जाएगा।
- वर्ष के दौरान, टीएफएल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीबीटी 273.27 लाख रुपये और पीएटी 246.94 लाख रुपये अर्जित किया है, जबकि पिछले वर्ष यह क्रमशः (-) 734.00 लाख रुपये और (-) 252.52 लाख रुपये था।

**सिंदरी और गोरखपुर यूनिट्स** :

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13.7.2016 को एफसीआईएल की सिंदरी और गोरखपुर इकाइयों के साथ-साथ एचएफसीएल की बरौनी इकाई को एनटीपीसी, सीआईएल और आईओसीएल नामक नामित सार्वजनिक उपक्रमों की एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। एफसीआईएल और एचएफसीएल भी संयुक्त उद्यम भागीदार होंगे, जिन्हें भूमि उपयोग, उपयोग योग्य परिसंपत्तियों और अवसर लागत के बदले प्रत्येक परियोजना में 10.99% इक्विटी प्राप्त होगी।
- इकाइयों के पुनरुद्धार के उद्देश्य से 'हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल)' के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया है।
- सिंदरी और गोरखपुर परियोजनाओं के लिए एफसीआईएल और एचयूआरएल के बीच रियायत समझौतों के साथ-साथ पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गोरखपुर और सिंदरी इकाइयों के लिए एफसीआईएल, एचयूआरएल और ऋणदाताओं के प्रतिनिधियों के बीच प्रतिस्थापन समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।
- गोरखपुर और सिंदरी संयंत्रों ने क्रमशः 03.05.2022 और 15.04.2023 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।
- गोरखपुर और सिंदरी के लिए एचयूआरएल का उत्पादन निम्नानुसार है:- **(मीट्रिक टन)**

| | गोरखपुर | | सिंदरी | |
|---|---|---|---|---|
| **उत्पादन** | **2024-25** | **2023-24** | **2024-25** | **2023-24** |
| अमोनिया | 6,83,731 | 7,67,590 | 7,15,658 | 6,59,610 |
| यूरिया | 12,01,007 | 13,50,128 | 12,47,035 | 11,43,767 |

- वर्ष के दौरान, एचयूआरएल ने 1,837.36 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ और 1,382.07 करोड़ रुपये का कर-पश्चात् लाभ अर्जित किया, जबकि पिछले वर्ष यह क्रमशः 1,797.56 करोड़ रुपये और 1,324.48 करोड़ रुपये था।

**11.0 भविष्य का दृष्टिकोण:**

कंपनी की कुल संपत्ति सकारात्मक हो गई है। एफसीआईएल की वे इकाइयां पुनर्जीवित हो गई हैं जिनमें एफसीआईएल 11% हिस्सेदारी के साथ संयुक्त उद्यम भागीदार है। ये इकाइयां सिंदरी, गोरखपुर और रामागुंडम में स्थित हैं। रामागुंडम, गोरखपुर और सिंदरी में वाणिज्यिक उत्पादन क्रमशः 22.03.2021, 03.05.2022 और 15.04.2023 से शुरू हो चुका है। तालचेर में निर्माण कार्य पूरी गति से चल रहा है।

एफसीआईएल की विभिन्न इकाइयों में संयुक्त उद्यम कंपनियों (जिनमें एफसीआईएल एक इक्विटी भागीदार है) द्वारा किया गया उत्पादन निम्न प्रकार है:

**(मीट्रिक टन)**

| **उत्पाद** | **इकाई** | **संस्थापित क्षमता** | **2023-24** | | **2024-25** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **उत्पादन** | **क्षमता उपयोग %** | **उत्पादन** | **क्षमता उपयोग* (%)** |
| **यूरिया** | **रामगुंडम** | 12.70 | 11.16 | 88% | 11.95 | 94% |
| **यूरिया** | **गोरखपुर** | 12.70 | 13.50 | 106% | 12.01 | 95% |
| **यूरिया** | **सिंदरी** | 12.70 | 11.44 | 86% | 12.47 | 98% |

***साल की औसत प्रस्थापित क्षमता के आधार पर।**

**12.0 सतर्कता विभाग - वर्ष 2024-25 के लिए इसकी गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ।**

सतर्कता विभाग को प्रबंधन कार्य का एक अभिन्न अंग माना जाता है। श्री अनिल फुलवारी, निदेशक, उर्वरक विभाग, एफसीआईएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी, कंपनी के अल्प कर्मचारियों के साथ, कंपनी के सतर्कता प्रयासों पर दिशा-निर्देश, मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण प्रदान करते हैं। यह विभाग विभिन्न निवारक उपायों और सतर्कता जागरूकता सप्ताह के माध्यम से सामान्य प्रशासन में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा बनाए रखने और एफसीआईएल की कार्यकुशलता बढ़ाने में सहायता करता है।

**13.0 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, सार्वजनिक प्राधिकरणों से संबंधित सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोध का समय पर जवाब देने का आदेश देता है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत, कंपनी इस अधिनियम के निर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। कंपनी ने अधिनियम के तहत आवश्यक तंत्र विकसित किया है। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ)/अपीलीय प्राधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारियों (एपीआईओ) का नाम कंपनी की वेबसाइट (www.fertcorp.in) पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों और अपीलों का तत्परता से समाधान कर रहे हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, 65 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए और उनका उत्तर दिया गया/स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार, आरटीआई अधिनियम, 2005 का समय पर अनुपालन हो रहा है।

**14.0 राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग**

कंपनी सालाना प्रोग्राम और निर्देशों और हिंदी के बढ़ते इस्तेमाल के बारे में सरकार द्वारा जारी सभी दूसरे निर्देशों का पालन करती है। साथ ही, रोज़ाना के सरकारी काम में हिंदी का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है।

**15.0 कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन को दर्शाने वाला विवरण, जिसमें बोर्ड की राय में कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डालने वाले किसी भी जोखिम तत्व की पहचान शामिल है।**

भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, कंपनी के पुनरुद्धार की गतिविधियाँ जारी हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, कंपनी के अस्तित्व को खतरा पहुँचाने वाले जोखिम तत्वों की पहचान सहित जोखिम प्रबंधन नीति अभी तक तैयार नहीं की गई है।

**16.0 औद्योगिक संबंध, मानव संसाधन, कल्याण, सुरक्षा, सहभागी प्रबंधन आदि।**

31.03.2025 तक कर्मचारियों की संख्या केवल 01 (एक) नियमित कर्मचारी है।
कुछ पूर्व कर्मचारियों को कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और पुनरुद्धार गतिविधियों के अलावा, वैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु अनुचर के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में, कंपनी में 1987 के वेतनमान लागू हैं और 2017 के वेतनमान का प्रस्ताव उर्वरक विभाग के विचाराधीन है। सभी इकाइयों के बंद होने के कारण, खतरनाक और ज्वलनशील पदार्थों के साथ काम करते समय सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं का सीमित सीमा तक ही पालन किया गया।

**17.0 कर्मचारियों का विवरण**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अनुसार, किसी भी कर्मचारी को पूरे वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग में

₹8,50,000/- प्रति माह (₹1,02,00,000/- प्रति वर्ष) या उससे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए, यह कंपनी पर लागू नहीं होता।

**18.0 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का रोजगार**

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पूर्व सैनिकों (शारीरिक रूप से विकलांगों सहित) के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखा गया। हालाँकि, वर्ष के दौरान कोई भर्ती नहीं की गई।।

**19.0 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और बाहर जाना।**

कंपनी की उत्पादन गतिविधियों को बंद करने के सरकार के निर्णय के मद्देनजर, वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण के लिए कोई उपाय करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन 'शून्य' रहा।

**20.0 आईटी उपयोग**

कार्यालयीन कार्यों सहित सभी गतिविधियों के लिए कंप्यूटर का उपयोग और इंटरनेट/ईमेल का उपयोग जारी रखा जा रहा है।

**21.0 सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण**

31 मार्च, 2025 तक कंपनी की कोई सहायक और सहयोगी कंपनी नहीं है। इसके अलावा, संयुक्त उद्यम कंपनी मेसर्स रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल), संयुक्त भागीदारों (ईआईएल, एनएफएल और एफसीआईएल) के साथ, मेसर्स हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल), संयुक्त भागीदारों (एनटीपीसी, सीआईएल, आईओसीएल, एफसीआईएल और एचएफसीएल) के साथ और मेसर्स तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल), संयुक्त भागीदारों (सीआईएल, आरसीएफ, गेल और एफसीआईएल) के साथ विद्यमान हैं।
इन संयुक्त उद्यमों और बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराने के बदले, एफसीआईएल को मेसर्स आरएफसीएल में 11% इक्विटी शेयर, मेसर्स एचयूआरएल में 10.99% इक्विटी शेयर और मेसर्स टीएफएल में 4.45% इक्विटी शेयर आवंटित किए जाएँगे।

**22.0 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में उल्लेखित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं का विवरण वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण में उचित रूप से प्रकट किया गया है।

**23.0 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी सीएसआर नियम, 2014 के प्रावधानों के साथ-साथ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा जारी विभिन्न स्पष्टीकरणों/संशोधनों के अनुसरण में, एक सीएसआर समिति का गठन किया गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की

अनुसूची VII में निर्दिष्ट कंपनी द्वारा किए जाने वाले सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों की बोर्ड को सिफारिश करती है।

समिति द्वारा समय-समय पर सीएसआर गतिविधियों की निगरानी की जाती है और वर्ष 2024-25 के दौरान की गई सीएसआर गतिविधियों पर एक वार्षिक रिपोर्ट अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने सीएसआर बजट के रूप में 74.89 लाख रुपये आवंटित किए। एफसीआईएल ने सीएसआर दायित्वों के तहत 05.03.2025 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 74.89 लाख रुपये का योगदान दिया।

**24.0 वैधानिक लेखा परीक्षक.**

कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। मेसर्स एम. वर्मा एंड एसोसिएट्स को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

**25.0 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण।**

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

**26.0 लागत अभिलेखों का रखरखाव**

चूँकि सभी इकाइयों में उत्पादन गतिविधियाँ बंद हैं, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) और कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखापरीक्षा) नियम-2014 के नियम-3 के लागत अभिलेखों के रखरखाव संबंधी प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

**27.0 सचिवीय लेखापरीक्षा**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अंतर्गत कार्यरत कंपनी सचिव से सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है। हालाँकि, कंपनी ने कंपनी पर लागू सभी कानूनों का कड़ाई से पालन किया है।

**28.0 निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (केएमपी) का विवरण:**

**28.1 निदेशक मंडल**

**क) निदेशक मंडल की संरचना**

फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सरकारी कंपनी है। कंपनी के बोर्ड की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते और कंपनी के एओए के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है।

31 मार्च, 2025 तक कंपनी के निदेशक मंडल में दो (2) कार्यात्मक निदेशक शामिल हैं, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और निदेशक (वित्त) शामिल हैं, साथ ही दो (2) सरकारी मनोनीत निदेशक भी हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:

| क्रमांक | नाम और डीन | पद का नाम |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमती नीरजा आदिदम | **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक** |

| | | |
|---|---|---|
| | (डीआईएन: 09351163) | 09.09.2024 **तक** |
| **2** | **श्रीमती अनीता सी. मेश्राम**<br>**(डीआईएन:** 09781436 **)** | **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**<br>**(** 08.11.2024 से प्रभावी) |
| **3** | **श्री पद्मसिंग प्रदीपसिंग पाटिल**<br>**(डीआईएन:** 09747446) | **निदेशक (वित्त)**<br>**03.04.2024 तक** |
| **4** | **श्री नरेश आर्य**<br>**(डीआईएन-10627329)** | **निदेशक (वित्त)**<br>**(30.04.2024 से प्रभावी)** |
| **5** | श्रीमती गीता मिश्रा<br>(डीआईएन: 09354822) | **सरकारी नामित निदेशक**<br>(31.08.2024 तक) |
| **6** | **श्री एच. चिंजासन**<br>**(डीआईएन:** 10837006 **)** | **सरकारी नामित निदेशक**<br>**(** 01.11.2024 से प्रभावी) |
| **7** | श्री जोहान टोपनो<br>(डीआईएन: 08758583) | **सरकारी नामित निदेशक**<br>**(** 30.09.2024 तक) |
| **8** | श्री मोहन लाल मीणा<br>डीआईएन (10838870) | **सरकारी नामित निदेशक**<br>(01.11.2024 से प्रभावी) |

**28.2 वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (केएमपी) की संरचना में परिवर्तन।**

इस साल आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में ये बदलाव हुए हैं:

1. श्री नरेश आर्य (डीआईएन: 10627329), निदेशक (सीई), को उर्वरक विभाग के आदेश संख्या 76/01/2006-एचआर-I (ई.4224) दिनांक 30 अप्रैल, 2024 के अनुसार 30.04.2024 से एफ. सी. आई. एल. के निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जो श्री पदमसिंह पी. पाटिल (डीआईएन: 09747446), निदेशक (एफएस), उर्वरक विभाग के स्थान पर 03.04.2024 से नियुक्त किए गए हैं।

2. उर्वरक विभाग की अतिरिक्त सचिव, श्रीमती अनीता सी मेश्राम (डीआईएन: 09781436) को उर्वरक विभाग आदेश संख्या 76/01/2005-एचआर-पीएसयू (ई. 27316) दिनांक 08.11.2024 के अनुसार 08.11.2024 से एफसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वह श्रीमती नीरजा आदिदम (डीआईएन: 09351163), पूर्व विशेष सचिव, उर्वरक विभाग के स्थान पर कार्यभार संभालेंगी।

3. श्री एच. चिंजासन (डीआईएन:10837006), संयुक्त निदेशक (एफआईसीसी), डीओएफ को डीओएफ आदेश संख्या 95/01/2019-एचआर-पीएसयू (भाग-2) (ई.-31042) दिनांक 01.11.2024 के अनुसार 01.11.2024 से सरकार द्वारा नामित निदेशक, एफसीआईएल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह कार्यभार श्रीमती गीता मिश्रा, संयुक्त निदेशक (एफआईसीसी), उर्वरक विभाग के स्थान पर लिया गया है, जो 31.08.2024 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

4. श्री मोहन लाल मीणा (डीआईएन:10838870), उप सचिव, उर्वरक विभाग को उर्वरक विभाग के आदेश संख्या 95/01/2019-एचआर-पीएसयू (भाग-2) (ई. 31042) दिनांक 01.11.2024 के अनुसार 01.11.2024 से सरकार द्वारा नामित निदेशक, एफसीआईएल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह कार्यभार श्री जोहान टोपनो, निदेशक, उर्वरक विभाग के 30.09.2024 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के स्थान पर संभाला गया है।

5. सुश्री मोनिका आहूजा (एम. नं.-ए56411) को 16.08.2024 से कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 15.01.2024 तक श्रीमती रितु भाटिया (एम. नं.-ए18344) कंपनी सचिव पद पर कार्यरत थी।

**28.3 वर्ष की समाप्ति के बाद निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव।**

वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2025 के खत्म होने के बाद कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

**28.4 निदेशक मंडल की बैठकें, वार्षिक आम बैठक (एजीएम), तथा निदेशकों की उपस्थिति।**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, निदेशक मंडल की चार (4) बैठकें हुईं। बोर्ड की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं, जिनमें दो लगातार बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। बोर्ड की बैठकों और निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

| बोर्ड मीटिंग की तारीख | बोर्ड की ताकत | बैठक का स्थान | उपस्थित निदेशकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | 4 | दिल्ली | 4 |
| 30.07.2024 | 4 | दिल्ली | 4 |
| 25.11.2024 | 4 | दिल्ली | 4 |
| 11.03.2025 | 4 | दिल्ली | 3 |

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

| क्रम संख्या | निदेशक का नाम | वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान भाग लेने के लिए पात्र कुल बोर्ड बैठकें | बोर्ड बैठक में भाग लेने वालों की संख्या | क्या 25.11.2024 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में भाग लिया था |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **श्रीमती नीरजा आदिदम** | 2 | 2 | **नही** |
| 2. | **श्रीमती अनीता सी. मेश्राम** | 2 | 2 | **हाँ** |
| 3. | **श्री पद्मसिंह पी. पाटिल** | 1 | 0 | **नही** |
| 4. | **श्री नरेश आर्य** | 4 | 4 | **हाँ** |
| 5. | श्रीमती गीता मिश्रा | 2 | 2 | **नही** |
| 6. | **श्री एच. चिंजासन** | 2 | 2 | **हाँ** |
| 7. | श्री जोहान टोपनो | 2 | 2 | **नही** |
| 8. | श्री मोहन लाल मीणा | 2 | 1 | **हाँ** |

## 29.0 वार्षिक आम बैठक

वर्ष 2024 के लिए कंपनी की 68वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 25 नवंबर, 2024 को दोपहर 12:30 बजे नई दिल्ली में आयोजित की गई।

## 30.0 बोर्ड समिति

निदेशक मंडल ने कंपनी के दैनिक कार्यों के प्रबंधन में सहायता करने और निर्णय लेने प्रक्रिया को सुचारू एवं कुशल बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया है। 31 मार्च, 2025 तक बोर्ड द्वारा गठित ऐसी समितियों का विवरण इस प्रकार है:

### 30.1 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन मूल रूप से निदेशक मंडल द्वारा 30 दिसंबर, 2020 को किया गया था। यह समिति कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट कंपनी द्वारा की जाने वाली परियोजनाओं/गतिविधियों को इंगित करते हुए बोर्ड को सीएसआर नीति तैयार करने और उसकी सिफारिश करने के लिए गठित की गई थी। निदेशकों में परिवर्तन होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, सीएसआर समिति का पुनर्गठन बोर्ड द्वारा 18.11.2024 को सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें श्री मोहन लाल मीणा अध्यक्ष, श्री नरेश आर्य और श्री एच. चिंजासन सदस्य होंगे। सीएसआर समिति की एक (1) बैठक 25.11.2024 को हुई। 31 मार्च, 2025 तक सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

| क्रम संख्या | सदस्य का नाम | पदनाम | उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री मोहन लाल मीणा | **अध्यक्ष** | **उपस्थित** |
| 2. | **श्री** नरेश आर्य | **सदस्य** | **उपस्थित** |
| 3. | **श्री** एच. चिनज़ासन | **सदस्य** | **उपस्थित** |

### 30.2 लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और समय-समय पर संशोधित डीपीई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार, बोर्ड द्वारा 18.11.2024 को लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें श्री मोहन लाल मीणा अध्यक्ष, श्री नरेश आर्य और श्री एच. चिंजासन सदस्य हैं।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकें तीन (3 ) बार हुई अर्थात् क्रमशः और 25.11.2024 ,30.07.2024 11.03.2025 को।

**31 मार्च, 2025 तक सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:**

| क्रमांक | निदेशक का नाम | स्थिति | FY 24-25 के दौरान कुल कितनी मीटिंग में शामिल होने के हकदार हैं | बैठकों में उपस्थिती |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री जोहान टोपनो (30.09.2024 तक) | **अध्यक्ष** | 1 | 1 |
| 2. | श्री मोहन लाल मीणा (01.11.2024 से प्रभावी) | **अध्यक्ष** | 2 | 1 |
| 3. | **श्री नरेश आर्य (30.04.2024 से प्रभावी)** | **सदस्य** | 3 | 3 |
| 4. | श्रीमती गीता मिश्रा (31.08.2024 तक) | **सदस्य** | 1 | 1 |
| 5. | **श्री एच. चिंजासन** (01.11.2024 से प्रभावी) | **सदस्य** | 2 | 2 |

**31.0 वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियाँ।**

कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के खातों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो प्रबंधन के उत्तरों के साथ संलग्न है।

**32.0 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत वर्ष 2024-25 के लिए सी एंड एजी की टिप्पणियां प्राप्त हो चुकी हैं और प्रबंधन के उत्तरों के साथ संलग्न हैं।

**33.0 निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण**

निदेशकों के उत्तरदायित्व कथन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) के तहत आवश्यकता के अनुसार, इसकी पुष्टि की जाती है:

**क)** 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार करते समय, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है तथा भौतिक विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है।

**ख)** निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।

**ग)** निदेशकों ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

**घ)** वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए खाते "गोइंग कंसर्न" आधार पर तैयार किए गए हैं।

**ङ)** निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

**च)** निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

## 34.0 वार्षिक रिटर्न

आवश्यकतानुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुसार, एमजीटी-7 में वार्षिक रिटर्न एफसीआईएल की ***वेबसाइट fertcorp.in*** पर उपलब्ध है।

## 35.0 अन्य खुलासे

1. कंपनी ने आम तौर पर वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 'निदेशक मंडल की बैठकों' और 'वार्षिक आम बैठकों' से संबंधित भारतीय कंपनी सचिव (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।
2. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।
3. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
4. विनियामकों/न्यायालयों द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया, जिससे कंपनी की चालू स्थिति और उसके भविष्य के परिचालन पर प्रभाव पड़ता।
5. लेखा परीक्षकों द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी रिपोर्ट में धोखाधड़ी का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।
6. दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारंभ/लंबित नहीं है।
7. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई ऋण या गारंटी नहीं दी है या कोई निवेश नहीं किया है।
8. सभी निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत समय-समय पर अपेक्षित कंपनीया कंपनियों या निगमित निकायों, फर्मों या व्यक्तियों के अन्य संघ में अपने हित/चिंता की प्रकृति का खुलासा किया था।

## 36.0 आभार

निदेशकगण वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। निदेशकगण भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों, विशेष रूप से उर्वरक विभाग के सचिव, डीपीई और विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन, सहयोग और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशकगण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कर्मचारियों को उनके बहुमूल्य सहयोग और समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

के लिए और निदेशक मंडल की ओर से

**हस्ताक्षर/-**
**(अनीता सी मेश्राम)**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
**(डीआईएन- 09781436 )**

**अनुबंध - 1**

**(डायरेक्टर की रिपोर्ट के लिए)**

**भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड**

**सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2024-25 के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाएगी।**

**1. कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पॉलिसी पर संक्षिप्त रुपरेखा।**

कंपनीज़ एक्ट, 2013 के सेक्शन 135 के मुताबिक, आपकी कंपनी की एक CSR पॉलिसी है जिसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी की सिफारिश पर बोर्ड ने मंज़ूरी दी है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पॉलिसी मुख्य रूप से एजुकेशन, हेल्थकेयर, महिला सशक्तिकरण, स्पोर्ट्स वगैरह पर फोकस करती है। कंपनी का कमिटमेंट आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण के लिहाज़ से सस्टेनेबल तरीके से काम करने का है। इन फोकस एरिया के अलावा, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पॉलिसी कंपनी को कंपनीज़ एक्ट, 2013 के शेड्यूल VII में लिस्टेड दूसरी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) एक्टिविटी करने की भी इजाज़त देती है , जिन्हें समय-समय पर बदला जाता है। कंपनी साल 2020 से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) एक्टिविटी कर रही है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट पर इस लिंक पर उपलब्ध है: **http://www.fertcorp.in/** ।

**2. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति की संरचना:**

बोर्ड लेवल पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कमेटी पहली बार 30 दिसंबर, 2020 को बनाई गई थी और फिर समय-समय पर कमेटी को फिर से बनाया गया है। FY 2024-25 के दौरान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कमेटी की एक (1) मीटिंग 25.11.2024 को हुई थी। 31 मार्च, 2025 तक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कमेटी की बनावट और सदस्यों की मौजूदगी इस तरह है:

| एस.नं. | सदस्य का नाम | पद का नाम | FY 24-25 के दौरान शामिल होने के हकदार मीटिंग्स की कुल संख्या। | उपस्थित बैठकों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्रीमती गीता मिश्रा ( 31.08.2024 तक ) | अध्यक्ष | 0 | 0 |
| 2. | श्री मोहन लाल मीणा (सदस्य 18.11.2024 से प्रभावी) | अध्यक्ष | 1 | 1 |
| 3. | श्री पदमसिंह पी. पाटिल ( 03.04.2024 तक ) | सदस्य | 0 | 0 |
| 4. | श्री नरेश आर्य (सदस्य प्रभावी 30.04.2024) | सदस्य | 1 | 1 |
| 5. | श्री जोहान टोपनो ( 30.09.2024 तक ) | सदस्य | 0 | 0 |
| 6. | श्री एच. चिनज़ासन (सदस्य 18.11.2024 से प्रभावी) | सदस्य | 1 | 1 |

**3. वेबलिंक्स: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कमेटी का कंपोजिशन, बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट पर दी गई है।**

सीएसआर समिति- **http://www.fertcorp.in** .

CSR पॉलिसी- **http://www.fertcorp.in** . / .

CSR परियोजनाएं कंपनी के पास कोई भी चल रहा CSR परियोजना नहीं है।

**4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उपनियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)**

इस फाइनेंशियल ईयर के लिए लागू नहीं। इसके अलावा, FY 2024-25 के दौरान की गई कोई भी CSR एक्टिविटी 1 करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा की नहीं थी, जिसके लिए प्रभाव मूल्यांकन की ज़रूरत हो।

**5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उपनियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।**

कोई प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया गया क्योंकि कंपनी के CSR परियोजनाएं पर पिछले 3 सालों में एवरेज 10 करोड़ की CSR ज़िम्मेदारी नहीं है।

**राशि ( रु.) लाख में**

**6. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ- 3744.57**

| | | |
|---|---|---|
| **धारा 135(5) के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ।** | **2021-22** | 2357.21 |
| | **2022-23** | 4668.18 |
| | **2023-24** | 4208.32 |
| | **3 साल के नेट लाभ का औसत** | **3744.57** (11233.71/3) |

**7.** **(क)** औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत (2%) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी। - 74.89

**(ख)** सीएसआर परियोजनाओं से उत्पन्न अधिशेष या पिछले कार्यक्रमों या गतिविधियों वित्तीय वर्ष। - शून्य

**(ग)** सेट ऑफ की जाने वाली आवश्यक राशि वित्तीय वर्ष, यदि कोई हो। - शून्य

**(घ)** वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7ए + 7बी-7सी). - ₹ 74.89 लाख

**8.** (क) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए खर्च की गई या अप्रेषित सीएसआर राशि।

**राशि ( लाखों में)**

| **वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल खर्च की गई राशि** | **अप्रयुक्त राशि** | |
|---|---|---|
| | **धारा 135 (6) के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि** | **धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में स्थानांतरित राशि** |

| | मात्रा | स्थानांतरण की तिथि | फंड का नाम | मात्रा | स्थानांतरण की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| **74.89** | **शून्य** | | | | |

**(ख)** वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के विरुद्ध व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण - शून्य

**(ग)** वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

**राशि ( लाखों में)**

| **एस.नं.** | **परियोजना का नाम** | **एक्ट के शेड्यूल VII में दी गई गतिविधि की लिस्ट से आइटम।** | **स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)** | **परियोजना का स्थान** | **परियोजना पर खर्च की गई राशि** | **कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां नहीं)** | **कार्यान्वयन का तरीका कार्यान्वयन एजेंसी** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष | प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष | -- | -- | 74.89 | हाँ | -- |
| **कुल** | | | | | **74.89** | **--** | **--** |

**(घ)** प्रशासनिक ऊपरी खर्च में खर्च की गई राशि : शून्य

**(ङ)** प्रभाव आकलन पर व्यय राशि, यदि लागू हो : शून्य

**(च)** वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि (8बी+8सी+8डी+8ई ) : ₹ 74.89 लाख

**(छ)** सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो : शून्य

| **एस.नं.** | **विवरण** | **मात्रा** |
|---|---|---|
| (i) | धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत | ₹ 74.89 लाख |
| (ii) | वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि | ₹ 74.89 लाख |
| (iii) | फाइनेंशियल ईयर के लिए खर्च की गई ज़्यादा रकम। | शून्य |
| (iv) | पिछले फाइनेंशियल ईयर के CSR प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स या एक्टिविटीज़ से होने वाला सरप्लस, अगर कोई हो। | शून्य |
| (v) | अगले फाइनेंशियल में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध रकम। | शून्य |

**9. (क)** पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त सीएसआर राशि का विवरण : **शून्य**

| **एस.नं.** | **पिछला वित्तीय वर्ष** | **धारा 135 (6) के अंतर्गत अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि** | **रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि** | **धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो** | **अगले वित्तीय वर्ष में खर्च की जाने वाली शेष राशि** |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2021-22 | शून्य | | | |
| **2.** | 2022-23 | शून्य | | | |
| **3.** | 2023-24 | शून्य | | | |
| | **कुल** | **शून्य** | | | |

**(ख)** पिछले वित्तीय वर्ष की चल रही परियोजनाओं पर वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा : शून्य

| एस. नं. | परियोजना आईडी | परियोजना का नाम | जिस FY में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था | परियोजना अवधि | प्रोजेक्ट के लिए आवंटित कुल राशि | रिपोर्टिंग FY में प्रोजेक्ट पर खर्च की गई रकम | रिपोर्टिंग FY के आखिर में खर्च की गई कुल रकम | प्रोजेक्ट्स का स्टेटस- पूरे हो चुके/ चल रहे हैं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | शून्य | | | | | | | |

**10.** निर्माण या अधिग्रहण के मामले में
पूंजी परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें : **शून्य**
इस प्रकार सृजित या अर्जित परिसंपत्ति के लिए
सीएसआर के माध्यम से वित्तीय में खर्च किया गया
वर्ष (परिसंपत्ति-वार विवरण)

**(क)** निर्माण या अधिग्रहण की तिथि : **शून्य**
पूंजी परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों)

**(ख)** क्रिएशन के लिए खर्च की गई CSR की रकम : **शून्य**
या पूंजीगत परिसंपत्ति का अधिग्रहण

**(ग)** संस्था या सार्वजनिक विवरण
प्राधिकरण या लाभार्थी जिसके अधीन : **शून्य**
ऐसी पूंजी संपत्ति किस नाम से पंजीकृत है,
उनका पता वगैरह।

**(घ)** प्रति व्यक्ति संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें
निर्मित या अर्जित (पूर्ण सहित : **शून्य**
कैपिटल एसेट का पता और लोकेशन)

**11.** कारण बताएँ, यदि कंपनी धारा 135(5 ) के अनुसार औसत : **शून्य**
नये लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है

**निदेशक मंडल की ओर से**
**फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** के **लिए**
**हस्ताक्षर/-**
**(अनीता सी मेश्राम)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09781436

# निदेशक की रिपोर्ट का परिशिष्ट

**सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ (संदर्भ सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट दिनांक (29.10.2025)) और कंपनी का स्पष्टीकरण।**

**योग्य राय के लिए आधार**

| वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ | प्रबंधन का जवाब |
|---|---|
| 1 संयुक्त उद्यम समझौते और पूरक संयुक्त उद्यम समझौते के तहत हर्यूएल (कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की संयुक्त उद्यम कंपनी) के सिंदरी और गोरखपुर इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए रियायती समझौते के तहत, भूमि, परिसंपत्तियों और अवसर लागत के उपयोग के बदले में, परियोजनाओं के वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के समय संयुक्त उद्यम कंपनी हर्यूएल की चुकता इक्विटी पूंजी का 10.99% जारी किया जाना है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, गोरखपुर और सिंदरी इकाइयों में वाणिज्यिक उत्पादन क्रमशः 03.05.2022 और 15.04.2023 को शुरू हुआ।कंपनी भूमि एवं (55 वर्षों के लिए पट्टे पर दी गई) संपत्तियों के उपयोग और संबंधित अवसर लागत के बदले में HURL की 10.99% इक्विटी के इक्विटी शेयर प्राप्त करने की हकदार है। इसके बाद, 18.08.2025 को, कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुमोदन से पहले, HURL ने 10 रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य वाले 56,72,17,733 इक्विटी शेयर आवंटित किए और कंपनी के पक्ष में इन इक्विटी शेयरों को जमा कर दिया। इंड एएस 10 "रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ" के विपरीत, कंपनी ने 31 मार्च 2025 तक के अपने वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यम में उक्त निवेश और संबंधित आस्थगित पट्टा आय (देयता) को मान्यता नहीं दी है, और न ही गोरखपुर और सिंदरी इकाइयों के वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद अर्जित आय का हिसाब रखा है। परिणामस्वरूप, संयुक्त उद्यम में निवेश और संबंधित आस्थगित पट्टा आय (देयता) को 56727.77 लाख रुपये कम करके दर्शाया गया है। गोरखपुर और सिंदरी इकाइयों में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद अर्जित अतिरिक्त आय (56,721.77 लाख रुपये) और उसके परिणामस्वरूप होने वाले प्रभाव का कंपनी द्वारा अभी तक आकलन और लेखा-जोखा नहीं किया गया है। **(नोट संख्या E देखें)।** | कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार, रियायत समझौते और पूरक संयुक्त उद्यम समझौते के तहत, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के समय संयुक्त उद्दम परियोजना के पूंजीगत व्यय की कुल चुकता पूंजी के 7.33% की दर से एफसीआईएल एचयूआरएल में इक्विटी शेयर प्राप्त करने का हकदार है। गोरखपुर और सिंदरी में वाणिज्यिक उत्पादन क्रमशः 3.5.2022 और 15.4.2023 को शुरू हुआ। इस प्रकार, एफसीआईएल का अधिकार इन तिथियों पर अर्जित हो गया और एचयूआरएल को परियोजना व्यय के आधार पर इन तिथियों तक इक्विटी शेयर जारी करने थे। लेकिन एचयूआरएल 24.9.2025 (इस मुद्दे पर आईएमसी की नवीनतम बैठक की तिथि) तक भी अपनी परियोजना लागत को अंतिम रूप नहीं दे सका। इस बैठक में एचयूआरएल ने नकद व्यय के आधार पर अपनी लागत बताई है, न कि उपार्जित लागत के आधार पर।<br><br>शेयरों की सही मात्रा का पता लगाने के लिए मामला मई 2022 से लंबित होने के कारण, इसे वर्ष 2022-23 और 2023-24 के खातों में शामिल नहीं किया जा सका। आईएमसी ने 24.9.2025 को हुई अपनी बैठक में 30.4.2023 तक एचयूआरएल द्वारा किए गए नकद व्यय के आधार पर निर्देश भी दिए हैं। इस प्रकार, एफसीआईएल को एचयूआरएल से प्राप्त होने वाले वास्तविक इक्विटी शेयरों की मात्रा अभी तक तय नहीं की गई है।<br><br>इसके अतिरिक्त, एफसीआईएल द्वारा आरएफसीएल (एफसीआईएल की एक अन्य संयुक्त उद्यम कंपनी) के संबंध में वर्ष 2018-19 और 2022-23 के दौरान प्राप्त शेयरों के लिए, 81.45 करोड़ रुपये की आयकर और 74.86 करोड़ रुपये की जीएसटी की मांग दिल्ली और इलाहाबाद के माननीय उच्च न्यायालयों में लंबित है। आयकर आयोग (आईटीएटी) में यह विचार-विमर्श किया गया कि शेयरों की प्राप्ति के लिए एफसीआईएल द्वारा की गई गलत लेखा प्रविष्टि के कारण आयकर की मांग उत्पन्न हुई है।<br><br>इसलिए, एफसीआईएल इस लेनदेन के उचित लेखांकन के संबंध में आईसीएआई और आयकर विशेषज्ञों से सलाह लेने की प्रक्रिया में है ताकि कोई कर भार न पड़े, क्योंकि यह एफसीआईएल की बंद इकाइयों को पुनर्जीवित करने के |

| | |
|---|---|
| | मंत्रिमंडल के निर्णय की मूल भावना के विरुद्ध है, क्योंकि एफ.सी.आई.एल को काल्पनिक लेन-देनों जिनसे कोई नकद प्राप्ति नहीं होती है, पर लगने वाले भारी करों को पूरा करने के लिए कोई परिचालन आय नही है। 18.8.2025 को एफसीआईएल द्वारा एचयूआरएल से विरोध के तहत 567.22 करोड़ रुपये मूल्य के इक्विटी शेयर, यानी एचयूआरएल की कुल इक्विटी का 6.46%, प्राप्त किए गए थे और एफसीआईएल ने इस संबंध में उचित निर्णय लिए जाने तक एचयूआरएल से प्राप्त इक्विटी शेयरों के लिए जल्दबाजी में कोई लेखा प्रविष्टि न करने का निर्णय लिया, क्योंकि वित्तीय कर निहितार्थ बहुत अधिक हैं।<br><br>विशेषज्ञ की सलाह लेने के बाद, आवश्यक लेखांकन प्रविष्टि 2025-26 में की जायेगी, जिसमें या तो लाभ-हानि खातों को छुए बिना सीधे रिजर्व एवं खाते में अधिशेष राशि बुक की जायेगी या आस्थगित आय के रूप में रियायत अवधि (55 वर्ष) तक इसे दिखाया जायेगा। |
| **2** वित्तीय विवरणों के नोट 9.1 में उल्लिखित अनुसार, कंपनी ने अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी के साथ हुए लेन-देन से उत्पन्न 7485.71 लाख रुपये (जिसमें 3,742.86 लाख रुपये का जीएसटी और 3,742.86 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है) की जीएसटी मांग के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल)इस सौदे में भूमि उपयोग अधिकार, उपयोगी परिसंपत्तियों और अवसर लागत प्रदान करने के बदले इक्विटी शेयर जारी किए गए हैं। कंपनी को इस सौदे में प्रतिफल के रूप में 20,793.64 लाख रुपये की इक्विटी प्राप्त हुई है।<br>पिछले वर्षों में भी ऐसा ही हुआ है और उसने उपरोक्त मांग को एक आकस्मिक दायित्व के रूप में माना है।<br>कंपनी ने उक्त जीएसटी मांग के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है; हालांकि, उसने न तो अपने दावे के समर्थन में कोई कानूनी राय प्राप्त की है और न ही यह साबित किया है कि संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना नगण्य है। हम यह भी ध्यान देते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने से पहले कंपनी चंडीगढ़ और नोएडा स्थित जीएसटी अधिकारियों के समक्ष दो पूर्व मूल्यांकन/अपीलीय चरणों में हार चुकी है।<br>हमारी राय में, (i) लेन-देन की प्रकृति और सार, (ii) पूर्व की कार्यवाही में जीएसटी अधिकारियों के निर्णय, और (iii) जीएसटी कानून के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, बैलेंस शीट की तिथि पर एक वर्तमान दायित्व मौजूद है। इसके अलावा, इंड एएस 37 - "प्रावधान, आकस्मिक | ऑडिटर का यह कथन कि कंपनी चंडीगढ़ और नोएडा में पहले के दो मूल्यांकन/अपीलीय चरणों में हार चुकी है, सही नहीं है। जीएसटी चंडीगढ़ कार्यालय ने 2 अगस्त 2024 को ही कारण बताओ नोटिस जारी किया था कि "एफसीआईएल से ब्याज और जुर्माने सहित 37.43 करोड़ रुपये की राशि क्यों न मांगी जाए?" इस संबंध में संयुक्त आयुक्त, सीजीएसटी नोएडा के समक्ष उचित रूप से प्रतिनिधित्व किया गया था, लेकिन मूल्यांकन अधिकारी ने हमारी दलील को स्वीकार नहीं किया और 1 फरवरी 2025 को 37.43 करोड़ रुपये के कर एवं 37.43 करोड़ रुपये के जुर्माने और लागू ब्याज सहित की मांग की पुष्टि कर दी, जिसे एफसीआईएल ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और मामला वहां लंबित है।<br><br>इस मामले में FCIL सेवा प्रदाता है, जबकि प्राप्तकर्ता RFCL है, जो यदि कोई GST मांग हो तो उसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। FCIL ने 29.07.2024 को RFCL को पत्र लिखकर 37.43 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया था (यानी GST चंडीगढ़ कार्यालय द्वारा 02.08.2024 को कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले ही)। RFCL ने 27.08.2024 को सूचित किया कि वे मामले की समीक्षा कर रहे हैं। इसलिए, मुख्य जिम्मेदारी RFCL की है, न कि FCIL की।<br><br>इसके अलावा, हमने उर्वरक विभाग को भी इस मामले का निर्दिष्ट किया है ताकि सीसीईए से इस मामले को |

| | |
|---|---|
| देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां" के अनुसार, प्रावधान को तब मान्यता दी जानी आवश्यक है जब (क) एक वर्तमान दायित्व मौजूद हो।<br>(ख) दायित्व, (ग) संसाधनों का बहिर्वाह होने की संभावना, और (घ) एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। इस स्थिति में, उपरोक्त सभी शर्तें पूरी होती हैं। तदनुसार, उक्त जीएसटी मांग के संबंध में प्रावधान किया जाना चाहिए था।<br>हम यह भी देखते हैं कि इसी मूल लेनदेन के लिए आयकर विभाग ने 8,145.13 लाख रुपये की मांग उठाई है, जिसके विरुद्ध कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय में इसी प्रकार एक रिट याचिका दायर की थी। पिछले वर्ष उक्त आयकर मांग को कानूनी राय द्वारा समर्थित एक आकस्मिक देयता माना गया था, जबकि चालू वर्ष में कंपनी ने उक्त आयकर मांग के लिए पूर्ण देयता को खातों में दर्ज कर लिया है, हालांकि माननीय उच्च न्यायालय में कार्यवाही अभी भी लंबित है।<br>यदि कंपनी ने उपर्युक्त जीएसटी देयता को स्वीकार किया होता, तो वर्ष के लिए कर पूर्व हानि 7,485.71 लाख रुपये अधिक होती और कुल इक्विटी 7,485.71 लाख रुपये कम होती। उपरोक्त राशियों में अब तक अर्जित ब्याज शामिल नहीं है। | जीएसटी के दायरे से बाहर रखने के लिए नए सिरे से मंजूरी मांगी जा सके, क्योंकि यह एफसीआईएल द्वारा, बिना किसी नकद व्यय के एफसीआईएल की बंद इकाइयों को पुनर्जीवित करने के मंत्रिमंडल के निर्णय की मूल भावना के विरुद्ध है।<br>इन परिस्थितियों में यह उचित समझा गया कि जीएसटी की मांग के लिए खातों में 7485.71 लाख रुपये का प्रावधान न किया जाए। |
| **3** गोरखपुर में नोट संख्या सी.4.(iv) में उल्लिखित अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार 268.335 एकड़ भूमि गोरखपुर के डीएम के नियंत्रण में दी गई है। इसके अतिरिक्त, 49 एकड़ भूमि पर निर्मित 215 क्वार्टरों को ध्वस्त करने के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार सैनिक विद्यालय का निर्माण किया गया है। चूंकि उपर्युक्त भूमि का स्वामित्व अब कंपनी के पास नहीं है, इसलिए 268.335 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के कारण हुई हानि का कंपनी द्वारा आकलन और प्रावधान नहीं किया गया है। | मामले को समाधान के लिए उर्वरक विभाग को भेज दिया गया है। |
| **4** वर्ष के दौरान, कंपनी की सिंदरी इकाई ने आवासीय क्वार्टरों में रहने वाले किरायेदारों से प्राप्त सुरक्षा जमा राशि के विरुद्ध 8 से 12 वर्षों की अवधि से संबंधित लंबे समय से बकाया राशि का समायोजन करके 86.19 लाख रुपये की किराये की आय अर्जित की है। ये समायोजन पट्टे के विलेख, नवीनीकरण समझौते या कंपनी के ऐसे समायोजन करने के अधिकार को प्रमाणित करने वाले किसी भी दस्तावेज़ के अभाव में किए गए हैं।<br><br>हमारे विचार में, वास्तविक वसूली के पर्याप्त प्रमाण के बिना, चालू वर्ष में पूर्व अवधियों से संबंधित आय की मान्यता लागू इंड एएस 115 और इंड एएस 8 के अनुरूप | एफसीआईएल और पट्टाधारकों के बीच हुए पट्टा समझौतों के अनुसार, सुरक्षा जमा राशि, बकाया राशि के मुकाबले समायोजित की जानी चाहिए। इसलिए, सुरक्षा जमा राशि को सही तरीके से समायोजित कर दिया गया है। |

| | |
|---|---|
| नहीं है। इसके अलावा, किरायेदार-वार सहायक दस्तावेज़ों की अनुपलब्धता के कारण, हम कंपनी के इस प्रकार के समायोजन करने के अधिकार पर टिप्पणी करने और वित्तीय विवरणों पर इस समायोजन के प्रभाव को निर्धारित करने में असमर्थ हैं।<br><br>यदि राजस्व को उचित रूप से मान्यता दी गई होती, तो वर्ष के लिए हानि ऐसे अपुष्ट समायोजनों की सीमा तक अधिक होती।इसके अलावा, इससे रिपोर्टिंग तिथि पर सुरक्षा जमा (देनदारियों) की शेष राशि भी अधिक हो जाती। | |
| **5** देनदारों, लेनदारों, अन्य पक्षों से देय शेष राशि और अग्रिम राशि की पुष्टि/समाधान लंबित है और 31 मार्च, 2025 को स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर परिणामी समायोजन के प्रभाव का इस स्तर पर पता नहीं लगाया जा सकता है। **(नोट संख्या F.3)**। | ये बकाया राशि बहुत पुरानी है, यानी 20 साल से भी अधिक पुरानी, और अधिकांश पक्षों के पते उपलब्ध नहीं हैं। |
| **6** सिन्दरी इकाई में प्लैटिनम के बर्तनों, सोने के रसायनों और प्रयोगशाला के उपकरणों का 2583.04 ग्राम का अलेखांकित भंडार पाया गया है।<br>उपरोक्त के अतिरिक्त, प्लैटिनम के सामान, सोने के रसायन, प्रयोगशाला के उपकरण आदि का अघोषित भंडार, अर्थात् 221.40 ग्राम, 524.44 ग्राम और 433.68 ग्राम, क्रमशः गोरखपुर, तालचर और रामागुंडम इकाइयों से सिंदरी इकाई में स्थानांतरित किया गया है। उपरोक्त भंडार का मूल्य कंपनी द्वारा लेखा-पुस्तकों में निर्धारित और दर्ज नहीं किया गया है। उपरोक्त का लेखा-जोखा न होने के कारण वर्ष के लिए परिसंपत्तियों का कम मूल्यांकन और हानि का अधिक मूल्यांकन हुआ है, जिसकी मात्रा और कंपनी के परिणामों पर इसके परिणामी प्रभाव का इस स्तर पर निर्धारण नहीं किया जा सकता है (नोट संख्या C 9.3 देखें)। | प्लैटिनम के बर्तन, सोने के रसायन और प्रयोगशाला के उपकरण सामान्य उपभोग्य वस्तुओं के रूप में माने जाते हैं और इन्हें कभी भी खातों में परिसंपत्तियों के अंतर्गत नहीं दिखाया गया है। हालांकि, खातों के नोटों में उचित प्रकटीकरण किया गया है (नोट संख्या- सी-9)। |
| **7** कंपनी ने प्रबंधन द्वारा ऐसे मामलों के परिणाम के आकलन के आधार पर, आकस्मिक देनदारियों के तहत विभिन्न लंबित मुकदमे और मध्यस्थता मामलों का खुलासा किया है। हालांकि, इन दावों के समर्थन में कोई स्वतंत्र कानूनी राय या बाहरी विशेषज्ञ मूल्यांकन प्राप्त नहीं किया गया था।<br>ऐसे सहायक साक्ष्यों के अभाव में, हम यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे कि क्या लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे (इंड एएस 37 - प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां) के अनुसार वित्तीय विवरणों में इन मामलों के लिए किसी प्रावधान को मान्यता देना आवश्यक है। | कंपनी में प्रचलित प्रथा के अनुसार, लंबित मुकदमों और मध्यस्थता से संबंधित आकस्मिक देनदारियों की राशि कंपनी द्वारा किए गए स्व-मूल्यांकन और उचित जांच-पड़ताल के आधार पर खातों में दर्ज की जाती है। इस संबंध में अतीत में कोई कानूनी राय नहीं ली गई थी। |

| | |
|---|---|
| कार्यवाही की प्रकृति और स्थिति को देखते हुए, संभावित वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, तो वर्तमान में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। | |
| **8** क) हमने पाया कि कंपनी की सिंदरी इकाई ने वर्ष के दौरान 15.64 लाख रुपये का कानूनी खर्च दर्ज किया है, जिसे धनबाद स्थित झरिया सर्कल के डीसीएसटी के समक्ष पेश होने और याचिकाएं दाखिल करने के लिए पेशेवर शुल्क के रूप में बताया गया है। जांच करने पर यह पाया गया कि समान गतिविधियों और मूल्यांकन वर्षों के लिए कई बिल बनाए गए और बिना किसी सहायक दस्तावेज़ जैसे कि केस फाइलें, सुनवाई नोटिस या कार्यवाही की प्रतियां प्रस्तुत किए बार-बार भुगतान किए गए।<br>हमारे प्रश्न के उत्तर में, प्रबंधन ने बताया कि वकील ने उन पुराने मामलों को बंद कराने के लिए बिक्री कर अधिकारियों के समक्ष लगातार पेशी की थी, जहां घोषणा पत्र प्राप्त नहीं किए जा सके थे, और विभाग द्वारा पिछले कई वर्षों में कोई मांग नहीं उठाई गई है।<br>पर्याप्त सहायक अभिलेखों और प्रदान की गई सेवाओं की प्रकृति को प्रमाणित करने वाले स्वतंत्र साक्ष्यों के अभाव में, हम उपरोक्त व्यय की प्रामाणिकता और व्यावसायिक उद्देश्य को सत्यापित करने में असमर्थ हैं। यह ऐसे भुगतानों के प्राधिकरण और सत्यापन से संबंधित आंतरिक नियंत्रण और दस्तावेज़ीकरण में कमियों को भी दर्शाता है। इसलिए, हम वर्ष के लाभ और हानि विवरण में डेबिट किए गए 15.64 लाख रुपये के कानूनी खर्चों की शुद्धता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। | एफसीआईएल के खिलाफ बिक्री कर मामलों (50 साल तक पुराने) के लिए 24.32 करोड़ रुपये की लंबित मांग थी, जिसमें एफसीआईएल बिक्री कर विभाग में आवश्यक बिक्री कर फॉर्म जमा नहीं कर पाई थी।<br>बिक्री कर विभाग के साथ निम्नलिखित मामलों में, नियमित आधार पर, बिक्री कर वकील को 12.85 लाख रुपये जीएसटी का भुगतान किया गया था, न कि 15.64 लाख रुपये जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया। |
| **9** कंपनी ने इंड एएस 37 - प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां के अनुसार प्रावधानों के मिलान का खुलासा नहीं किया है। वित्तीय विवरणों के नोट्स में, प्रावधान के प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रारंभिक शेष, वर्ष के दौरान की गई वृद्धि, वर्ष के दौरान उपयोग/वापसी की गई राशि और रिपोर्टिंग तिथि पर समापन शेष प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरण इस हद तक अपूर्ण हैं और इंड एएस 37 की प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन नहीं करते हैं। | आकस्मिक देनदारियों के संबंध में उचित खुलासा किया गया है और इसे वार्षिक खातों के नोट 18ए में संलग्न किया गया है।<br>प्रावधानों के अनुपालन के लिए नोट किया गया। |
| **10** हम इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार इंड एएस के कुछ निश्चित आवश्यकताओं का पूर्णतः अनुपालन नहीं करता है:<br>**(ए)** इंड एएस 109 - वित्तीय विवरणों के अनुसार, कंपनी ने संयुक्त उद्यम कंपनी आरएफसीएल के इक्विटी शेयरों में निवेश किया है, जिसे वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में | अनुपालन के लिए नोट किया गया। |

| | |
|---|---|
| वर्गीकृत किया गया है। इंड एएस 109 - वित्तीय विवरण के अनुसार, इक्विटी निवेश जैसे निवेशों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।<br>हालांकि, कंपनी ने बैलेंस शीट की तारीख पर उक्त निवेश का उचित मूल्यांकन प्राप्त नहीं किया है और न ही उचित मूल्य में कोई परिवर्तन दर्ज किया है। परिणामस्वरूप, निवेश को उसकी मूल दर्ज राशि पर ही रखा गया है और उचित मूल्यांकन का प्रभाव, यदि कोई हो, तो वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया गया है। विश्वसनीय उचित मूल्यांकन के अभाव में, हम कंपनी की वित्तीय स्थिति और परिणामों पर इस विचलन के संभावित प्रभाव का निर्धारण करने में असमर्थ हैं। | |
| **(बी)** इंड-एएस 8 "लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां" के अनुसार, वित्तीय विवरणों को पूर्वव्यापी रूप से इस प्रकार पुनर्कथनित करने के बजाय कि मानो पिछली अवधि की त्रुटि कभी हुई ही न हो, चालू वर्ष की अन्य आय और अन्य व्यय में पिछली अवधियों की त्रुटियों की राशि के कारण क्रमशः 104.11 लाख रुपये और 63.09 लाख रुपये शामिल हैं। कंपनी द्वारा अनुचित वर्गीकरण के कारण कंपनी के परिणामों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन नहीं किया गया है। | अनुपालन के लिए नोट किया गया। |
| **(सी)** इंड-एएस 40 "निवेश संपत्ति" के अंतर्गत, सिंदरी, गोरखपुर, तालचर और केंद्रीय कार्यालय में विभिन्न किरायेदारों को पट्टे पर दी गई संपत्तियों को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करने के बजाय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।<br>चूंकि अब इन संपत्तियों का उपयोग केवल किराये और पूंजी वृद्धि के लिए किया जाता है और इनका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग करना नहीं है, इसलिए इन्हें इंड एएस-40 के अनुसार निवेश संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। अनुचित वर्गीकरण के कारण कंपनी के परिणामों पर पड़ने वाले प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है। | अनुपालन के लिए नोट किया गया। |
| **(डी) इंड एएस 12 "आयकर"**वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों के वहन मूल्य और उनके संबंधित कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर के भविष्य के कर परिणामों के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का लेखांकन आवश्यक है। हालांकि, कंपनी ने किसी भी आस्थगित कर परिसंपत्ति या देनदारी का लेखांकन नहीं किया है।<br>वित्तीय विवरणों में। कंपनी द्वारा आस्थगित कर की मान्यता न लेने के प्रभाव का मात्रात्मक आकलन नहीं | अनुपालन के लिए नोट किया गया। |

| | |
|---|---|
| किया गया है। | |
| **(ई)** इंड-एएस 105 "बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू संपत्तियां और बंद किए गए संचालन" जैसा कि नोट संख्या सी.8 में कहा गया है, उपयोग में नहीं आने वाली या बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों का मूल्यांकन बही मूल्य पर किया जाता है क्योंकि इन संपत्तियों का उचित मूल्य और इन संपत्तियों को बेचने की संबंधित लागत इस स्तर पर निर्धारित नहीं की जा सकती है, इसलिए एफएमवी और वहन लागत का अंतर, यदि कोई है, का निर्धारण एवं प्रावधान नहीं किया है। | अनुपालन के लिए नोट किया गया। |
| **(एफ)** इंड एएस 37 - "प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां" प्रावधान को तब मान्यता दी जाएगी जब:<br>i) किसी संस्था पर अतीत की किसी घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है;<br>ii) यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ युक्त संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; और<br>iii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।<br>हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमने कई ऐसे उदाहरण देखे जहाँ मान्यता संबंधी ये मानदंड पूरे किए गए थे, लेकिन कंपनी ने अपेक्षित प्रावधान नहीं किए थे। इनमें से कुछ उदाहरणों का विवरण और मात्रा निर्धारण हमारी रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया है, जबकि कुछ अन्य मामलों में, कंपनी द्वारा वित्तीय प्रभाव का मात्रा निर्धारण नहीं किया गया है। | अनुपालन के लिए नोट किया गया। |
| **(जी) इंड एएस 36** "संपत्तियों का मूल्यह्रास" के अनुसार, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किसी इकाई को यह आकलन करना आवश्यक है कि क्या किसी संपत्ति के मूल्यह्रास की संभावना है। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है, तो इकाई को संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना होगा, और यदि वहन मूल्य वसूली योग्य राशि से अधिक है, तो संपत्ति का मूल्यह्रास तदनुसार किया जाना चाहिए।<br>हमारी ऑडिट प्रक्रिया के दौरान, हमने यह पाया गया है कि कंपनी द्वारा कुछ ऐसी संपत्तियों के संबंध में कोई हानि मूल्यांकन नहीं किया गया है, जिनमें हानि के संकेतक मौजूद हैं।<br>**इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:**<br>सिंदरी में, कंपनी/एसएआईएल द्वारा उन जमीनों पर बने फ्लैटों को ध्वस्त कर दिया गया है जो पहले से ही उन्हें पट्टे पर दी गई थीं।<br>सिंदरी में, अवैध कब्जे या अतिक्रमण के अंतर्गत आने | अनुपालन के लिए नोट किया गया। |

| | |
|---|---|
| वाले फ्लैट और जमीनें,<br>गोरखपुर में, एसएसबी गोरखपुर के कब्जे वाली भूमि।<br>कोरबा में रेलवे ट्रैक गायब है।<br>ये परिस्थितियाँ मानक के अनुसार हानि संकेतकों को पूरा करती हैं, लेकिन कंपनी ने किसी भी प्रकार की हानि का मूल्यांकन या मान्यता नहीं दी है। कंपनी द्वारा संभावित हानि (यदि कोई हो) का परिमाण निर्धारित नहीं किया गया है। | |
| **11** निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन के उपचार के संबंध में कंपनी की लेखांकन नीति में कमी है, क्योंकि इसमें यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि ऐसे परिवर्तनों को इंड एएस 109 "वित्तीय उपकरण" की आवश्यकताओं के अनुसार लाभ और हानि विवरण या अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से मान्यता दी जानी है या नहीं। | अनुपालन के लिए नोट किया गया। |
| **12** लेखा नीति संख्या **ए (XIII)** के अनुसार, तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया देनदारों को असंभावित और संदिग्ध देनदार माना जाता है और इसके लिए 100% राशि का प्रावधान किया गया है। वर्ष के दौरान जारी किए गए इनवॉइस के कारण इन्हीं पक्षों से राजस्व की मान्यता प्राप्त हुई है, जबकि तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया और असंभावित मानी जाने वाली वसूली योग्य राशि की वसूली नहीं हुई है और इसके लिए 100% प्रावधान किया गया है। उपरोक्त राजस्व की मान्यता इंड-एएस 115 और लेखा नीति के विपरीत है, जिसमें कहा गया है कि "राजस्व को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ तक यह संभावना हो कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा"। चूंकि कंपनी पहले से बकाया राशि की वसूली करने में असमर्थ है और तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि को पहले ही असंभावित और संदिग्ध देनदार माना जा चुका है, इसलिए पहले से ही असंभावित और संदिग्ध माने गए पक्षों से अतिरिक्त राजस्व की मान्यता लेखा नीति और इंड-एएस 115 के विपरीत है। | कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार "राजस्व को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ तक यह संभावना हो कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे और भुगतान कब किया जा रहा है, इसकी परवाह किए बिना राजस्व का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है। इस प्रकार, सही लेखांकन किया गया है। हालाँकि, लेखांकन नीति में परिवर्तन के मामले की गहन जाँच/समीक्षा की जाएगी।" |
| **13** वित्तीय विवरणों के नोट संख्या E में दिए गए विवरण के अनुसार, कंपनी ने अपने संयुक्त उद्यम, रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के साथ ₹ 20,793.64 लाख का एक लेनदेन किया है, जिसमें भूमि उपयोग अधिकार, परिसंपत्तियों और अवसर लागत के हस्तांतरण के बदले इक्विटी शेयर जारी किए गए हैं। इस लेनदेन के कुछ हिस्सों के संबंध में, वर्ष 2017-18 और 2021-22 के लिए क्रमशः ₹ 7500.91 लाख (जुर्माना सहित) और ₹ 644.21 लाख की आयकर मांगें उठाई गई हैं और कंपनी द्वारा इनके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है, हालांकि मामले माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में | आयकर विभाग की ओर से किसी प्रकार की मांग न होने के कारण, खातों में आकस्मिक देयता के लिए कोई प्रावधान या खुलासा नहीं किया गया है। |

| | |
|---|---|
| लंबित हैं। हालांकि, इसी व्यवस्था के शेष ₹ 4,490.00 लाख की इक्विटी के लिए कोई मांग नहीं उठाई गई है, और कंपनी ने इस संबंध में किसी भी प्रावधान या आकस्मिक देयता का खुलासा नहीं किया है। हमारी राय में, लेन-देन के इस हिस्से पर संभावित कर देयता का पर्याप्त खुलासा नहीं किया गया है, जो कि इंड एएस 37 - प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्ति की आवश्यकताओं से विचलन है। | |

**अनुलग्नक 'ए'**

**केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143(11) के तहत जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट।**

हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुच्छेद 1 में "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के अंतर्गत संदर्भित।

| | **वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ** | **प्रबंधन उत्तर** |
|---|---|---|
| **1.** | **(ए).** कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति और मात्रात्मक विवरण सहित पूर्ण जानकारी दर्शाने वाले रिकॉर्ड नहीं रख रही है। | अधिकांश अचल संपतियां या तो अनुपयोगी वस्तुओं के रूप में बेची जा चुकी हैं या पुनर्जीवन करने वाली संयुक्त उद्यम कंपनियों को उपयोगी वस्तुओं के रूप में सौंप दी गई हैं। केवल फर्नीचर और फिक्स्चर ही उपलब्ध हैं, जिनका विधिवत मिलान किया गया है। हालांकि, यथासंभव संपत्ति रजिस्टर को बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। |
| | **(बी).** कंपनी अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाने वाला रिकॉर्ड नहीं रख रही है। | कम्पनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है। |
| **2.** | • सिंदरी इकाई में हमें उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड और जानकारी के अनुसार, कंपनी के पास 6548 निर्मित क्वार्टर हैं और इकाई द्वारा किए गए सत्यापन के अनुसार, 2695 क्वार्टरों पर अवैध रूप से कब्जा है, यानी इन क्वार्टरों का भौतिक कब्जा और नियंत्रण कंपनी के पास नहीं है। हालांकि, कंपनी ने सार्वजनिक परिसर बेदखली (पीपीई) अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और इस कारण से किसी भी नुकसान की उम्मीद नहीं है, इसलिए खातों में इसका कोई समायोजन नहीं किया गया है। | यह कार्रवाई सार्वजनिक परिसर बेदखली अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जा रही है। |
| | • इसके अलावा, सिंदरी में, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार हमें दी गई जानकारी के मुताबिक, 32.50 एकड़ भूमि पर अनाधिकृत कब्जा | यह कार्रवाई सार्वजनिक परिसर |

| | | |
|---|---|---|
| | है और सार्वजनिक परिसर बेदखली (पीपीई) अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है और कंपनी को किसी नुकसान की उम्मीद नहीं है, इसलिए कंपनी द्वारा इस संबंध में कोई समायोजन नहीं किया गया है। | बेदखली अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जा रही है। |
| | • इसके अतिरिक्त, 46.862 एकड़ भूमि पर कब्जाधारियों का वैध पट्टा विलेख नहीं है, अर्थात् इन मामलों में या तो पट्टे उपलब्ध नहीं हैं या कई वर्षों से समाप्त हो चुके हैं। इन भूमि पार्सल का भौतिक कब्जा और नियंत्रण इकाई के पास नहीं है। | पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद उसे नवीनीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है। |
| | • 31-03-2025 की तिथि तक 30.68 लाख रुपये की "उपयोग में नहीं आने वाली या बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियां" भौतिक रूप से सत्यापित नहीं हैं। | अनुपालन के लिए नोट किया गया। |
| | • कोरबा में सत्यापन के दौरान यूनिट ने पाया कि कंपनी की रेलवे पटरी गायब है, हालांकि कंपनी द्वारा नुकसान की मात्रा का पता नहीं लगाया गया है, इसलिए इसे खातों की पुस्तकों में समायोजित नहीं किया गया है। | **1.** कोरबा परियोजना शुरू न हो पाने के कारण कोरबा रेलवे ट्रैक लगभग शुरुआत से ही निष्क्रिय अवस्था में था। वर्ष 2023-24 में परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के दौरान ट्रैक के गायब होने का पता चला और स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है।<br><br>**2.** कोरबा संयंत्र को एफसीआईएल के अन्य संयंत्रों के साथ सितंबर 2002 में बंद कर दिया गया था। रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए कोई अलग सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी।<br><br>**3.** गायब ट्रैक के वास्तविक नुकसान का अभी पता लगाया जाना बाकी है; इसके बाद इसे बट्टे खाते में डालने के लिए बोर्ड की मंजूरी प्राप्त की जाएगी। |
| **3.** | हमें प्राप्त पुष्टिकरण और प्रमाण पत्रों के अनुसार, स्वामित्व वाली सभी अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं। हालाँकि, हमारी टिप्पणियाँ निम्नलिखित हैं:<br><br>**(1)** तालचर में, 0.205 एकड़ भूमि जो भौतिक रूप से कंपनी के | यह मामला राजस्व न्यायालय में |

| | | |
|---|---|---|
| | कब्जे में है, राजस्व अभिलेख में पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं और इसके लिए समझौता अभी निष्पादित किया जाना बाकी है।<br>**(2)** लखनऊ में, कंपनी के पास 10733.1 वर्ग गज पट्टे पर ली गई भूमि है। अप्रैल 2025 के महीने में कंपनी ने पट्टे पर ली गई भूमि को स्वतंत्र स्वामित्व वाली भूमि में परिवर्तित करने के लिए 212.49 लाख रुपये का भुगतान किया है। अभिलेखों और हमें दी गई जानकारी के अनुसार, उक्त संपत्ति का स्वामित्व विलेख अभी तक कंपनी के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ औपचारिकताओं का अनुपालन प्रक्रियाधीन है। | निर्णय के लिए लंबित है।<br><br>लखनऊ विकास प्राधिकरण से भूखंड को पट्टे से पूर्ण स्वामित्व में परिवर्तित करने की मंजूरी मिल चुकी है और पूर्ण स्वामित्व विलेख पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाएंगे। |
| **4.** | **(ए)** वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई है।<br><br>**(बी)** वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई है, इसलिए रिपोर्ट हमारे विचारार्थ उपलब्ध नहीं हैं। | वर्ष 2002 में परिचालन गतिविधियों के बंद होने के बाद से कंपनी में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की जा रही है। |

**<u>अनुलग्नक -'बी'</u>**

**कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।**

**योग्य राय**

| | **वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ** | **प्रबंधन उत्तर** |
|---|---|---|
| **1.** | यह देखा गया है कि कंपनी के पास सावधि जमा पर अर्जित ब्याज आय की आवधिक पहचान के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है, जो इसकी कुल आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाली जमाओं पर प्राप्त ब्याज को छोड़कर, कंपनी बैंकों से प्राप्त प्रमाणपत्रों के आधार पर, वित्तीय वर्ष के अंत में ही अर्जित ब्याज का लेखा-जोखा करती है। इसी प्रकार, परिपक्व या सतत जमाओं पर लगने वाली ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) भी आवधिक लेखांकन और मिलान की संरचित प्रक्रिया के बजाय, फॉर्म 26एएस के आधार पर, केवल वर्ष के अंत में ही की जाती है।<br><br>इस प्रथा के परिणामस्वरूप, रिपोर्टिंग तिथि को छोड़कर, पूरे वर्ष ब्याज आय, टीडीएस प्राप्य और संबंधित वित्तीय परिसंपत्तियों का बार-बार कम आकलन होता है। आय और संबंधित कर ऋणों के समय पर संचय और पहचान के लिए एक व्यवस्थित आंतरिक प्रक्रिया का अभाव राजस्व पहचान और कर लेखांकन पर नियंत्रणों की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता में कमी को दर्शाता है। | टीडीएस का मासिक मिलान करना कोई वैधानिक अनिवार्यता नहीं है। इसके अलावा, एफसीआईएल में उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या और स्रोत पर कर कटौती कर्ताओं द्वारा नियमित रूप से टीडीएस कटौती न होने/टीडीएस रिटर्न दाखिल न होने के कारण, टीडीएस का मासिक मिलान करना कठिन है।<br><br>सामान्य तौर पर, बेहतर मिलान के लिए आयकर विभाग के एएस 26 आदि जैसे आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, इनका मिलान वर्ष के अंत में ही किया जाता है। |

| | | |
|---|---|---|
| **2.** | कंपनी के निवेश संचालन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहे थे। विशेष रूप से, 31 मार्च, 2025 तक, कंपनी ने निजी क्षेत्र के बैंकों में निर्धारित 6% की सीमा से अधिक, यानी 6.1% तक, सावधि जमा रसीदों (एफडीआर) में निवेश किया था। इसके अलावा, कंपनी ने ऐसे निवेश करने से पहले उचित जांच-पड़ताल या नियामक अनुपालन जांच (जैसे पूंजी पर्याप्तता, निवल संपत्ति और एनपीए मानदंड) को प्रमाणित करने वाले पर्याप्त दस्तावेज़ नहीं रखे थे। इन कमियों के कारण भारी वित्तीय जोखिम और आंतरिक एवं नियामक अपेक्षाओं का उल्लंघन हो सकता है। | चार बैंकों में ब्याज दर की अधिकतम सीमा 6.01% थी, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में इसे 6.1% बताया गया। इसके अलावा, यह न्यूनतम 2 करोड़, 3 करोड़ आदि जैसी "जमा सीमा" के कारण हुआ। यदि जमा सीमाओं का पालन नहीं किया जाता है, तो ब्याज दर कम हो सकती है, इसलिए कुछ मामूली विचलन हुआ है जो स्वीकार्य है।<br><br>जहां तक उचित जांच का संबंध है, फंड जमा करने से पहले इसकी जांच की जाती है, हालांकि कोई दस्तावेजीकरण नहीं किया जाता है। फिर भी, अर्धवार्षिक आधार पर अनुपालन के लिए नोट किया गया। |
| **3.** | कंपनी के पास अपनी अचल संपत्तियों, विशेषकर निष्क्रिय संपत्तियों की निगरानी और सुरक्षा के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है। समय पर मूल्यह्रास मूल्यांकन का अभाव और सिंदरी स्थित फ्लैटों और जमीन पर लंबे समय तक अनाधिकृत कब्जा, अचल संपत्तियों पर नियंत्रण के डिजाइन और संचालन में महत्वपूर्ण कमियों को दर्शाता है। हमारी राय में, संपत्ति सुरक्षा और मूल्यह्रास की पहचान से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। | भूमि और क्वार्टरों पर अनाधिकृत कब्जे के मामलों को छोड़कर, सभी अचल संपत्तियां कंपनी के कब्जे में हैं, जिनके लिए सार्वजनिक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत नियमित कार्रवाई शुरू की जा रही है। |
| **4.** | सिंद्री स्थित कंपनी की इकाई को विभिन्न व्यावसायिक संपत्तियों के किराये से अच्छी खासी आय प्राप्त होती है। हमने पाया है कि कंपनी के पास किराये की प्राप्तियों और पट्टा समझौतों तथा वास्तविक वसूली के बीच मिलान करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है। इस खामी के कारण राजस्व की पहचान में त्रुटियां या चूक हो सकती हैं, जिससे वित्तीय विवरणों में दर्ज किराये की आय की सटीकता प्रभावित हो सकती है। | अनुपालन के लिए नोट किया गया। |
| **5.** | इकाइयों और परिचालन कार्यालयों में रखे गए जीएसटी खातों का मिलान केवल वर्ष के अंत में किया जाता है। जीएसटी खातों का नियमित अंतराल पर मिलान न होने और केवल वर्ष के अंत में मिलान होने के कारण कई प्रविष्टियाँ केवल वर्ष के अंत में ही दर्ज की जाती हैं, जो | अनुपालन के लिए नोट किया गया। |

| | | |
|---|---|---|
| | कमजोर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को दर्शाती हैं। | |
| 6. | रामागुंडम और तालचर में खातों की पुस्तकों को स्वचालित संतुलन और स्वतः मिलान करने वाले लेखांकन सॉफ़्टवेयर की सहायता से रखने के बजाय एक्सेल स्प्रेडशीट की सहायता से अभिलेख रखे जाते हैं। उपर्युक्त इकाइयों का वित्तीय डेटा एक्सेल स्प्रेडशीट के माध्यम से संकलित किया जाता है। खातों की उचित पुस्तकों का न होना आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में कमी को दर्शाता है। | अनुपालन के लिए नोट किया गया। |

**31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट भी शामिल है।**
**स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट**
**सदस्यगण**
**भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड**

**योग्य राय**
हमने फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिनमें 31 मार्च 2025 को समाप्त बैलेंस शीट, लाभ और हानि विवरण (व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, साथ ही वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, योग्य राय के आधार खंड में वर्णित मामले के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी को निर्धारित तरीके से प्रदान करते हैं तथा अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, संशोधित रूप में, ए ("इंड एएस") तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2025 को कंपनी की स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए उसके घाटे (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करते हैं।

**योग्य राय का आधार**

1. संयुक्त उद्यम समझौते और पूरक संयुक्त उद्यम समझौते के तहत हर्यूएल (कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की संयुक्त उद्यम कंपनी) के सिंदरी और गोरखपुर इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए रियायती समझौते के तहत, भूमि, परिसंपत्तियों और अवसर लागत के उपयोग के बदले में, परियोजनाओं के वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के समय संयुक्त उद्यम कंपनी हर्यूएल की चुकता इक्विटी पूंजी का 10.99% जारी किया जाना है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, गोरखपुर और सिंदरी इकाइयों में वाणिज्यिक उत्पादन क्रमशः 03.05.2022 और 15.04.2023 को शुरू हुआ।कंपनी भूमि एवं (55 वर्षों के लिए पट्टे पर दी गई) संपत्तियों के उपयोग और संबंधित अवसर लागत के बदले में HURL की 10.99% इक्विटी के इक्विटी शेयर प्राप्त करने की हकदार है। इसके बाद, 18.08.2025 को, कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुमोदन से पहले, HURL ने 10 रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य वाले 56,72,17,733 इक्विटी शेयर आवंटित किए और कंपनी के पक्ष में इन इक्विटी शेयरों को जमा कर दिया। इंड एएस 10 "रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ" के विपरीत, कंपनी ने 31 मार्च 2025 तक के अपने वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यम में उक्त निवेश और संबंधित आस्थगित पट्टा आय (देयता) को मान्यता नहीं दी है, और न ही गोरखपुर और सिंदरी इकाइयों के वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद अर्जित आय का हिसाब रखा है। परिणामस्वरूप, संयुक्त उद्यम में निवेश और संबंधित आस्थगित पट्टा आय (देयता) को 56727.77 लाख रुपये कम करके दर्शाया गया है। गोरखपुर और सिंदरी इकाइयों में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद अर्जित अतिरिक्त आय (56,721.77 लाख रुपये) और उसके परिणामस्वरूप होने वाले प्रभाव का कंपनी द्वारा अभी तक आकलन और लेखा-जोखा नहीं किया गया है। (नोट संख्या E देखें)।

2. वित्तीय विवरणों के नोट 9.1 में उल्लिखित अनुसार, कंपनी ने अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी के साथ हुए लेन-देन से उत्पन्न 7485.71 लाख रुपये (जिसमें 3,742.86 लाख रुपये का जीएसटी और 3,742.86 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है) की जीएसटी मांग के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल)इस सौदे में भूमि उपयोग अधिकार, उपयोगी परिसंपत्तियों और अवसर

लागत प्रदान करने के बदले इक्विटी शेयर जारी किए गए हैं। कंपनी को इस सौदे में प्रतिफल के रूप में 20,793.64 लाख रुपये की इक्विटी प्राप्त हुई है।

कंपनी ने उक्त जीएसटी मांग के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है; हालांकि, उसने न तो अपने दावे के समर्थन में कोई कानूनी राय प्राप्त की है और न ही यह साबित किया है कि संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना नगण्य है। हम यह भी ध्यान देते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने से पहले कंपनी चंडीगढ़ और नोएडा स्थित जीएसटी अधिकारियों के समक्ष दो पूर्व मूल्यांकन/अपीलीय चरणों में हार चुकी है।

हमारी राय में, (i) लेन-देन की प्रकृति और सार, (ii) पूर्व की कार्यवाही में जीएसटी अधिकारियों के निर्णय, और (iii) जीएसटी कानून के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, बैलेंस शीट की तिथि पर एक वर्तमान दायित्व मौजूद है। इसके अलावा, इंड एएस 37 - "प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां" के अनुसार, प्रावधान को तब मान्यता दी जानी आवश्यक है जब **(क)** एक वर्तमान दायित्व मौजूद हो। **(ख)** दायित्व, **(ग)** संसाधनों का बहिर्वाह होने की संभावना, और **(घ)** एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। इस स्थिति में, उपरोक्त सभी शर्तें पूरी होती हैं। तदनुसार, उक्त जीएसटी मांग के संबंध में प्रावधान किया जाना चाहिए था।

हम यह भी देखते हैं कि इसी मूल लेनदेन के लिए आयकर विभाग ने 8,145.13 लाख रुपये की मांग उठाई है, जिसके विरुद्ध कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय में इसी प्रकार एक रिट याचिका दायर की थी। पिछले वर्ष उक्त आयकर मांग को कानूनी राय द्वारा समर्थित एक आकस्मिक देयता माना गया था, जबकि चालू वर्ष में कंपनी ने उक्त आयकर मांग के लिए पूर्ण देयता को खातों में दर्ज कर लिया है, हालांकि माननीय उच्च न्यायालय में कार्यवाही अभी भी लंबित है।
यदि कंपनी ने उपर्युक्त जीएसटी देयता को स्वीकार किया होता, तो वर्ष के लिए कर पूर्व हानि 7,485.71 लाख रुपये अधिक होती और कुल इक्विटी 7,485.71 लाख रुपये कम होती। उपरोक्त राशियों में अब तक अर्जित ब्याज शामिल नहीं है।

**3.** गोरखपुर में नोट संख्या सी.4.(iv) में उल्लिखित अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार 268.335 एकड़ भूमि गोरखपुर के डीएम के नियंत्रण में दी गई है। इसके अतिरिक्त, 49 एकड़ भूमि पर निर्मित 215 क्वार्टरों को ध्वस्त करने के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार सैनिक विद्यालय का निर्माण किया गया है। चूंकि उपर्युक्त भूमि का स्वामित्व अब कंपनी के पास नहीं है, इसलिए 268.335 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के कारण हुई हानि का कंपनी द्वारा आकलन और प्रावधान नहीं किया गया है।

**4.** वर्ष के दौरान, कंपनी की सिंदरी इकाई ने आवासीय क्वार्टरों में रहने वाले किरायेदारों से प्राप्त सुरक्षा जमा राशि के विरुद्ध 8 से 12 वर्षों की अवधि से संबंधित लंबे समय से बकाया राशि का समायोजन करके 86.19 लाख रुपये की किराये की आय अर्जित की है। ये समायोजन पट्टे के विलेख, नवीनीकरण समझौते या कंपनी के ऐसे समायोजन करने के अधिकार को प्रमाणित करने वाले किसी भी दस्तावेज़ के अभाव में किए गए हैं।
हमारे विचार में, वास्तविक वसूली के पर्याप्त प्रमाण के बिना, चालू वर्ष में पूर्व अवधियों से संबंधित आय की मान्यता लागू इंड एएस 115 और इंड एएस 8 के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा, किरायेदार-वार सहायक दस्तावेज़ों की अनुपलब्धता के कारण, हम कंपनी के इस प्रकार के समायोजन करने के अधिकार पर टिप्पणी करने और वित्तीय विवरणों पर इस समायोजन के प्रभाव को निर्धारित करने में असमर्थ हैं।
यदि राजस्व को उचित रूप से मान्यता दी गई होती, तो वर्ष के लिए हानि ऐसे अपुष्ट समायोजनों की सीमा तक अधिक होती।इसके अलावा, इससे रिपोर्टिंग तिथि पर सुरक्षा जमा (देनदारियों) की शेष राशि भी अधिक हो जाती।

5. देनदारों, लेनदारों, अन्य पक्षों से देय शेष राशि और अग्रिम राशि की पुष्टि/समाधान लंबित है और 31 मार्च, 2025 को स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर परिणामी समायोजन के प्रभाव का इस स्तर पर पता नहीं लगाया ज सकता है। (नोट संख्या एफ.-3)

6. सिन्दरी इकाई में प्लैटिनम के बर्तनों, सोने के रसायनों और प्रयोगशाला के उपकरणों का 2583.04 ग्राम का अलेखांकित भंडार पाया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त, प्लैटिनम के सामान, सोने के रसायन, प्रयोगशाला के उपकरण आदि का अघोषित भंडार, अर्थात् 221.40 ग्राम, 524.44 ग्राम और 433.68 ग्राम, क्रमशः गोरखपुर, तालचर और रामागुंडम इकाइयों से सिंदरी इकाई में स्थानांतरित किया गया है। उपरोक्त भंडार का मूल्य कंपनी द्वारा लेखा-पुस्तकों में निर्धारित और दर्ज नहीं किया गया है। उपरोक्त का लेखा-जोखा न होने के कारण वर्ष के लिए परिसंपत्तियों का कम मूल्यांकन और हानि का अधिक मूल्यांकन हुआ है, जिसकी मात्रा और कंपनी के परिणामों पर इसके परिणामी प्रभाव का इस स्तर पर निर्धारण नहीं किया जा सकता है (नोट संख्या C 9.3 देखें)।

7. कंपनी ने प्रबंधन द्वारा ऐसे मामलों के परिणाम के आकलन के आधार पर, आकस्मिक देनदारियों के तहत विभिन्न लंबित मुकदमे और मध्यस्थता मामलों का खुलासा किया है। हालांकि, इन दावों के समर्थन में कोई स्वतंत्र कानूनी राय या बाहरी विशेषज्ञ मूल्यांकन प्राप्त नहीं किया गया था। ऐसे सहायक साक्ष्यों के अभाव में, हम यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे कि क्या लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे (इंड एएस 37 - प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां) के अनुसार वित्तीय विवरणों में इन मामलों के लिए किसी प्रावधान को मान्यता देना आवश्यक है। कार्यवाही की प्रकृति और स्थिति को देखते हुए, संभावित वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, तो वर्तमान में निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

8. क) हमने पाया कि कंपनी की सिंदरी इकाई ने वर्ष के दौरान 15.64 लाख रुपये का कानूनी खर्च दर्ज किया है, जिसे धनबाद स्थित झरिया सर्कल के डीसीएसटी के समक्ष पेश होने और याचिकाएं दाखिल करने के लिए पेशेवर शुल्क के रूप में बताया गया है। जांच करने पर यह पाया गया कि समान गतिविधियों और मूल्यांकन वर्षों के लिए कई बिल बनाए गए और बिना किसी सहायक दस्तावेज़ जैसे कि केस फाइलें, सुनवाई नोटिस या कार्यवाही की प्रतियां प्रस्तुत किए बार-बार भुगतान किए गए।

9. कंपनी ने इंड एएस 37 - प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां के अनुसार प्रावधानों के मिलान का खुलासा नहीं किया है। वित्तीय विवरणों के नोट्स में, प्रावधान के प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रारंभिक शेष, वर्ष के दौरान की गई वृद्धि, वर्ष के दौरान उपयोग/वापसी की गई राशि और रिपोर्टिंग तिथि पर समापन शेष प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरण इस हद तक अपूर्ण हैं और इंड एएस 37 की प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन नहीं करते हैं।

10. हम इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाते हैं कि वित्तीय विवरण निम्नलिखित औद्योगिक मानकों (इंड एएस) की कुछ आवश्यकताओं के पूर्ण अनुपालन के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं:

**(एच)** भारत 109-वित्तीय विवरण के रूप में, कंपनी के पास एक संयुक्त उद्यम कंपनी आरएफसीएल के इक्विटी शेयरों में निवेश है, जिसे वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आईएनडी के अनुसार - वित्तीय उपकरण जैसे इक्विटी निवेश को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाना आवश्यक है।

हालांकि, कंपनी ने न तो उक्त निवेश का उचित मूल्यांकन प्राप्त किया है, न ही बैलेंस शीट की तारीख पर कोई उचित मूल्य परिवर्तन दर्ज किया है। नतीजतन, यह निवेश अपनी मूल अंकित राशि पर किया जाता है और उचित मूल्यांकन के प्रभाव, यदि कोई हो, वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं की गई है। एक विश्वसनीय उचित मूल्यांकन के अभाव में, हम कंपनी की वित्तीय स्थिति और परिणामों पर इस प्रस्थान के संभावित प्रभाव का निर्धारण करने में असमर्थ हैं।

**(आई).** इंड-एएस 8 "लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां" के अनुसार, वित्तीय विवरणों को पूर्वव्यापी रूप से पुनर्कथनित करने के बजाय, मानो पिछली अवधि की त्रुटि कभी हुई ही न हो, चालू वर्ष की अन्य आय और अन्य व्यय में पिछली अवधियों की त्रुटियों की राशि के कारण क्रमशः 104.11 लाख रुपये और 63.09 लाख रुपये शामिल हैं। अनुचित वर्गीकरण के कारण कंपनी के परिणामों पर पड़ने वाले प्रभाव का कंपनी द्वारा आकलन नहीं किया जा सका है।

**(जे)** इंड-एएस 40 "निवेश संपत्ति" के अनुसार, सिंदरी, गोरखपुर, तालचर और केंद्रीय कार्यालय में विभिन्न किरायेदारों को पट्टे पर दी गई संपत्तियों को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करने के बजाय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। चूंकि अब इन संपत्तियों का उपयोग केवल किराये और पूंजी वृद्धि के लिए किया जाता है और इनका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति के लिए नहीं किया जाना है, इसलिए इंड-एएस 40 के अनुसार इन्हें निवेश संपत्ति के रूप में लेखांकित किया जाना चाहिए। अनुचित वर्गीकरण के कारण कंपनी के परिणामों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका है।

**(के)** आयकर अधिनियम 12 "आयकर" के अनुसार, वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों के वहन मूल्य और उनके संबंधित कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर के भविष्य के कर परिणामों के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का लेखांकन आवश्यक है। हालांकि, कंपनी ने वित्तीय विवरणों में किसी भी आस्थगित कर परिसंपत्ति या देनदारी का लेखांकन नहीं किया है। आस्थगित कर की मान्यता न लेने के प्रभाव का मात्रात्मक आकलन कंपनी द्वारा नहीं किया गया है।

**I)** इंड-एएस 105 "बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू संपत्तियां और बंद किए गए परिचालन" के अनुसार, नोट संख्या सी.8 में वर्णित है कि उपयोग में न आने वाली या बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों का मूल्यांकन बही मूल्य पर किया जाता है, क्योंकि इन संपत्तियों का उचित मूल्य और इन्हें बेचने की संबंधित लागत इस स्तर पर निर्धारित नहीं की जा सकती है, इसलिए एफएमवी और वहन लागत का अंतर, यदि कोई है, का निर्धारण एवं प्रावधान नहीं किया है।

**(एम)** इंड-एएस 37 - "प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्तियां" के अनुसार, प्रावधान तब मान्यता प्राप्त होगा जब:

iv) किसी इकाई पर किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या काल्पनिक) हो;

v) यह संभावना हो कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; और

vi) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

हमारे ऑडिट के दौरान, हमने कई ऐसे उदाहरण देखे जहां इन मान्यता मानदंडों को पूरा किया गया था, लेकिन कंपनी ने आवश्यकतानुसार प्रावधान नहीं किए थे। इनमें से कुछ उदाहरणों की रिपोर्ट और मात्रा का विवरण हमारी रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया है, जबकि कुछ अन्य मामलों में, कंपनी द्वारा वित्तीय प्रभाव की मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया है।

**(एन)** इंड एएस 36 "परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास" के अनुसार, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किसी इकाई को यह आकलन करना आवश्यक है कि क्या किसी परिसंपत्ति के मूल्यह्रास की संभावना है। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है, तो इकाई को परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना होगा, और यदि वहन मूल्य वसूली योग्य राशि से अधिक है, तो परिसंपत्ति का मूल्यह्रास तदनुसार किया जाना चाहिए।

हमारे ऑडिट के दौरान, हमने पाया कि कंपनी द्वारा कुछ ऐसी परिसंपत्तियों के संबंध में कोई मूल्यह्रास आकलन नहीं किया गया है, जिनमें मूल्यह्रास के संकेत मौजूद हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सिंदरी में, कंपनी/एसएआईएल द्वारा पट्टे पर ली गई भूमि पर बने फ्लैट ध्वस्त किए गए।

- सिंदरी में, फ्लैट और भूमि पर अनाधिकृत कब्जा या अतिक्रमण है।
- गोरखपुर में, गोरखपुर एसएसबी के कब्जे वाली भूमि है।
- कोरबा में, रेलवे ट्रैक गायब है।

ये परिस्थितियाँ मानक के अनुसार हानि संकेतकों को पूरा करती हैं, लेकिन कंपनी ने किसी भी प्रकार की हानि का मूल्यांकन या मान्यता नहीं दी है। कंपनी द्वारा संभावित हानि (यदि कोई हो) का परिमाण निर्धारित नहीं किया गया है।

**11.** निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन के उपचार के संबंध में कंपनी की लेखांकन नीति में कमी है, क्योंकि इसमें यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि ऐसे परिवर्तनों को इंड एएस 109 "वित्तीय उपकरण" की आवश्यकताओं के अनुसार लाभ और हानि विवरण या अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से मान्यता दी जानी है या नहीं।

**12.** लेखा नीति संख्या ए (XIII) के अनुसार, तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया देनदारों को असंभावित और संदिग्ध देनदार माना जाता है और इसके लिए 100% राशि का प्रावधान किया गया है। वर्ष के दौरान जारी किए गए इनवॉइस के कारण इन्हीं पक्षों से राजस्व की मान्यता प्राप्त हुई है, जबकि तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया और असंभावित मानी जाने वाली वसूली योग्य राशि की वसूली नहीं हुई है और इसके लिए 100% प्रावधान किया गया है। उपरोक्त राजस्व की मान्यता इंड-एएस 115 और लेखा नीति के विपरीत है, जिसमें कहा गया है कि "राजस्व को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ तक यह संभावना हो कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा"। चूंकि कंपनी पहले से बकाया राशि की वसूली करने में असमर्थ है और तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि को पहले ही असंभावित और संदिग्ध देनदार माना जा चुका है, इसलिए पहले से ही असंभावित और संदिग्ध माने गए पक्षों से अतिरिक्त राजस्व की मान्यता लेखा नीति और इंड-एएस 115 के विपरीत है।

**13.** वित्तीय विवरणों के नोट संख्या E में दिए गए विवरण के अनुसार, कंपनी ने अपने संयुक्त उद्यम, रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के साथ ₹ 20,793.64 लाख का एक लेनदेन किया है, जिसमें भूमि उपयोग अधिकार, परिसंपत्तियों और अवसर लागत के हस्तांतरण के बदले इक्विटी शेयर जारी किए गए हैं। इस लेनदेन के कुछ हिस्सों के संबंध में, वर्ष 2017-18 और 2021-22 के लिए क्रमशः ₹ 7500.91 लाख (जुर्माना सहित) और ₹ 644.21 लाख की आयकर मांगें उठाई गई हैं और कंपनी द्वारा इनके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है, हालांकि मामले माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित हैं। हालांकि, इसी व्यवस्था के शेष ₹ 4,490.00 लाख की इक्विटी के लिए कोई मांग नहीं उठाई गई है, और कंपनी ने इस संबंध में किसी भी प्रावधान या आकस्मिक देयता का खुलासा नहीं किया है। हमारी राय में, लेन-देन के इस हिस्से पर संभावित कर देयता का पर्याप्त खुलासा नहीं किया गया है, जो कि इंड एएस 37 - प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्ति की आवश्यकताओं से विचलन है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसार वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ अनुभाग में दिया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम एवं उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का भी निर्वाह किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी योग्य राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

**<u>प्रमुख लेखापरीक्षा मामले</u>**

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों पर समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में विचार किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से कोई राय नहीं देते हैं।

**विषय पर जोर**

1. हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या एफ-8 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो सिंदरी स्थित अपनी टाउनशिप में अनधिकृत रूप से कब्जे वाले फ्लैटों के नियमितीकरण के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा शुरू की गई माफी योजना का वर्णन करता है। जैसा कि नोट में कहा गया है, वर्ष के दौरान योजना को 31.03.2025 तक बढ़ा दिया गया है और योजना के तहत 35 आवेदकों से 111.52 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं, जो जांच के अधीन है और अस्थायी पट्टे के अनुदान के लिए बैलेंस शीट की तारीख तक कंपनी के प्रबंधन से अनुमोदन के लिए लंबित है। तदनुसार, संबंधित आय को इन वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई है। इसके अलावा पिछले वर्ष 2023-24 के दौरान 217 आवेदकों से 510.00 लाख रुपये प्राप्त हुए थे, जिसे 11 महीने के अस्थायी पट्टे देने पर वर्ष 2024-25 के लिए आय के रूप में हिसाब में लिया गया है। यह आय असाधारण प्रकृति की है तथा चालू वित्तीय वर्ष से पहले की अवधि से संबंधित है।

2. हम वित्तीय विवरणों के नोट एफ 9.2 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए गोरखपुर इकाई के लिए जीएसटी विभाग द्वारा 827.81 लाख रुपये (सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए 376.28 लाख रुपये और जुर्माने के रूप में 75.26 लाख रुपये) की मांग से संबंधित अनिश्चितता का वर्णन किया गया है। कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है क्योंकि अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील निर्धारित समय सीमा के भीतर दायर नहीं की जा सकी।

3. नोट संख्या F 7 की ओर ध्यान दिलाया जाता है कि वर्ष के दौरान, कंपनी की तालचर इकाई ने भूमि और पूर्व में पुनर्मूल्यांकित 5 मकानों को छोड़कर सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण हस्तांतरित कर दिए हैं। तदनुसार, पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में संबंधित शेष राशि 358.08 लाख रुपये को सीधे इक्विटी के अंतर्गत संचित आय में स्थानांतरित कर दिया गया है।
   यह हस्तांतरण इंड एएस 16 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अनुच्छेद 41 और 42) की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है। यह हस्तांतरण वर्ष के लाभ या हानि को प्रभावित नहीं करता है।

4. नोट संख्या सी.4 (iii) की ओर ध्यान दिलाया जाता है, गोरखपुर में 125 एकड़ भूमि सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को 55 वर्षों के लिए 518 लाख रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर पट्टे पर आवंटित की गई है। उपरोक्त का पट्टा विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है, और एसएसबी शुरुआत से ही पट्टे के किराए के भुगतान पर विवाद कर रहा है, इसलिए कंपनी द्वारा चालू वर्ष और पिछले वर्षों में कोई पट्टा किराया दर्ज नहीं किया गया है।

5. वित्तीय विवरणों के नोट संख्या C 1(iv) और (v) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है,
   **क)** सिंदरी यूनिट में 6548 निर्मित क्वार्टर हैं, जिनमें से 2695 क्वार्टर और 32.50 एकड़ भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है, अर्थात् इन क्वार्टरों का भौतिक कब्जा और नियंत्रण कंपनी के पास नहीं है। कंपनी ने सार्वजनिक परिसर बेदखली अधिनियम (पीपीई अधिनियम) के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और इस मद में किसी हानि की आशंका नहीं है।

   **ख)** वित्तीय विवरणों के नोट संख्या C 1(ii) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है,

46.862 एकड़ भूमि पर कब्जाधारियों के पास वैध पट्टा विलेख नहीं हैं, अर्थात् इन मामलों में या तो पट्टे उपलब्ध नहीं हैं या कई वर्षों से समाप्त हो चुके हैं। यद्यपि इन मामलों में भूमि यूनिट के भौतिक कब्जे और नियंत्रण में नहीं हैं, फिर भी कंपनी को इस मद में किसी हानि की आशंका नहीं है क्योंकि कंपनी इन पट्टा समझौतों के नवीनीकरण की प्रक्रिया में है।

6. वित्तीय विवरणों के नोट संख्या F 4 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में आयकर वापसी योग्य 1039.98 लाख रुपये (मूल्यांकन वर्ष 2020-21 में 426.36 लाख रुपये, मूल्यांकन वर्ष 2021-22 में 411.82 लाख रुपये और मूल्यांकन वर्ष 2022-23 में 201.81 लाख रुपये) शामिल हैं, जिन्हें आयकर विभाग द्वारा अन्य वर्षों के लिए मूल्यांकन के दौरान निर्धारित मांग के विरुद्ध समायोजित किया गया है। प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर उक्त वापसी राशि वसूली के लिए उपयुक्त मानी गई है।

7. नोट संख्या ए. III की ओर ध्यान दिलाया जाता है। कंपनी ने कानूनी राय के आधार पर यह माना है कि कंपनियों में कंपनी का निवेश लेखा मानक एएस-27 'संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग' में दिए गए "संयुक्त उद्यम" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि कंपनी उपर्युक्त कंपनियों की आर्थिक गतिविधियों पर संयुक्त नियंत्रण नहीं रखती है। अतः कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए हैं।

8. जैसा कि नोट संख्या F.6 में उल्लेख किया गया है, कंपनी के पास पक्षों की MSME स्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए, MSME को देय राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

**<u>अन्य मामले</u>**

**वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी**

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्वतंत्र वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं देते हैं। स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब भी हमें अन्य जानकारी उपलब्ध हो, हम उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्वतंत्र वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब भी हमें ऐसी अन्य जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत बयान है, तो हमें इस मामले को प्रबंधन के लिए जिम्मेदार लोगों को सूचित करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

**वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारियाँ**

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम की धारा ("134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जो कि भारत में आम तौर पर स्वीकृत इंड एएस और लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है, जिसमें अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार

पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहाँ लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए ज़िम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी ज़िम्मेदार होता है।

**वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ**

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, किसी भी प्रकार की भौतिक ग़लतबयानी से मुक्त हैं, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा किसी भौतिक ग़लतबयानी का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। ग़लतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं।

**हम भी:**

- वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करें, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और कार्यान्वित करें, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करें ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकनअनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

- लेखांकन के लिए प्रबंधन द्वारा चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय संशोधित करनी होगी। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त

लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करें, तथा यह भी देखें कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, वित्तीय विवरणों के किसी यथौचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की संभावना पैदा करती है। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम शासन के प्रभारी अधिकारियों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हैं।

हम शासन के प्रभारी अधिकारियों को यह भी बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में सूचित करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले माने जा सकते हैं, और जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी।

**अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट**

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, हम "अनुलग्नक ए" में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं, जहां तक लागू हो।

2. **अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:**

   क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे, सिवाय उन मामलों के जो हमारी लेखापरीक्षा के योग्य राय और महत्व के मामलों के आधार खंड में वर्णित हैं।

   ख) योग्य राय के आधार और मामले पर जोर देने के पैराग्राफ में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाता बही रखी गई है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है, सिवाय तालचेर, रामागुंडम इकाइयों और विपणन प्रभाग के, जहां लेखा सॉफ्टवेयर की मदद से खाता बही बनाए रखने के बजाय, एक्सेल स्प्रेड शीट पर पुस्तकें रखी जाती हैं।

   ग) इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, अन्य व्यापक आय सहित, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, योग्य राय के आधार और मामले के जोर पैराग्राफ में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, संबंधित खाता पुस्तकों के साथ सहमत हैं।

   घ) हमारी राय में, उपरोक्त योग्य राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामले का कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

ङ) योग्य राय के आधार अनुभाग में उल्लिखित मामलों के प्रभावों के अधीन, हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करता है, जिसे कंपनी नियम (लेखा), 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए, सिवाय उपरोक्त योग्य राय के आधार पैराग्राफ में रिपोर्ट किए गए इंड एएस के विचलन के।

च) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05-06-2015 के अनुसरण में, निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी पर लागू नहीं होती है।

छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया देखें। में हमारी अलग रिपोर्ट "अनुलग्नक बी"

ज) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया कि कंपनी केंद्रीय कार्यालय, नोएडा और सिंदरी, गोरखपुर और कोरबा परियोजना स्थलों पर स्थित अपनी इकाइयों में टैली लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपने खाते की पुस्तकों का रखरखाव करती है, जिसमें, जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी नियम (लेखा), 2014 के नियम 3(1) के तहत आवश्यक एक अंतर्निहित ऑडिट (लॉग-एडिट) ट्रेल-सुविधा शामिल है।

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमने पाया कि वर्ष के दौरान सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के दौरान सॉफ़्टवेयर के माध्यम से विभिन्न लेखांकन प्रविष्टियों को संशोधित या संशोधित किया गया था। हमें सूचित किया गया है कि प्रयुक्त लेखा सॉफ्टवेयर में ऑडिटट्रेल सुविधा को बनाए रखने की क्षमता है-; हालाँकि, हमने ऐसी सुविधा के विन्यास या संचालन का विस्तृत सिस्टमऑडिट नहीं किया। तदनुसार स्तरीय-, हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ यह निर्धारित करने के लिए डिज़ाइन नहीं की गई थीं कि ऑडिटट्रेल - सुविधा पूरे वर्ष निर्बाध रूप से संचालित रही या नहीं।

**3.** अधिनियम की धारा 197(16) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामले के संबंध में:

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी .आर.एस.463 (ई दिनांक (5 जून, 2015 के अनुसार, निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197, कंपनी पर लागू नहीं होती, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अधिनियम की धारा 197(16) के अंतर्गत अन्य विवरण निर्धारित नहीं किए हैं जिन पर हमें टिप्पणी करने की आवश्यकता है।

**4.** कंपनी नियम (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक), 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि संशोधित किया गया है, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

**क** (कंपनी ने 31 मार्च, 2025 तक अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के कारण अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा किया है; और

**ख** (कंपनी के पास कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसमें व्युत्पन्न अनुबंध भी शामिल थे, जिसके कारण कोई भी भौतिक पूर्वानुमानित हानि हुई हो; और

**ग** (ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक हो।

**घ)** कंपनी के प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है (नोट संख्या जी (ix) देखें), कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, कोई भी निधि जो) या तो उधार) अग्रिम या ऋण या निवेश

(व्यक्तिगत रुप से या समग्र रुप से भौतिक है ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थियों") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

**ङ.)** कंपनी के प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है (नोट संख्या जी (ix) देखें) कि, उनके सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से कोई धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से भौतिक है) प्राप्त नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("वित्त पोषण पक्ष") शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

**च)** हमारे द्वारा निष्पादित परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (डी) और (ई) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।

**6.** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत आवश्यकतानुसार, हम "परिशिष्ट - सी" में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर एक विवरण देते हैं।

**एम वर्मा एंड एसोसिएट्स के लिए**
**चार्टर्ड अकाउंटेंट्स**
**FRN 501433C**

**हस्ताक्षर**
**मोहेंदर गांधी**
**(भागीदार)**
**M.No.088396**

**स्थानः नई दिल्ली**
**दिनांक : 29.10.2025**

**UDIN: 25088396BMLKPN5771**

**अनुलग्नक 'ए'**

**केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143(11) के तहत जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट।**

हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुच्छेद 1 में "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के अंतर्गत संदर्भित।

**(i)**

**(क)**

**क.** कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले अभिलेख नहीं रख रही है।

**ख.** कंपनी अमूर्त आस्तियों का पूर्ण विवरण दर्शाने वाले अभिलेख नहीं रख रही है।

**(ख)**

- सिंदरी इकाई में हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों और सूचनाओं के अनुसार, कंपनी के पास 6548 निर्मित क्वार्टर हैं और इकाई द्वारा किए गए सत्यापन के अनुसार, 2695 क्वार्टरों पर निवासियों का अनाधिकृत रूप से कब्ज़ा है, अर्थात इन क्वार्टरों का भौतिक कब्ज़ा और नियंत्रण कंपनी के पास नहीं है। हालाँकि, लेखा बही-में कोई समायोजन दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी ने सार्वजनिक परिसर बेदखली रू कर दी है और इसके कारण कोई नुकसान होने की उम्मीद नहीं है।अधिनियम के तहत कार्रवाई शु (पीपीई)

- इसके अलावा, सिंदरी में, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार 32.50 एकड़ भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है और सार्वजनिक परिसर बेदखली अधिनियम (पीपीई) कार्रवाई शुरू की गई है और कंपनी द्वारा किसी नुकसान की उम्मीद नहीं है के तहत, इसलिए इस संबंध में कंपनी द्वारा कोई समायोजन नहीं किया गया है।

- इसके अलावा, 46.862 एकड़ ज़मीन पर बिना किसी वैध लीज़ डीड के ही कब्ज़ा है, यानी या तो लीज़ उपलब्ध नहीं हैं या कई साल पहले समाप्त हो चुके हैं। इस ज़मीन का भौतिक कब्ज़ा और नियंत्रण इकाई के पास नहीं है।

- 31-03-2025 तक 30.68 लाख रुपये मूल्य की "उपयोग में नहीं या बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियां" का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

- कोरबा में सत्यापन के दौरान यूनिट ने पाया कि कंपनी का रेलवे ट्रैक गायब है, तथापि कंपनी द्वारा नुकसान की मात्रा का पता नहीं लगाया गया है, इसलिए इसे लेखा पुस्तकों में समायोजित नहीं किया गया है।

- गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार, 268.335 एकड़ भूमि डीएम गोरखपुर के नियंत्रण में है। इसी में 49 एकड़ भूमि पर बने 215 क्वार्टरों को ध्वस्त करके, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश से सैनिक स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। चूँकि उपरोक्त भूमि का स्वामित्व अब कंपनी के पास नहीं है, फिर भी यह कंपनी की संपत्ति प्रतीत हो रही है और उपरोक्त भूमि से हुए नुकसान का कंपनी द्वारा आकलन और विवरण नहीं दिया गया है।

**(ग)** हमें प्राप्त पुष्टिकरण और प्रमाण पत्रों के अनुसार, स्वामित्व वाली सभी अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं। हालाँकि, हमारी टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

**(1)** तालचर में, 0.205 एकड़ भूमि जो भौतिक रूप से कंपनी के कब्जे में है, राजस्व अभिलेख में पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं और इसके लिए समझौता अभी निष्पादित किया जाना बाकी है।

**(2)** लखनऊ में कंपनी के पास 10733.1 वर्ग गज पट्टे पर ली गई भूमि है। अप्रैल 2025 के दौरान कंपनी ने पट्टे पर ली गई भूमि को स्वतंत्र स्वामित्व वाली भूमि में परिवर्तित करने के लिए 212.49 लाख रुपये का भुगतान किया है। अभिलेखों और हमें दी गई जानकारी के अनुसार, उक्त संपत्ति का स्वामित्व विलेख कुछ औपचारिकताओं के अनुपालन के बाद कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जाना बाकी है, जो प्रक्रियाधीन हैं।

**(घ)** कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्तियों या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

**(ङ)** बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत बेनामी संपत्ति रखने के लिए वर्ष के दौरान कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और न ही 31 मार्च, 2025 तक कोई कार्यवाही लंबित है।

**(ii)**

**(क)** हमारे पास उपलब्ध अभिलेखों और सूचनाओं के अनुसार, चूंकि इकाइयां बंद हैं, इसलिए सिंदरी संयंत्र में 174.79 लाख रुपये मूल्य के प्लैटिनम के भंडार के अलावा कोई भंडार नहीं है। हालांकि, हमारी टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

**(1)** सिंदरी इकाई में 2583.04 ग्राम प्लैटिनम के बर्तन, स्वर्ण रसायन और प्रयोगशाला उपकरणों का अघोषित भंडार दर्ज किया गया है। उपरोक्त अघोषित प्लैटिनम के बर्तन, स्वर्ण रसायन और प्रयोगशाला उपकरणों के अतिरिक्त, क्रमशः 221.40 ग्राम, 524.44 ग्राम और 433.68 ग्राम प्लैटिनम के बर्तन, स्वर्ण रसायन और प्रयोगशाला उपकरणों का भंडार गोरखपुर, तालचर और रामागुंडम इकाइयों से सिंदरी इकाई में स्थानांतरित किया गया है। उपरोक्त भंडार का मूल्य कंपनी द्वारा लेखा पुस्तकों में निर्धारित और दर्ज नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि कंपनी द्वारा रखे गए भंडार अभिलेख अपर्याप्त हैं।

उच्च मूल्य के अघोषित/अघोषित भंडार मदों की उपस्थिति से पता चलता है कि भंडार अभिलेखों का रखरखाव अपर्याप्त है और इसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

**(ख)** कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी समय बैंकों या वित्तीय संस्थानों से चालू परिसंपत्ति की सुरक्षा के आधार पर कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है, इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

**(iii)**

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारियों या किसी अन्य पक्ष को कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण के रूप में कोई अग्रिम, सुरक्षित या असुरक्षित, प्रदान नहीं किया है। हालाँकि, जैसा कि नोट संख्या B.12 में बताया गया है, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, FCIL की बंद इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए भारत सरकार द्वारा नामित सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से एक पुनर्वास योजना को मंजूरी दी गई थी और इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए संयुक्त उद्यम कंपनियों का गठन किया गया था। संयुक्त उद्यम कंपनियों और एफसीआईएल के बीच निष्पादित समझौतों की शर्तों के अनुसार, अवसर लागत, उपयोगी परिसंपत्तियों और संबंधित बुनियादी ढांचे सहित सुविधा क्षेत्र के संबंध में एफसीआईएल द्वारा रियायत देने के विचार में, एफसीआईएल को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के समय संयुक्त उद्यम कंपनियों में इक्विटी का एक निश्चित प्रतिशत मिलेगा। उपरोक्त समझौते के अनुसार, सिंदरी और गोरखपुर इकाइयों के संबंध में मेसर्स हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के 56,72,17,733 इक्विटी शेयर 18-08-2025 को जारी किए गए थे (हमारी रिपोर्ट के "योग्य राय के आधार" के बिंदु संख्या 1 का संदर्भ लें) और रामागुंडम इकाई के लिए पिछले वर्ष 20,79,36,400 इक्विटी शेयर जारी किए गए थे, जिसे रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार कंपनी के निवेश के रूप में माना गया है। हमारा मानना है कि इसके नियम और शर्तें कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल

नहीं हैं। चूंकि वर्ष के दौरान कोई अन्य निवेश नहीं हुआ है, इसलिए आदेश के खंड 3(iii)(ए) से 3(iii)(एफ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

**(iv)**

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण नहीं दिया है, निवेश नहीं किया है या गारंटी नहीं दी है जो अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अंतर्गत आती है।

**(v)**

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई जमा राशि या जमा मानी जाने वाली राशि स्वीकार नहीं की है। इसलिए, आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

**(vi)**

आदेश के खंड 3(vi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है, क्योंकि सभी इकाइयां बंद हैं और पिछले वर्षों से कोई उत्पादन नहीं हुआ है।

**(vii)**

**(क)** हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों की जाँच के आधार पर, कंपनी आमतौर पर कुछ विलम्बों के साथ, उचित प्राधिकारियों के पास निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित रही है, जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया शामिल हैं। 31 मार्च, 2025 तक, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर और उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया राशि के संबंध में कोई भी निर्विवाद राशि देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

**(ख)** हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट में हमारे द्वारा बताई गई टिप्पणियों को छोड़कर, 31.03.2025 तक विवाद के कारण जमा नहीं की गई वैधानिक देनदारियां इस प्रकार हैं-:

| क़ानून का नाम | बकायों की प्रकृति | राशि ( राशि लाख में) | वह अवधि जिससे राशि संबंधित है | वह मंच जहाँ विवाद लंबित है |
|---|---|---|---|---|
| बिक्री कर अधिनियम | बिक्री कर (गोरखपुर) | 0.41 | 1979-80 | उच्च न्यायालय, इलाहाबाद |
| बिक्री कर अधिनियम | बिक्री कर (गोरखपुर) | 0.32 | 1981-82 | उच्च न्यायालय, इलाहाबाद |
| बिक्री कर अधिनियम | बिक्री कर (तालचेर) | 1.12 | 1991-92 | सहायक बिक्री कर आयुक्त, कटक, ओडिशा |
| बिक्री कर अधिनियम | बिक्री कर (तालचेर) | 1.15 | 1991-92 | सहायक बिक्री कर आयुक्त, कटक, ओडिशा |
| नगर निगम | संपत्ति कर (कोरबा) | 82.20 | 2017-18 | स्थानीय प्राधिकारी |
| मध्य प्रदेश सरकार वन वृद्धि मुआवजा | मुआवजा (कोरबा) | 8.66 | 1975-76 | स्थानीय प्राधिकारी |
| स्थानीय प्राधिकरण | भू-राजस्व | 3.52 | 2002-03 | स्थानीय प्राधिकारी |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (कोरबा) | | | | |
| आयकर अधिनियम | कॉर्पोरेट आयकर | 7500.91 | 2017-18 | दिल्ली उच्च न्यायालय |
| आयकर अधिनियम | कॉर्पोरेट आयकर | 644.21 | 2021-22 | (सीआईटी अपील) |
| ईपीएफओ | ईपीएफओ सरचार्ज माँग<br>सिंदरी<br>रामगुंडम | 131.82*<br>43.51 | 2022-23 | ईपीएफओ |
| माल एवं सेवा कर अधिनियम | वस्तु एवं सेवा कर (गोरखपुर) | 827.81 | 2017-18 | उच्च न्यायालय, इलाहाबाद |
| माल एवं सेवा कर अधिनियम | वस्तु एवं सेवा कर (गोरखपुर) | 1.76 | 2019-20 | उच्च न्यायालय, इलाहाबाद |
| माल एवं सेवा कर अधिनियम | वस्तु एवं सेवा कर (नोएडा) | 7485.70 | 2017-18 to 2021-22 | उच्च न्यायालय, इलाहाबाद |
| आयकर | विदेशी तकनीशियन | 19.14 | | आयकर |
| बिक्री कर अधिनियम | केंद्रीय बिक्री कर (सिंदरी) | 5.42 | 1983-84 | जेसीसीटी, धनबाद |
| बिक्री कर अधिनियम | बीएसटी(सिंदरी) | 1.73 | 1985-86 | जेसीसीटी, धनबाद |
| बिक्री कर अधिनियम | बीएसटी(सिंदरी) | 5.08 | 1987-88 | जेसीसीटी, धनबाद |
| बिक्री कर अधिनियम | बीएसटी(सिंदरी) | 0.14 | 1991-92 | जेसीसीटी, धनबाद |
| बिक्री कर अधिनियम | बीएसटी(सिंदरी) | 0.38 | 1991-92 | सीसीटी, रांची |
| बिक्री कर अधिनियम | केंद्रीय बिक्री कर (सिंदरी) | 54.93 | 1991-92 | जेसीसीटी, धनबाद |
| बिक्री कर अधिनियम | केंद्रीय बिक्री कर (सिंदरी) | 6.47 | 1991-92 | एसीसीटी, रांची |
| बिक्री कर अधिनियम | बीएसटी(सिंदरी) | 0.99 | 1991-92 | एसीसीटी, रांची |
| बिक्री कर अधिनियम | बीएसटी(सिंदरी) | 0.09 | 1992-93 | जेसीसीटी, धनबाद |
| बिक्री कर अधिनियम | बीएसटी(सिंदरी) | 0.91 | 1992-93 | सीसीटी, रांची |
| बिक्री कर अधिनियम | केंद्रीय बिक्री कर (सिंदरी) | 74.38 | 1992-93 | जेसीसीटी, धनबाद |
| बिक्री कर | केंद्रीय बिक्री कर (सिंदरी) | 5.37 | 1992-93 | सीसीटी, रांची |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| अधिनियम | | | | |
| बिक्री कर अधिनियम | बीएसटी(सिंदरी) | 0.13 | 1993-94 | जेसीसीटी, धनबाद |
| बिक्री कर अधिनियम | बीएसटी(सिंदरी) | 2.85 | 1993-94 | जेसीसीटी, धनबाद |
| बिक्री कर अधिनियम | केंद्रीय बिक्री कर (सिंदरी) | 75.87 | 1993-94 | जेसीसीटी, धनबाद |
| बिक्री कर अधिनियम | बीएसटी(सिंदरी) | 29.37 | 1994-95 | जेसीसीटी, धनबाद |
| बिक्री कर अधिनियम | बीएसटी(सिंदरी) | 61.02 | 1994-95 | सीसीटी, रांची |
| बिक्री कर अधिनियम | केंद्रीय बिक्री कर (सिंदरी) | 104.03 | 1994-95 | जेसीसीटी, धनबाद |
| बिक्री कर अधिनियम | केंद्रीय बिक्री कर (सिंदरी) | 0.93 | 1994-95 | सीसीटी, रांची |
| बिक्री कर अधिनियम | बीएसटी(सिंदरी) | 15.05 | 1995-96 | जेसीसीटी, धनबाद |
| बिक्री कर अधिनियम | बीएसटी(सिंदरी) | 6.08 | 1995-96 | सीसीटी, रांची |
| बिक्री कर अधिनियम | बीएसटी(सिंदरी) | 26.71 | 1995-96 | सीसीटी, रांची |
| बिक्री कर अधिनियम | केंद्रीय बिक्री कर (सिंदरी) | 1.50 | 1995-96 | जेसीसीटी, धनबाद |
| बिक्री कर अधिनियम | केंद्रीय बिक्री कर (सिंदरी) | 2.56 | 1995-96 | सीसीटी, रांची |
| बिक्री कर अधिनियम | बीएसटी(सिंदरी) | 8.83 | 1996-97 | जेसीसीटी, धनबाद |
| बिक्री कर अधिनियम | बीएसटी(सिंदरी) | 12.89 | 1996-97 | सीसीटी, रांची |
| बिक्री कर | केंद्रीय बिक्री कर (सिंदरी) | 1.72 | 1996-97 | जेसीसीटी, धनबाद |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| अधिनियम | | | | |
| बिक्री कर अधिनियम | बीएसटी(सिंदरी) | 13.42 | 1997-98 | जेसीसीटी, धनबाद |
| बिक्री कर अधिनियम | बीएसटी(सिंदरी) | 0.48 | 1997-98 | जेसीसीटी, धनबाद |
| बिक्री कर अधिनियम | केंद्रीय बिक्री कर (सिंदरी) | 0.63 | 1997-98 | जेसीसीटी, धनबाद |
| बिक्री कर अधिनियम | बीएसटी(सिंदरी) | 25.91 | 1998-99 | जेसीसीटी, धनबाद |
| बिक्री कर अधिनियम | केंद्रीय बिक्री कर (सिंदरी) | 0.90 | 1998-99 | सीसीटी, रांची |
| बिक्री कर अधिनियम | बीएसटी(सिंदरी) | 29.30 | 1999-00 | सीसीटी, रांची |
| बिक्री कर अधिनियम | केंद्रीय बिक्री कर (सिंदरी) | 45.50 | 1999-00 | सीसीटी, रांची |
| बिक्री कर अधिनियम | बीएसटी(सिंदरी) | 0.27 | 1999-00 | सीसीटी, रांची |
| बिक्री कर अधिनियम | बीएसटी(सिंदरी) | 667.23 | 2000-01 | सीसीटी, रांची |
| बिक्री कर अधिनियम | केंद्रीय बिक्री कर (सिंदरी) | 462.25 | 2000-01 | सीसीटी, रांची |
| बिक्री कर अधिनियम | केंद्रीय बिक्री कर (सिंदरी) | 102.65 | 2000-01 | सीसीटी, रांची |
| बिक्री कर अधिनियम | बीएसटी(सिंदरी) | 94.95 | 2001-02 | सीसीटी, रांची |
| बिक्री कर अधिनियम | केंद्रीय बिक्री कर (सिंदरी) | 304.36 | 2001-02 | सीसीटी, रांची |
| बिक्री कर अधिनियम | बीएसटी(सिंदरी) | 4.67 | 2002-03 | सीसीटी, रांची |
| बिक्री कर | केंद्रीय बिक्री कर (सिंदरी) | 5.08 | 2002-03 | सीसीटी, रांची |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| अधिनियम | | | | |
| बिक्री कर अधिनियम | बीएसटी(सिंदरी) | 55.89 | 2002-03 | सीसीटी, रांची |
| बिक्री कर अधिनियम | केंद्रीय बिक्री कर (सिंदरी) | 38.98 | 2002-03 | सीसीटी, रांची |
| बिक्री कर अधिनियम | बीएसटी(सिंदरी) | 15.56 | 2003-04 | सीसीटी, रांची |
| बिक्री कर अधिनियम | केंद्रीय बिक्री कर (सिंदरी) | 57.76 | 1993-94 | सीसीटी, रांची |
| *** इसमें ईपीएफओ द्वारा जब्त बैंक खाते में रखी गई 84.29 लाख रुपये की राशि भी शामिल है।** | | | | |

**(viii)**

पहले से अलिखित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

**(ix)**

**(क)** कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है; इसलिए किसी भी ऋणदाता से लिए गए ऋणों या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान या उन पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं है। अतः आदेश के खंड 3(ix)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

**(ख)** कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है। इसलिए आदेश के खंड 3(ix) **(ख)** के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

**(ग)** कंपनी ने कोई सावधि ऋण नहीं लिया है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix) **(ग)** के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

**(घ)** कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, कंपनी द्वारा कोई अल्पकालिक निधि नहीं जुटाई गई है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix) **(घ)** के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

**(ङ)** हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों और स्पष्टीकरण की समग्र जांच से पता चला कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्व को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix) **(ई)** के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

**(च)** कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix) **(च)** के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

**(x)** **क)** कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है, इसलिए आदेश के खंड 3(x)(a) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

**ख)** वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक रूप से) नहीं किया है, इसलिए आदेश के खंड 3(x)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

**(xi)** क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है और न ही कंपनी पर कोई धोखाधड़ी वर्ष के दौरान देखी गई है या रिपोर्ट की गई है।

**ख)** हमें दी गई जानकारी, अभिलेख और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है और न ही इसकी सूचना दी गई है, इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के तहत प्रपत्र एडीटी-4 पर रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं है।

**ग)** हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और अभिलेख के अनुसार, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत/सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

**(xii)**

कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड )xii)(a), (b) और )c) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

**(xiii)**

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम-, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और जिनका विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

**(xiv)** **(क)** वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई है।
**(ख)** इसलिए वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई है; रिपोर्ट हमारे विचारार्थ उपलब्ध नहीं हैं।

**(xv)**

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई भी गैरलेनदेन न नकद-हीं किया है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

**(xvi)**

कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xvi)(a),(b),(c) और )d) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

**(xvii)**

कंपनी को हमारे लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है, इसलिए, आदेश के खंड 3(xvii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

**(xviii)**

वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी वैधानिक लेखापरीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xviii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

**(xix)**

वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों से जुड़ी अन्य सूचनाओं और निदेशक मंडल तथा प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी तथा मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जाँच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कोई भी भौतिक

अनिश्चितता मौजूद है जो यह दर्शाती हो कि कंपनी अपनी वर्तमान देनदारियों को, जो बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होंगी, चुकाने में सक्षम नहीं है।

हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियाँ कंपनी द्वारा देय होने पर चुका दी जाएँगी।

(xx) **(क)** नीचे दिए गए हमारे अवलोकन को छोड़कर, चालू परियोजनाओं के अलावा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत कोई भी अव्ययित राशि नहीं है जिसके लिए उक्त अधिनियम की स्वीकृति 135 की उपधारा (5) के द्वितीय परंतुक के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरण की आवश्यकता हो।

**(ख)** चालू परियोजनाओं के संबंध में, पूर्व वित्तीय वर्ष के अंत में और वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में कोई भी अव्ययित शेष राशि नहीं थी जिसके लिए उक्त अधिनियम की स्वीकृति 135 की उपधारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में किसी विशेष खाते में हस्तांतरण की आवश्यकता हो।

**(xxi)**

कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3(xxi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग इस वर्ष के लिए लागू नहीं है।

**एम वर्मा एंड एसोसिएट्स के लिए**
**चार्टर्ड अकाउंटेंट्स**
**FRN 501433C**

**हस्ताक्षर**
**मोहेंदर गांधी**
**(भागीदार)**
**M.No.088396**

**स्थान: नई दिल्ली**
**दिनांक: 29.10.25**
**UDIN: 25088396BMLKPN5771**

**अनुलग्नक-'ख'**

**कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।**

दिनांक के अनुसार, भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड (एफसीआईएल) के सदस्यों को दी गई हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अनुच्छेद 3(जी) में संदर्भित।

हमने 31 मार्च, 2025 तक भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड (एफसीआईएल) ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के साथ-साथ 31 मार्च, 2025 तक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षा किया है।

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी**

कंपनी का निदेशक मंडल, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है। इन ज़िम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक रूप से अपनी परिसंपत्तियों के व्यवस्थित और कुशल संचालन, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

**लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी**

हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करें। हमने अपनी ऑडिट भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिटिंग पर मार्गदर्शन नोट औ ("मार्गदर्शन नोट")र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानक के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिटिंग पर लागू सीमा तक, की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार, यह आवश्यक है कि हम वित्तीय रिपोर्टिंग पर नैतिक रूप से पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और रखरखाव का पालन करें और सुनिश्चित करें कि ये नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमज़ोरी के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

**वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो **(1)** उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण के साथ, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रू-प से दर्शाते हैं; **(2)** यह

उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की - आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं तैयारी की अनुमति देने के लिए, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं जिनका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है।

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सीमाएँ**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं चल पाता। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री कम हो सकती है।

**योग्य राय**

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय कार्यालय और इकाइयों में हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, तथा कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर, आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए; भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित, 31-03-2025 तक निम्नलिखित कमज़ोरियोंआंशिक / रूप से प्रभावी नियंत्रणों की पहचान की गई है:

1. यह देखा गया है कि कंपनी के पास सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज आय की आवधिक पहचान के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है, जो उसकी कुल आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाली जमाओं पर प्राप्त ब्याज को छोड़कर, कंपनी बैंकों से प्राप्त प्रमाणपत्रों के आधार पर केवल वित्तीय वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज का लेखाजोखा रखती है। इसी प्रकार-, ऐसी ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती भी आवधिक लेखांकन और समाधान की - वह परिपक्व हो या चालू जमाओं पर चाहे - (टीडीएस) संरचित प्रक्रिया के बजाय, केवल वर्ष के अंत में फॉर्म 26AS के आधार पर मान्यता प्राप्त होती है।
   इस प्रथा के परिणामस्वरूप, रिपोर्टिंग तिथि को छोड़कर, पूरे वर्ष ब्याज आय, प्राप्य टीडीएस और संबंधित वित्तीय परिसंपत्तियों को बारबार कम करके दिखाया जाता है। आय और संबंधित कर क्रेडिट-, दोनों के समय पर उपार्जन और मान्यता के लिए एक व्यवस्थित आंतरिक प्रक्रिया का अभाव, राजस्व मान्यता और कर लेखांकन पर नियंत्रणों के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता में कमी को दर्शाता है।

2. कंपनी के निवेश संचालन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहे थे। विशेष रूप से, 31 मार्च, 2025 तक, कंपनी ने निजी क्षेत्र के बैंकों में निर्धारित 6% की सीमा से अधिक, यानी 6.1% तक, सावधि जमा रसीदों (एफडीआर) में निवेश किया था। इसके अलावा, कंपनी ने ऐसे निवेश करने से पहले उचित जांच-पड़ताल या नियामक अनुपालन जांच (जैसे पूंजी पर्याप्तता, निवल संपत्ति और एनपीए मानदंड) को प्रमाणित करने वाले पर्याप्त दस्तावेज़ नहीं रखे थे। इन कमियों के कारण भारी वित्तीय जोखिम और आंतरिक एवं नियामक अपेक्षाओं का उल्लंघन हो सकता है।

3. कंपनी के पास अपनी अचल संपत्तियों, विशेषकर निष्क्रिय संपत्तियों की निगरानी और सुरक्षा के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है। समय पर मूल्यह्रास मूल्यांकन का अभाव और सिंदरी स्थित फ्लैटों और जमीन पर लंबे समय तक अनाधिकृत कब्जा, अचल संपत्तियों पर नियंत्रण के डिजाइन और संचालन में महत्वपूर्ण कमियों को दर्शाता है। हमारी राय में, संपत्ति सुरक्षा और मूल्यह्रास की पहचान से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं।

4. सिंद्री स्थित कंपनी की इकाई को विभिन्न व्यावसायिक संपत्तियों के किराये से अच्छी खासी आय प्राप्त होती है। हमने पाया है कि कंपनी के पास किराये की प्राप्तियों और पट्टा समझौतों तथा वास्तविक वसूली के बीच मिलान करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है। इस खामी के कारण राजस्व की पहचान में त्रुटियां या चूक हो सकती हैं, जिससे वित्तीय विवरणों में दर्ज किराये की आय की सटीकता प्रभावित हो सकती है।

5. इकाइयों और परिचालन कार्यालयों में रखे गए जीएसटी खातों का मिलान केवल वर्ष के अंत में किया जाता है। जीएसटी खातों का नियमित अंतराल पर मिलान न होने और केवल वर्ष के अंत में मिलान होने के कारण कई प्रविष्टियाँ केवल वर्ष के अंत में ही दर्ज की जाती हैं, जो कमजोर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को दर्शाती हैं।

6. सिंदरी, तालचेर, गोरखपुर और रामागुंडम इकाइयों में प्लैटिनम के सामान, सोने के रसायन और प्रयोगशाला के बर्तनों आदि की बेहिसाब सूची पाई गई है। इकाइयों में बड़ी मात्रा में बेहिसाब सूची का पाया जाना अपर्याप्त हीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कोअस्तित्व/अपर्याप्त/अस्तित्वहीन सूची रिकॉर्ड और कमज़ोर/दर्शाता है।

7. रामागुंडम और तालचर में खातों की पुस्तकों को स्वचालित संतुलन और स्वतः मिलान करने वाले लेखांकन सॉफ़्टवेयर की सहायता से रखने के बजाय एक्सेल स्प्रेडशीट की सहायता से अभिलेख रखे जाते हैं। उपर्युक्त इकाइयों का वित्तीय डेटा एक्सेल स्प्रेडशीट के माध्यम से संकलित किया जाता है। खातों की उचित पुस्तकों का न होना आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में कमी को दर्शाता है।

8. सिंदरी में, कई परिसंपत्तियों और देनदारियों के शीर्षों के आरंभिक शेष पिछले वर्षों के समापन शेषों से मेल नहीं खा रहे थे। इसके अलावा, कुछ प्राप्य खातों में दोहरी प्रविष्टियाँ देखी गईं, जिन्हें हमारी रिपोर्टिंग के बाद ठीक कर दिया गया और यह कमज़ोर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की उपलब्धियों पर ऊपर वर्णित कमजोरियों के संभावित प्रभाव को छोड़कर, कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय विवरणों के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर थे; जैसा कि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में कहा गया है।

हमने कंपनी के 31-03-2025 को समाप्त वर्ष के लिए हमारे ऑडिट में लागू ऑडिट परीक्षण की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और बताई गई कमजोरियों पर विचार किया है, और ये कमजोरियां कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) के तहत कंपनी के वित्तीय विवरण पर हमारी राय को प्रभावित करती हैं जैसा कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट के पैराग्राफ "योग्य राय के आधार" में बताया गया है।

**एम वर्मा एंड एसोसिएट्स के लिए**
**चार्टर्ड अकाउंटेंट्स**
**FRN - 501433C**

**हस्ताक्षर**
**मोहेंदर गांधी**
**पार्टनर**
**मो संख्या .088396**

**स्थाननई दिल्ली :**
**दिनांक :29.10.25**
**UDIN: 25088396BMLKPN5771**

**अनुलग्नक "सी"**

| क्रमांक | निर्देश | जवाब |
|---|---|---|
| 1. | कर्मचारियों के सेवानिवृत्तिपश्चात लाभों के लिए कंपनी द्वारा या ट्रस्टों - के माध्यम से सीधे किए गए सभी निवेशों, उद्धृत और अउद्धृत, दोनों का उचित मूल्यांकन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, भारतीय लेखा मानक के साथ संगति सुनिश्चित (इंड अकाउंटेंट्स) करना और सहायक दस्तावेज़ों की समीक्षा शामिल है। लेखा परीक्षक मूल्यांकन पद्धति, उसकी तर्कसंगतता और लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त नोट प्रदान करेगा, और किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या गलत विवरण की रिपोर्ट करेगा। | कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप से या किसी ट्रस्ट के माध्यम से सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी लाभ के लिए कोई निवेश नहीं किया है।<br><br>31.03.2025 तक कंपनी के निवेश में मुख्य रूप से सावधि जमा रसीदें ( एफडीआर)) और भूमि उपयोग, परिसंपत्तियों के उपयोग और अवसर लागत के बदले में जारी किए गए रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड के शेयरों में निवेश शामिल है, जो सामान्य प्रयोजन जमा / निवेश हैं और सेवानिवृत्ति के बाद के के लिए निर्धारित नहीं हैं।दायित्वों<br><br>तदनुसार, **सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए निवेश का उचित मूल्यांकन लागू नहीं होता है।** |
| 2. | क्या कंपनी के पास सभी लेखा लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की कोई प्रणाली मौजूद है? यदि हाँ, तो क्या इस प्रणाली और नियंत्रण की समीक्षा की गई है, जो कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के साथ साथ-साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और यदि कोई भौतिक विसंगतियाँ पाई गई हैं, तो उनकी उचित रूप से रिपोर्ट की गई है?<br><br>आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर प्रभाव के साथसाथ वित्तीय प्रभाव-, यदि कोई हो, की रिपोर्ट की जा सकती है। | कंपनी, सिंदरी, गोरखपुर और कोरबा इकाई में लेखापुस्तकों का रखरखाव - की "प्राइम-टैली" लेखा सॉफ्टवेयर सहायता से कर रही है।<br><br>इसके अलावा, तालचर और रामागुंडम इकाइयों और विपणन प्रभाग में, लेखा अभिलेखों का रखरखाव ऑटो बैलेंसिंग और स्वसमाधान सॉफ्टवेयर की - सहायता से करने के बजाय, एक्सेल स्प्रेड शीट पर किया जा रहा है।<br><br>इसके अलावा, किराए पर दी गई संपत्तियों का किराया भी आईटी प्रणाली के माध्यम से नहीं, बल्कि एक्सेल शीट के माध्यम से दर्ज किया जाता है। चूँकि किराए के बकाया में विभिन्न पक्षों से पिछले कई वर्षों का बकाया किराया शामिल है, इसलिए |

| | | |
|---|---|---|
| | | किसी भी त्रुटि का प्रभाव निश्चित नहीं है।<br><br>इसके अलावा, हमारी समीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि कंपनी ने साइबर सुरक्षा ढाँचा स्थापित नहीं किया है। कंपनी के आईटी परिवेश का नियमित रूप से भेद्यता मूल्यांकन या प्रवेश परीक्षण नहीं किया जाता है, और साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया तंत्र का दस्तावेजीकरण या परीक्षण नहीं किया जाता है। कंपनी अनधिकृत पहुँच और डेटा हानि से संबंधित संभावित जोखिमों के प्रति संवेदनशील है। |
| **3.** | क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि (अनुदान, सब्सिडी आदि) का लेखा-जोखा लागू लेखा मानकों या मानदंडों के अनुसार उचित रूप से किया गया था और क्या प्राप्त धनराशि का उपयोग उसकी शर्तों और नियमों के अनुसार किया गया था? क्या प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखा-जोखा अनुदान की शर्तों और नियमों के अनुसार किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएं। | यह लागू नहीं है क्योंकि वर्ष के दौरान कोई अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई। |
| **4.** | क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान कर ली है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है? यदि हाँ, तो (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा संपत्तियों की पहचान कर ली है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया गया है? | हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार, कंपनी ने प्रमुख जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान नहीं की है। |
| **5.** | क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और एसईबीआई, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सीईआरटी-आईएन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन कर रही है? यदि नहीं, तो उल्लंघन के मामलों को उजागर किया जाए। | हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार, कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग की आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है। |

एम वर्मा एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन - 501433सी

हस्ताक्षर
मोहेंदर गांधी
पार्टनर
मो संख्या .088396

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.10.2025

# लेखापरीक्षा महानिदेशक
# (कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन), नई दिल्ली

**गोपनीय**

**क्रमांक 1372-पी.डी.ए.सी.आई(ए.एफ.डब्ल्यू.आर)/एएमजी-आई/ए/सीएस/एफसीआईएल/2025-26/5661**

**दिनांक:- 23/12/2025**

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड,
पीडीआईएल भवन, (पांचवीं मंजिल) ए-14, सेक्टर-1,
नोएडा-201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)

**विषयः भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय खातों पर 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए टिप्पणियाँ।**

महोदय,

इस पत्र के साथ, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के वित्तीय खातों पर टिप्पणियाँ भेजी जा रही हैं।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीया,

हस्ताक्षर/-
(तान्या सिंह),
प्रधान लेखापरीक्षा महानिदेशक,
केंद्रीय व्यय
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)

संलग्न :
यथोपरि

**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ।**

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह कार्य उन्होंने अपनी 29 अक्टूबर 2025 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखापरीक्षा किया है। यह पूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों के कार्यपत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं।

**ए. प्रॉफिटेबिलिटी पर कमेंट्स**
**ए-1 सभी वर्तमान देनदारियाँ**
**अल्पकालिक प्रावधान (नोट-18) ₹ 9.86 करोड़**

उपरोक्त में लखनऊ विकास प्राधिकरण को देय ₹2.11 करोड़ की राशि शामिल नहीं है, जो लीज किराए के बकाया, बकाया लीज किराए पर ब्याज और एफसीआईएल को आवंटित लीजहोल्ड प्लॉट पर निर्माण न करने के लिए जुर्माने के रूप में देय है। यह इंड एएस 37 के प्रावधान के अनुसार एक निश्चित देयता है और कंपनी ने इस देयता को स्वीकार कर लिया है, लेकिन वित्तीय विवरणों में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप व्यय (प्रावधान) में कमी आई है और परिणामस्वरूप वर्ष के लिए हानि में ₹2.11 करोड़ की कमी आई है।

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से**

**हस्ताक्षर/-**
**(तान्या सिंह)**
**प्रधान लेखापरीक्षा महानिदेशक, केंद्रीय व्यय**
**(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)**

**स्थान: नई दिल्ली**
**दिनांक: 23.12.2025**

## वर्ष 2024-25 के लिए सी एंड एजी की टिप्पणी और प्रबंधन का उत्तर

**अल्पकालिक प्रावधान (नोट-18)₹ 9.86 करोड़**

| प्र.सं | सीएजी टिप्पणी | प्रबंधन द्वारा उत्तर |
|---|---|---|
| ए<br><br>ए 1 | **लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ**<br>**वर्तमान देनदारियां**<br><br>उपरोक्त में लखनऊ विकास प्राधिकरण को देय ₹2.11 करोड़ की राशि शामिल नहीं है, जो लीज किराए के बकाया, बकाया लीज किराए पर ब्याज और एफसीआईएल को आवंटित लीजहोल्ड प्लॉट पर निर्माण न करने के लिए जुर्माने के रूप में देय है। यह इंड एएस 37 के प्रावधान के अनुसार एक निश्चित देयता है और कंपनी ने इस देयता को स्वीकार कर लिया है, लेकिन वित्तीय विवरणों में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप व्यय (प्रावधान) में कमी आई है और परिणामस्वरूप वर्ष के लिए हानि में ₹2.11 करोड़ की कमी आई है। | दिसंबर 1983 में, लखनऊ स्थित भूमि 30 वर्षों के पट्टे पर ली गई थी (जिसे आगे 90 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता था) और निर्माण कार्य 3 वर्षों के भीतर यानी दिसंबर 1986 तक शुरू किया जाना था। लेकिन एफसीआईएल ने न तो 1996 के बाद वार्षिक पट्टा किराया चुकाया और न ही निर्माण कार्य शुरू किया, इसलिए पट्टा समझौते के अनुसार दिसंबर 2013 में पट्टा समाप्त हो गया।<br><br>हालांकि, लगातार संपर्क के बाद, लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) अप्रैल 2025 में भूखंड को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने के लिए सहमत हो गया, बशर्ते कि शेष पट्टे के किराए और गैर-निर्माण शुल्क आदि के रूप में 2.12 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाए। 2.12 करोड़ रुपये का भुगतान अप्रैल 2025 में किया गया था। इसलिए ये भुगतान न तो भूमि के उपयोग के लिए वार्षिक किराया है और न ही चालू पट्टे के अनुबंध के लिए जुर्माना, बल्कि भूमि के फ्रीहोल्ड अधिकार प्राप्त करने के लिए एकमुश्त सहमत भुगतान है।<br><br>इस प्रकार, यह भुगतान भूमि अधिकार के अधिग्रहण/नियमितीकरण से अविभाज्य है और यह आवर्ती परिचालन व्यय नहीं है।<br><br>उपरोक्त के आधार पर, हम मानते हैं कि संपूर्ण निपटान राशि सीधे तौर पर अंतर्निहित भूमि अधिकारों को सुरक्षित करने से संबंधित है और इसलिए इसे इंड एएस16 के अनुसार 2025-26 के दौरान भूमि की लागत में शामिल किया जाना चाहिए। अतः, 31.03.2025 को बहीखातों में कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं थी।<br><br>इस प्रकार, व्यय (प्रावधान) में कोई कमी नहीं है और परिणामस्वरूप वर्ष के लिए 2.11 करोड़ रुपये की हानि में कोई कमी नहीं है। |

**दि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड**
**31.03.2025 तक तुलन पत्र**

**(लाखों में रुपये)**

| विवरण | नोट नं. | वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2024-25 के अंत में आंकड़े | पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत तक के आंकड़े |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **संपत्ति**<br>**1)गैर-चालू संपत्तियाँ** | | | |
| **क)** संपत्ति, संयंत्र और उपकरण | 1 | 578.60 | 1,355.08 |
| **ख)** प्रगति पर पूंजीगत कार्य | 1 (ए) | 3,012.83 | 1,397.77 |
| **ग)** गैर- **चालू** निवेश | 2 | 20,795.86 | 20,795.86 |
| **घ**) दीर्घकालिक ऋण | 3 | - | - |
| **ई)** अन्य गैर- **चालू** परिसंपत्तियाँ | 4 | 1,755.40 | 1,463.48 |
| बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू संपत्तियों को वर्गीकृत किया गया है। | 10 | 30.68 | 91.22 |
| **कुल गैर-चालू संपत्तियाँ (ए)** | | 26,173.37 | 25,103.41 |
| **2) चालू संपत्ति** | | | |
| **क**) माल-सूची | 5 | 174.79 | 174.79 |
| **ख**)वित्तीय परिसंपत्तियाँ | | | |
| i) व्यापार प्राप्य | 6 | 162.68 | 126.28 |
| ii) नकद और नकद समकक्ष | 7 | 201.25 | 144.77 |
| iii) बैंक बैलेंस | 7A | 50,002.43 | 38,136.41 |
| iv) अन्य वित्तीय संपत्तियाँ | 7B | 7,485.99 | 15,200.00 |
| v) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम | 8 | 268.93 | 1,130.21 |
| **ग)** अन्य चालू परिसंपत्तियाँ | 9 | 2,453.57 | 2,252.80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **कुल चालू परिसंपत्तियाँ (बी)** | | 60,749.64<br><br>60,749.64 | 57,165.26<br><br>57,165.26 |
| **कुल संपत्ति (ए+बी)** | | 86,923.01 | 82,268.67 |
| | **नोट नं.** | **मौजूदा रिपोर्टिंग पीरियड 2024-25 के आखिर तक के आंकड़े** | **पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत तक के आंकड़े** |
| **इक्विटी और देयता** | | | |
| **<u>हिस्सेदारी</u>** | | | |
| **क)** इक्विटी शेयर पूंजी | 11 | 75,092.39 | 75,092.39 |
| **ख)** अन्य इक्विटी | 12 | (4,540.80) | (89.49) |
| **कुल इक्विटी (ए)** | | 70,551.59 | 75,002.90 |
| **देयताएं** | | | |
| **1) गैर-चालू देनदारियाँ** | | | |
| क) वित्तीय देनदारियां | | | |
| **i) व्यापार देयताएँ** | | | |
| **ii) उधार** | | | |
| **क)** सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया राशि। | | | |
| **ख)** सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि | | | |
| | 13 | 431.14 | 553.60 |
| | | | |
| **ग)** दीर्घकालिक प्रावधान | 14 | 8,175.81 | 62.45 |
| **घ)** अस्थगित कर देनदारियाँ (निवल) | - | - | - |
| **इ)** अन्य गैर-चालू देनदारियाँ | 15 | 6,390.84 | 5,586.31 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **कुल गैर-वर्तमान देनदारियाँ** | | **14,997.79** | **6,202.36** |
| **2) वर्तमान देनदारियाँ** | | | |
| **(क)** वित्तीय देनदारियाँ | | | |
| उधारी | | | |
| व्यापार देयताएँ | **16** | **3.29** | **2.63** |
| **(ख)** अन्य चालू देनदारियां | **17** | **384.60** | **830.18** |
| **(ग)** अल्पकालिक प्रावधान | **18** | **985.74** | **230.60** |
| **कुल चालू देनदारियां** | | **1,373.63** | **1,063.41** |
| **कुल देयताएँ (बी)** | | **16,371.42** | **7,265.77** |
| **कुल इक्विटी और देनदारियां (ए+बी)** | | **86,923.01** | **82,268.67** |

**नोट संख्या 1 से 25 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।**

| हस्ताक्षर | हस्ताक्षर | हस्ताक्षर | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| (एस.एस. शेखावत) | (नरेश आर्य) | (अनीता सी. मेश्राम) | (सीएस मोनिका आहूजा) |
| विशेष कार्य अधिकारी | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | कंपनी सचिव |
| डीनः 09351163 | डीनः 10627329 | डीनः 09351163 | एम.नं.ए -56411 |

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
एम. वर्मा और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन - 501433सी

**हस्ताक्षर/-**
मोहेंदर गांधी
साथी
एम.नं. 088396
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.10.2025
**यूडी आई एन. 25088396BMLKPN5771**

**दि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड**
**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण**
**(लाख में रुपए)**

| विवरण | नोट नं. | मौजूदा रिपोर्टिंग पीरियड 2024-25 के आखिर तक के आंकड़े | पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत तक के आंकड़े |
|---|---|---|---|
| **परिचालन से राजस्व** | | | |
| **अन्य कमाई** | 19 | 7,304.03 | 6,446.74 |
| **कुल राजस्व (I+II)** | | **7,304.03** | **6,446.74** |
| **खर्च** | | | |
| कर्मचारी लाभ व्यय | 20 | **22.71** | **17.33** |
| वित्तीय लागत | 21 | **0.30** | **0.55** |
| मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | 22 | **9.30** | **9.08** |
| अन्य खर्चों | 23 | **9,180.04** | **1,329.87** |
| **कुल व्यय (IV)** | | **9,212.35** | **1,356.83** |
| **असाधरण मदों और कर से पहले लाभ/(हानि)** | | **-1,908.32** | **5,089.91** |
| **कर से पहले लाभ/हानि** | | **-1,908.32** | **5,089.91** |
| असाधारण वस्तुएँ | | **-** | **-** |
| **कर से पहले लाभ** | | **-1,908.32** | **5,089.91** |
| **कर व्यय** | | | |
| **वर्तमान कर** | | **1,610.00** | **1,210.00** |
| **आस्थगित कर** | | **-** | **-** |
| **पिछले वर्ष का कर** | | **-** | **95.05** |
| **परिचालन गतिविधियों से अवधि के लिए लाभ/हानि** | | **-3,518.32** | **3,784.86** |
| **अन्य व्यापक आय** | | **-** | **-** |
| **वे मदें जिन्हें लाभ और हानि श्रेणी में पुनः** | | **-** | **-** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **वर्गीकृत नहीं किया जाएगा** | | | |
| **परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मूल्यांकन हानियाँ** | | - | - |
| आयकर का प्रभाव | | - | - |
| **अवधि के लिए कुल व्यापक आय** | | - | - |
| **प्रति इक्विटी शेयर आय (निरंतर परिचालन के लिए)** | | | |
| **(क)** मूल | **24** | -46.85 | 50.40 |
| **(ख)** द्रवीय | | -46.85 | 50.40 |
| **नियमित सूचनाओ, महत्वपूर्व लेखा नीतियां और संदर्भित अनुसूचियां** | **25** | | |
| | | | |

| हस्ताक्षर | हस्ताक्षर | हस्ताक्षर | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| (एस.एस. शेखावत) | (नरेश आर्य) | (अनीता सी. मेश्राम) | (सीएस मोनिका आहूजा) |
| विशेष कार्य अधिकारी | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | कंपनी सचिव |
| डीनः 09351163 | डीनः 10627329 | डीनः 09351163 | एम.नं.ए -56411 |

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
एम. वर्मा और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन - 501433सी

हस्ताक्षर
मोहेंदर गांधी
साथी
एम.नं. 088396
**यूडी आई एन. 25088396BMLKPN5771**

## दि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
## 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रुपए लाखों में)

| विवरण | | 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|---|
| **परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | | |
| **असाधारण आय से पहले कर-पूर्व शुद्ध लाभ** | | (1,908.32) | 5,089.91 |
| **निम्न के लिए समायोजन:-** | | | |
| वर्ष के लिए मूल्यह्रास | | 9.30 | 9.08 |
| अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ | | (1.93) | - |
| ब्याज आय | | (4,492.04) | (3,975.80) |
| अन्य गैर परिचालन आय | | (435.34) | (885.27) |
| पूर्व व्यय अवधि | | (41.02) | 64.75 |
| **चालू/गैर-चालू आस्तियों और देनदारियों से पहले परिचालन लाभ** | | (6,869.35) | 303.70 |
| **निम्न के लिए समायोजन:-** | | | |
| व्यापार देयताओं में वृद्धि/(कमी) | | (121.80) | (4.08) |
| प्रावधानों में वृद्धि/(कमी) | | 8,868.50 | (66.57) |
| दीर्घकालिक देनदारियों में वृद्धि/(कमी) | | - | - |
| अन्य चालू देनदारियों में वृद्धि/(कमी) | | 358.95 | 2,244.66 |
| गैर चालू ऋण और अग्रिमों में बढ़ोतरी/(कमी) | | - | - |
| व्यापार प्राप्य में कमी/(वृद्धि) | | (36.40) | 92.82 |
| माल-सूची में कमी/(वृद्धि) | | - | - |
| ऋण और अग्रिम में कमी/(वृद्धि) | | 861.28 | (33.39) |
| अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि) | | (231.38) | 47.13 |
| अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि) | | (200.77) | (579.34) |
| **परिचालन से उत्पन्न नकदी** | | **2,629.03** | **2,004.93** |
| कर का भुगतान/रिफंड | | (1,150.00) | (1,629.00) |
| | | | |
| | | | |
| **परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह** | | **1,479.03** | **375.93** |
| | | | |
| **निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | | |
| अचल संपत्तियों/स्क्रैप की बिक्री से प्राप्त आय | | 435.34 | 881.59 |
| अचल संपत्तियों की खरीद | | (106.04) | (3.94) |
| सीडब्ल्यूआईपी में निवेश | | (1,615.06) | (409.68) |
| 3 महीने से ज़्यादा की मैच्योरिटी वाले | | (4,152.01) | (4,537.99) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| एफडीआर में निवेश | | | |
| प्राप्त ब्याज | | 4,015.21 | 3,444.10 |
| गैर-चालू निवेशों की खरीद | | . | - |
| **निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह** | | (1,422.56) | (625.92) |
| | | | |
| **वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | | |
| इक्विटी शेयरों से प्राप्त आय | | - | - |
| पूंजी और ऋणों का मोचन | | - | - |
| ब्याज/ लाभांश भुगतान | | - | - |
| | | | |
| **वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी** | | - | - |
| | | | |
| नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/कमी (ए+बी+सी) | | 56.48 | (249.99) |
| प्रारंभिक नकद और नकद समतुल्य | | 144.77 | 394.76 |
| | | | |
| समापन नकद और नकद समतुल्य | | 201.25 | 144.77 |
| नकद और नकद समकक्ष का समाधान | | | |
| बैंकों के साथ बैलेंस | | | |
| चालू खाते | | 198.82 | 143.60 |
| फ्लेक्सी जमा खाता | | - | - |
| हाथ में नकद | | 2.43 | 1.17 |
| तुलन-पत्र के अनुसार नकद और नकद शेष | | 201.25 | 144.77 |

| हस्ताक्षर | हस्ताक्षर | हस्ताक्षर | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| (एस.एस. शेखावत) | (नरेश आर्य) | (अनीता सी. मेश्राम) | (सीएस मोनिका आहूजा) |
| विशेष कार्य अधिकारी | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | कंपनी सचिव |
| डीनः 09351163 | डीनः 10627329 | डीनः 09351163 | एम.नं.ए -56411 |

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
एम. वर्मा और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन - 501433सी

हस्ताक्षर
मोहेंदर गांधी
साथी
एम.नं. 088396
यूडी आई एन.
**25088396BMLKPN5771**

**31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण**
**कंपनी का नाम: दि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड**

**ए. इक्विटी शेयर पूंजी**

| दिनांक 01.04.2024 तक शेष राशि | वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | दिनांक 31.03.2025 तक शेष राशि | दिनांक 31.03.2023 तक शेष राशि | वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | दिनांक 31.03.2024 तक का शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 75092.39 | - | 75092.39 | 75092.39 | - | 75092.39 |

**बी. अन्य इक्विटी**
**वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ**

| | आरक्षित और अधिशेष | | अन्य व्यापक मदें आय | |
|---|---|---|---|---|
| | सामान्य आरक्षित (नोट 12 देखें) | संचित आय (नोट 12 देखें) | इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स अन्य के माध्यम से व्यापक आय (नोट 12 देखें) | कुल |
| दिनांक 01.04.2024 तक का शेष | 81.61 | -1481.62 | 1310.52 | -89.48 |
| लेखांकन नीति/पिछली अवधि में परिवर्तन | - | - | - | - |
| त्रुटियाँ | - | - | - | - |
| रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्निर्धारित शेष | 81.61 | -1481.62 | 1310.52 | -89.49 |
| रिपोर्टिंग अवधि | | | | |
| वर्ष का लाभ | -3,518.32 | - | -3518.32 | -3,518.32 |
| अन्य व्यापक आय (कर रहित) | - | - | - | - |
| वर्ष की कुल व्यापक आय | -3,518.32 | - | -3,518.32 | -3,518.32 |
| अन्य परिवर्तन (निर्दिष्ट किए | 358.08 | -1,291.07 | -932.99 | 358.08 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| जाने हैं) | | | | |
| दिनांक 31.03.2025 तक का शेष | **81.61** | **-4,641.86** | **19.45** | **-4540.80** |

*** वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से निकाली गई राशि**

| | **आरक्षित और अधिशेष** | | **अन्य व्यापक मदें आय** | |
|---|---|---|---|---|
| | **सामान्य आरक्षित** | **प्रतिधारित कमाई** | **इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स अन्य के माध्यम से व्यापक** | **कुल** |
| दिनांक 01.04.2023 का शेष | **81.61** | **-5174.07** | **1274.92** | **-3817.54** |
| लेखांकन नीति/पिछली अवधि में परिवर्तन | - | - | - | - |
| त्रुटियाँ | - | - | - | - |
| रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्निर्धारित शेष | **81.61** | **-5,174.07** | **1,274.92** | **-3817.54** |
| रिपोर्टिंग अवधि | | | | |
| वर्ष का लाभ | | **3,784.86** | - | **3,784.86** |
| अन्य व्यापक आय (कर रहित) | - | - | - | - |
| वर्ष की कुल व्यापक आय | | **3,784.86** | | **3,784.86** |
| अन्य परिवर्तन (निर्दिष्ट किए जाने हैं) | | | **-56.81** | **-56.81** |
| दिनांक 31.03.2024 का | **81.61** | **-1,389.21** | **1218.11** | **-89.49** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| शेष | | | | |

| हस्ताक्षर | हस्ताक्षर | हस्ताक्षर | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| (एस.एस. शेखावत) | (नरेश आर्य) | (अनीता सी. मेश्राम) | (सीएस मोनिका आहूजा) |
| विशेष कार्य अधिकारी | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | कंपनी सचिव |
| | डीनः 10627329 | डीनः 09781436 | एम.नं.ए -56411 |

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
एम. वर्मा और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन - 501433सी

हस्ताक्षर
मोहेंदर गांधी
साथी
एम.नं. 088396
स्थानः नई दिल्ली
दिनांक - 29-10-2025
यूडी आई एन. **25088396BMLKPN5771**

## संपत्ति , संयंत्र और उपकरण

(रुपये लाख में)

| विवरण | पट्टे पर भूमि | पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि | सड़कें और पुलिया | भवन | जल प्रणाली , सीवरेज और जल निकासी | विविध उपकरण | फर्नीचर स्थिरता और कार्यालय उपकरण | संयंत्र और मशीनरी (कॉम) | विद्युत संस्थान नगरपालिका | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31 मार्च, 2023 को** | | | | | | | | | | | |
| **लागत या अनुमानित लागत** | 181.37 | 308.54 | 233.39 | 2794.92 | 141.57 | 1.03 | 11.68 | 22.27 | 13.17 | 0 | 3707.94 |
| परिवर्धन | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.94 | - | - | 3.94 |
| निपटान/समायोजन | - | - | - | - | - | - | -0.61 | - | - | - | -0.61 |
| बिक्री के लिए रखा गया के रूप में वर्गीकृत | | | | | | | | | | | |
| **31 मार्च 2024 को** | 181.37 | 308.54 | 233.39 | 2794.92 | 141.57 | 1.02 | 11.07 | 26.21 | 13.17 | - | 3711.26 |
| परिवर्धन | 105.96 | - | - | - | - | - | 0.08 | - | - | - | 106.04 |
| निपटान/समायोजन | - | - | -184.19 | -1979.33 | -51.17 | - | - | - | - | - | -2214.69 |
| बिक्री के लिए रखा गया के रूप में वर्गीकृत | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **31 मार्च, 2025 को** | 287.33 | 308.54 | 49.2 | 815.59 | 90.4 | 1.02 | 11.15 | 26.21 | 13.17 | - | 1602.61 |
| **संचित मूल्यह्रास / हानि** | | | | | | | | | | | |
| **31 मार्च, 2023 को** | 79.49 | - | 227.28 | 1803.44 | 141.49 | 1 | 7.37 | 17.65 | 13.17 | - | 2290.89 |
| वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क | 1.76 | - | - | 4.43 | - | - | 0.7 | 2.19 | - | - | 9.08 |
| निपटान/समायोजन | - | - | - | | - | - | -0.61 | - | - | - | -0.61 |
| पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यह्रास | | | | 56.81 | | | | | | | 56.81 |
| बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों पर संचित मूल्यह्रास | | | | | | | - | | | | 0 |
| सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| **31 मार्च, 2024 को** | 81.25 | .- | 227.28 | 1864.68 | 141.49 | 1 | 7.46 | 19.84 | 13.17 | - | 2356.17 |
| वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क | 3.77 | - | - | 1.7 | - | - | 0.49 | 3.35 | - | - | 9.3 |
| पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यह्रास | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | 0.67 |
| निपटान/समायोजन | - | - | -178.08 | -1,112.95 | -51.11 | - | - | - | - | - | -1342.14 |
| बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों पर संचित मूल्यह्रास | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| **31 मार्च, 2025 को** | 85.02 | 0 | 49.2 | 754.1 | 90.38 | 1 | 7.95 | 23.19 | 13.17 | - | 1024 |
| **31 मार्च, 2025 को** | 202.32 | 308.54 | 0 | 61.49 | 0.02 | 0.02 | 3.2 | 3.02 | - | - | 578.6 |
| **शुद्ध वहन मूल्य** | | | | | | | | | | | |
| **31 मार्च, 2024 को** | 100.11 | 308.54 | 6.11 | 930.24 | 0.08 | 0.03 | 3.61 | 6.37 | 0 | 0 | 1355.08 |

**नोट -1**

## नोट 1(ए)

(राशि लाख में)

**पूंजी-कार्य-प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)**

| | किसी अवधि के लिए CWIP में राशि | | | | कुल* |
|---|---|---|---|---|---|
| सीडब्ल्यूआईपी | एक वर्ष से कम | एक से दो साल | दो से तीन साल | तीन साल से अधिक | |
| प्रगति पर परियोजनाएँ | 1615.06 | 1212.59 | 185.18 | 0 | 3012.83 |
| अस्थायी रूप से परियोजनाएं निलंबित | | | | | |

**31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट**

## नोट 2

**गैर चालू निवेश**

**(रुपये लाख में)**

| विवरण | वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2024-25 के आखिर तक के आंकड़े | पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत तक के आंकड़े |
|---|---|---|
| **लंबी अवधि का निवेश** | | |
| **इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश** | | |
| **गैर-व्यापार निवेश (लागत पर, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो - उद्धत नहीं किया गया)** | **0.10** | **0.10** |
| कर्मचारी सहकारी भंडार लिमिटेड में पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर | **(0.05)** | **(0.05)** |
| कम: दीर्घावधि निवेश के मूल्य में कमी के लिए उद्धृत | **0.05** | **0.05** |
| **संयुक्त उद्यम कंपनियों में व्यापार निवेश (लागत पर गैर उद्धृत)** | | |
| | **0.50** | **0.50** |
| तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (पहले राष्ट्रीय कोल गैस फर्टिलाइजर लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) के पूर्ण | **1.67** | **1.67** |

| | | |
|---|---|---|
| प्रदत्त 5,000 इक्विटी @Rs.10 प्रति शेयर, पूरी तरह से पेड अप इक्विटी शेयर<br>हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर 16,667 शेयर @Rs.10 हर शेयर।<br>रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर 20,79,36,400 @ रु.10 प्रति शेयर (पिछले वर्ष 20,79,36,400 @ रु.10 प्रति शेयर) अन्य मामलों के अलावा विचारार्थ जारी किए गए। | **20,793.64** | **20,793.64** |
| **कुल** | **20,795.86** | **20,795.86** |
| गैर उद्धत न किए गए निवेश का कुल मूल्य दीर्घकालिक निवेश के मूल्य में कमी का एकत्रीकरण | 20,795.86<br>0.05 | 20,795.86<br>0.05 |

**नोट 3**

**दीर्घकालिक ऋण**

**(रुपये लाख में)**

| **विवरण** | **वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2024-25 के आखिर तक के आंकड़े** | **पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत तक के आंकड़े** |
|---|---|---|
| **जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, असुरक्षित को सुरक्षित माना जाता है** | | |
| **(ए) ऋण और अग्रिम** | | |
| कर्मचारी को गृह निर्माण ऋण | 0.31 | 0.31 |
| घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | (0.31) | (0.31) |

**नोट 4**

**अन्य गैर - चालू संपत्ति**

| **विवरण** | **वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2024-25 के आखिर तक के आंकड़े** | **पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत तक के आंकड़े** |
|---|---|---|
| **(क) अग्रिम** | | |

| | | |
|---|---|---|
| पूर्तिकर्ता (संदिग्ध) | 340.50 | 338.68 |
| घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान | (340.50) | (338.68) |
| पूर्तिकर्ता (अच्छे माने जाने वाले) | - | - |
| कर्मचारी (अच्छे माने जाने वाले) | 0.41 | 0.85 |
| अन्य (संदिग्ध माने जाने वाले) | 56.79 | 56.77 |
| घटाएँ: संदिग्ध एडवांस के लिए प्रावधान | (56.79) | (56.77) |
| अन्य (अच्छे माने जाने वाले) | 16.76 | 20.30 |
| सरकारी प्राधिकारियों/अन्य के पास जमा करें (अच्छा माना जाता है) | 37.13 | 37.81 |
| सरकारी प्राधिकारियों/अन्य के पास जमा (संदिग्ध माना जाता है) | 0.24 | 0.24 |
| घटाएँ: संदिग्ध जमाराशियों के लिए प्रावधान | (0.24) | (0.24) |
| किराये की बकाया राशि | 0.12 | 0.91 |
| आयकर और टीडीएस (प्रावधान के बाद) | - | 65.25 |
| वापसी योग्य आयकर | 1,178.94 | 1,039.98 |
| **कुल (ए)** | **1,233.36** | **1,165.10** |

**ख) अन्य-जमा राशियां**

**(रुपये लाख में)**

| **विवरण** | **वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2024-25 के आखिर तक के आंकड़े** | **पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत तक के आंकड़े** |
|---|---|---|
| सावधि जमा खाते (सुविधा निधि) | 114.77 | 106.90 |
| चालू खाता II (सुविधा निधि) | 5.37 | 5.38 |
| जमा (आबकारी विभाग के पास | 1.44 | 38.14 |

| | | |
|---|---|---|
| गिरवी) | | |
| किराया बकाया (संदिग्ध माना जाता है) | 935.54 | 995.71 |
| घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | (935.54) | (995.71) |
| अन्य (संदिग्ध माना जाता है) | 51.56 | 50.61 |
| घटाएँ: संदिग्ध बकाया के लिए प्रावधान | (51.56) | (50.61) |
| लीज़ रेंट - पूर्व कर्मचारी | 0.04 | 0.05 |
| किराया बकाया (अच्छा माना जाता है) | 196.37 | 191.40 |
| घटाएँ: संदिग्ध बकाया के लिए प्रावधान | (78.62) | (71.41) |
| किराया/पानी और बिजली शुल्क-पीडीआईएल | 26.20 | 26.20 |
| जमाराशियों पर अर्जित ब्याज | 0.87 | 1.72 |
| **ACC (रेलवे साइडिंग/अन्य) से मिलने वाली रकम** | **255.60** | **-** |
| **कुल (बी)** | **522.04** | **298.38** |
| **कुल योग (a+b)** | **1,755.40** | **1,463.48** |

**नोट 5**

**सूची**

**(लाख रुपये में)**

| **विवरण** | **वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2024-25 के आखिर तक के आंकड़े** | **पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत तक के आंकड़े** |
|---|---|---|
| **(प्रबंधन द्वारा सत्यापित और प्रमाणित)** | | |
| क) पैकिंग समाग्री (लागत पर मूल्यांकित) | 0.78 | 0.78 |

| | | |
|---|---|---|
| कम- अप्रचलन के लिए प्रावधान | (0.78) | (0.78) |
| | - | - |
| | | |
| ख) स्टोर और पुर्जों (लागत पर मूल्यांकित) | - | - |
| मार्गस्थ माल | - | - |
| **कुल** | **174.79** | **174.79** |

**नोट 6**

**व्यापार और अन्य प्राप्य**

**(रुपये लाख में)**

| **विवरण** | **वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2024-25 के आखिर तक के आंकड़े** | **पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत तक के आंकड़े** |
|---|---|---|
| भुगतान के लिए देय होने की तारीख से छह महीनों से अधिक के बकाया प्राप्त | | |
| असुरक्षित अच्छा माना गया है | 162.68 | 124.98 |
| असुरक्षित संदिग्ध माना गया है | 1,777.59 | 1,781.91 |
| घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | (1,777.59) | (1,781.91) |
| इनपुट (जीएसटी) क्रय प्राप्य | - | 1.30 |
| **कुल** | **162.68** | **126.28** |

| **व्यापार प्राप्य उम्र बढ़ने अनुसूची** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31 मार्च 2025 तक बकाया** | | | | | | |
| **विवरण** | **6 महीने से कम** | **6 महीने से 1 वर्ष तक** | **1-2 वर्ष** | **2-3 वर्ष** | **3 वर्ष से अधिक** | **कुल** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(i)** - निर्विवाद व्यापार प्राप्य<br>- अच्छे माने गये<br>- जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है<br>- ऋण हानि | 0<br><br>0 | <br><br>38.16<br><br>0.00 | <br><br>116.27<br><br>3.35 | <br><br><br>3.60 | <br><br><br>0.84<br><br>0.46 | <br><br>154.43<br><br>7.79<br><br>0.46 |
| उप-योग (i) | 0 | 38.16 | 119.62 | 3.60 | 1.30 | 162.68 |
| उप-योग (i+ii) | 0 | 38.16 | 119.62 | 3.60 | 1.30 | 162.68 |
| _**(ii) -** विवादित व्यापार प्राप्य<br>- अच्छे माने गये<br>- जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है<br>- ऋण हानि<br><br>दोहरे ऋणों के लिए प्रावधान | | <br>0<br>0<br>0 | <br><br>0.00<br><br>0 | <br><br>0.00 | <br><br><br><br>1781.91<br><br>-1781.91 | <br><br>0.00<br><br>0<br><br>1781.91<br><br>-1781.91 |
| उप-योग (ii) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **कुल (i+ii)** | **0** | **38.16** | **119.62** | **3.60** | **1.30** | **162.68** |

| **31 मार्च 2024 तक बकाया** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **विवरण** | **6 महीने से कम** | **6 महीने से 1 वर्ष तक** | **1-2 वर्ष** | **2-3 वर्ष** | **3 वर्ष से अधिक** | **कुल** |
| **(i)** - निर्विवाद व्यापार प्राप्य<br>- अच्छे माने गये | 0.00 | 116.48 | | 0 | | 116.48 |
| - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0 | 0.84 | 8.04 |
| - ऋण हानि | | | | | 0.46 | 0.46 |
| उप-योग (i) | 0.00 | 120.08 | 3.60 | 0.00 | 1.30 | 124.98 |
| **(i)** - विवादित व्यापार प्राप्य<br>- अच्छे माने गये | | 0.00 | 1.30 | | | 1.30 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है | | 0 | | | | 0.00 |
| - ऋण हानि | | | | | 1781.91 | 1781.91 |
| | | | | | | - |
| दोहरे ऋणों के लिए प्रावधान | | | | | -1781.91 | 1781.91 |
| उप-योग (ii) | | 0.00 | 1.30 | 0 | 0 | 1.30 |
| कुल (i+ii) | 0.00 | 120.08 | 4.90 | 0.00 | 1.30 | 126.28 |

**नोट 7**

**नकद और नकद के समान**

**(रुपये लाख में)**

| **विवरण** | **वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2024-25 के आखिर तक के आंकड़े** | **पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत तक के आंकड़े** |
|---|---|---|
| **बैंकों के साथ बैलेंस** | | |
| चालू खाते | 198.82 | 143.60 |
| 12 महीने के लिए मूल परिपक्वता वाले सावधि जमा खाते (सुविधा निधि) | 114.77 | 106.90 |
| गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत प्रकटित राशि | -114.77 | -106.90 |
| हस्तथ नगद | 2.43 | 1.17 |
| **कुल** | **201.25** | **144.77** |

**नोट 7ए**

**अन्य बैंक बैलेंस**

**(रुपये लाख में)**

| **विवरण** | **वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2024-25 के आखिर तक के आंकड़े** | **पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत तक के आंकड़े** |
|---|---|---|
| | | |
| **अन्य बैंक बैलेंस** | | |
| सावधि जमा खाते जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम है | - | - |
| 12 महीने के लिए मूल परिपक्वता वाले सावधि | 50,002.43 | 38,136.41 |

| | | |
|---|---|---|
| जमा खाते | | |
| **कुल** | **50,002.43** | **38,136.41** |

**नोट 7बी**

**अन्य वित्तीय संपत्तियाँ**

| **विवरण** | **वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2024-25 के आखिर तक के आंकड़े** | **पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत तक के आंकड़े** |
|---|---|---|
| | | |
| 12 महीने के लिए मूल परिपक्वता वाले सावधि जमा खाते | 7,485.99 | 15,200.00 |
| **कुल** | **7,485.99** | **15,200.00** |

**नोट 8**

**अल्पकालिक ऋण और अग्रिम**

**(रुपये लाख में)**

| **विवरण** | | **वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2024-25 के आखिर तक के आंकड़े** | **पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत तक के आंकड़े** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **असुरक्षित को अच्छा माना गया है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो** | | | |
| **(क) अग्रिम** | | | |
| कर्मचारी (अच्छे माने गये) | | 0.11 | 0.36 |
| अन्य (अच्छे माने गये) | | 8.71 | 5.05 |
| एनबीसीसी कार्यालय भवन के निर्माण के लिए | | 132.08 | 132.08 |
| पूर्व प्रदत्त व्यय | | - | 5.99 |
| सरकारी प्राधिकारियों/अन्य के पास जमा करें (अच्छे माने गये) | | 23.81 | 23.81 |
| गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्राधिकारियों के साथ बैलेंस | | 2.99 | - |
| आयकर और टीडीएस | | | |
| अग्रिम कर और टीडीएस | 1710.88 | | |
| घटाएँ: आयकर के लिए प्रावधान | 1610.00 | 100.88 | 962.57 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| कृभको से प्राप्य | | 0.06 | 0.06 |
| **सीजीएसटी प्राप्य** | | 0.05 | 0.05 |
| **एसजीएसटी प्राप्य** | | 0.05 | 0.05 |
| **IGST प्राप्य** | | 0.19 | 0.19 |
| **कुल** | | **268.93** | **1,130.21** |

**नोट 9**

**अन्य चालू संपत्ति**

**(रुपये लाख में)**

| **विवरण** | **वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2024-25 के आखिर तक के आंकड़े** | **पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत तक के आंकड़े** |
|---|---|---|
| | | |
| किराया बकाया (संदिग्ध माने गए है) | 5.45 | 11.24 |
| घटाएँ: संदिग्ध बकाया के लिए प्रावधान | (5.45) | (11.24) |
| किराया बकाया (अच्छे माने गए है) | 157.82 | 79.35 |
| लीज़ रेंट रेलवे साइडिंग | - | 15.25 |
| जमाराशियों पर अर्जित ब्याज | 2,199.59 | 2,057.15 |
| एनबीसीसी एडवांस पर अर्जित ब्याज | 57.56 | 57.55 |
| पीएफ ट्रस्ट से प्राप्त होने वाली राशि | - | 1.94 |
| इनपुट क्रेडिट जीएसटी | 38.60 | 41.56 |
| **कुल** | **2,453.57** | **2,252.80** |

नोट 10

## मूर्त संपत्तियाँ जो उपयोग में नहीं हैं या निपटान के लिए रखी गई हैं

(लाख रुपये में)

| विवरण | 1 अप्रैल, 2024 तक सकल मूल्य | परिवर्धन | विलोपन | 31.03.2025 तक सकल मूल्य | 1 अप्रैल, 2024 तक संचित मूल्यह्रास | मूल्यह्रास | पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यह्रास | विलोपन पर संचित मूल्यह्रास | सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण | 31 03.2025 को संचित मूल्यह्रास | 31 मार्च, 2025 तक नेट वैल्यू | 31.03.2024 तक नेट वैल्यू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सड़कें और पुलिया | 59.6 | | **-11.5** | 48.1 | **56.69** | | | -10.92 | | 45.77 | 2.33 | 2.91 |
| इमारतों | 273.04 | | -213.31 | 59.73 | 261.14 | | | -202.64 | | 58.5 | 1.23 | 11.9 |
| रेलवे साइडिंग | 453.7 | | - | 453.7 | 431.02 | | | | | 431.02 | 22.68 | 22.68 |
| संयंत्र और उपकरण | 198.53 | | -165.47 | 33.06 | 188.6 | - | | -157.2 | | 31.4 | 1.67 | 9.94 |
| गैस टर्बाइन | - | | - | - | - | | | | | - | - | - |
| जल प्रणाली, सीवेज और जल निकासी | 804.56 | | -804.56 | 0 | 764.34 | | | -764.34 | | - | - | 40.22 |
| विविध उपकरण | 47.65 | | - | 47.65 | 47.6 | | - | | | 47.6 | 0.05 | 0.05 |
| फर्नीचर, फिक्सचर और कार्यालय उपकरण | 34.18 | | -4.35 | 29.83 | 31.49 | - | | -3.56 | | 27.93 | 1.9 | 2.69 |
| परिवहन वाहन | 19.78 | | -1.35 | 18.43 | 18.96 | - | | -1.35 | | 17.61 | 0.82 | 0.82 |
| कैपिटल स्टोर्स | - | | - | - | - | | - | | | - | - | - |
| **कुल** | **1,891.04** | **-** | **-1,200.54** | **690.5** | **1,799.84** | **-** | | **-1,140.01** | **-** | **659.83** | **30.68** | **91.22** |

| विवरण | 1 अप्रैल, 2023 तक सकल मूल्य | परिवर्धन | हटाए | 31.03.2024 तक सकल मूल्य | 1 अप्रैल, 2023 तक जमा मूल्यह्रास | मूल्यह्रास | पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यह्रास | विलोपन पर संचित मूल्यह्रास | सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण | 31.03.2024 तक संचित मूल्यह्रास | 31 मार्च, 2024 तक नेट वैल्यू | 31.03.2023 तक नेट वैल्यू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सड़कें और पुलिया | 59.6 | - | | 59.6 | **56.69** | | | - | | 56.69 | 2.91 | 2.91 |
| इमारतों | 273.04 | | - | 273.04 | 261.14 | | - | | | 261.14 | 11.9 | 11.9 |
| रेलवे साइडिंग | 453.7 | | | 453.7 | 431.02 | | - | | | 431.02 | 22.68 | 22.68 |
| संयंत्र और उपकरण | 198.53 | | - | 198.53 | 188.6 | | - | | | 188.6 | 9.94 | 9.94 |
| गैस टर्बाइन | - | | | - | - | | | | | - | - | - |
| जल प्रणाली, सीवेज और जल निकासी | 804.56 | | - | 804.56 | 764.34 | | - | | | 764.34 | 40.21 | 40.22 |
| विविध उपकरण | 47.65 | | - | 47.65 | 47.6 | | - | | | 47.6 | 0.05 | 0.05 |
| फर्नीचर, फिक्सचर और कार्यालय उपकरण | 34.18 | | - | 34.18 | 31.49 | | - | | | 31.49 | 2.69 | 2.69 |
| परिवहन वाहन | 19.78 | | - | 19.78 | 18.96 | | - | | | 18.94 | 0.84 | 0.83 |
| कैपिटल स्टोर्स | - | | - - | | - | | - | | | - | - | - |
| **कुल** | **1,891.04** | **-** | **-** | **1,891.04** | **1,799.84** | **-** | | **-** | **-** | **1,799.82** | **91.22** | **91.22** |

**दि फर्टिलाइजर कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड**

**नोट 11**

**इक्विटी शेयर पूंजी**

**(रुपये लाख में)**

| विवरण | | 31 मार्च 2025 तक | 31 मार्च 2024 तक | |
|---|---|---|---|---|
| **प्राधिकृत** | | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 1,000 रुपये प्रति शेयर के 8000,000 इक्विटी शेयर। (पिछले साल 1,000 रुपये प्रति शेयर के 8000,000 इक्विटी शेयर) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **जारी, सदस्यता और भुगतान किया गया** | | | | |
| | | | | |
| 1,000 रुपये प्रति शेयर के 75,09,239 इक्विटी शेयर (पिछले साल 1000 रुपये प्रति शेयर के 75,09,239 इक्विटी शेयर) | | 75,092.39 | 75,092.39 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **कुल** | | **75,092.39** | **75,092.39** | |

**नोट्स:** **31.03.2025 तक**

| | |
|---|---|
| तुलन पत्र की तारीख से ठीक पहले पिछले पांच वर्षों में नकद में भुगतान किए बिना अनुबंध (एस) के अनुसार पूरी तरह भुगतान के रुप में आवंटित शेयरों की कुल संख्या। | शून्य |
| कंपनी के डायरेक्टर और अधिकारियों द्वारा इक्विटी शेयर्स का पेमेंट नहीं किया गया। | शून्य |
| अंतिम होल्डिंग कंपनी/ होल्डिंग कंपनी और उनकी सहायक कंपनियों/ सहयोगियों द्वारा धारित शेयर | शून्य |

**कंपनी में 5% से ज़्यादा शेयर रखने वाले शेयरधारक**

| विवरण | 31 मार्च 2025 तक | | 31 मार्च 2024 तक | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयर की संख्या | होल्डिंग का % | शेयर की संख्या | होल्डिंग का % |
| भारत के माननीय राष्ट्रपति ((प्रमोटर)) | 75,09,239 | 100% | 75,09,239 | 100% |

**रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान:-**

**राशि रु. लाख में**

| **ए. इक्विटी शेयर पूंजी** | **शेयरों की संख्या** | **मात्रा** |
|---|---|---|
| | | |
| **1 अप्रैल 2023 तक बैलेंस** | **75,09,239** | **75,092.39** |
| वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | - | - |
| **31 मार्च 2024 तक शेष राशि** | **75,09,239** | **75,092.39** |
| वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | - | - |
| **31 मार्च 2025 तक शेष राशि** | **75,09,239** | **75,092.39** |

भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड
इक्विटी में बदलाव का विवरण

बी. अन्य इक्विटी

(1) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 01.04

रु ./लाख

| | भंडार और अधिशेष | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवेदन साझा करें लंबित धन आवंटन | इक्विटी घटक यौगिक का वित्तीय उपकरण | पूंजी भंडार | प्रतिभूति अधिमूल्य | अन्य भंडार (प्रकृति निर्दिष्ट करें) (सब्सिडी औद्योगिक आवास) | बनाए रखा आय | ऋण उपकरण के माध्यम से अन्य Compreh - आक्रामक आय | हिस्सेदारी उपकरण के माध्यम से अन्य Compreh - आक्रामक आय | असरदार का हिस्सा कैश फ्लो हेजेज | पुनर्मूल्यांकन आधिक्य | अदला-बदली मतभेद अनुवाद करना वित्तीय एक के बयान विदेश संचालन | अन्य सामाग्री अन्य का Compreh - आक्रामक आय (निर्दिष्ट करें प्रकृति) | धन प्राप्त ख़िलाफ़ शेयर करना वारंट | कुल |
| संतुलन की शुरुआत वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि | - | - | 75.69 | - | 5.92 | -1,481.62 | - | - | - | 1,310.52 | - | - | - | -89.49 |
| में परिवर्तन लेखांकन नीति या पूर्व अवधि त्रुटियाँ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पुनःकथित संतुलन की शुरुआत में द करैंट रिपोर्टिंग अवधि | | - | 75.69 | - | 5.92 | -1,481.62 | - | - | - | 1,310.52 | - | - | - | -89.49 |
| कुल विस्तृत आय चालू वर्ष | - | - | - | - | - | -3,518.32 | - | - | - | - | - | - | - | -3,518.32 |
| लाभांश | | | | | | | | | | | | | | |
| के लिए स्थानांतरण प्रतिधारित कमाई | | | | | | 358.08 | | | | -358.08 | - | | | - |
| कोई और परिवर्तन (होने वाले) निर्दिष्ट) | | | | | | | | | | -932.99 | | | | -932.99 |
| संतुलन के अंत वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि | - | - | 75.69 | - | 5.92 | -4,641.86 | - | - | - | 19.45 | - | - | - | -4,540.80 |



The Fertilizer Corporation of India Limited

**(2) पिछली रिपोर्टिंग अवधि 1.04.2023 से 31.3.03.2024**

| | | | भंडार और अधिशेष | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवेदन साझा करें लंबित धन आवंटन | इक्विटी घटक यौगिक का वित्तीय उपकरण | पूंजी भंडार | प्रतिभूति अधिमूल्य | अन्य भंडार (प्रकृति निर्दिष्ट करें) (सब्सिडी औद्योगिक आवास) | बनाए रखा आय | ऋण उपकरण के माध्यम से अन्य Compreh - आक्रामक आय | हिस्सेदारी उपकरण के माध्यम से अन्य Compreh - आक्रामक आय | असरदार का हिस्सा कैश फ्लो हेजेज | पुनर्मूल्यांकन आधिक्य | अदला-बदली मतभेद अनुवाद करना वित्तीय एक के बयान विदेश संचालन | अन्य सामाग्री अन्य का Compreh - आक्रामक आय (निर्दिष्ट करें प्रकृति) | धन प्राप्त ख़िलाफ़ शेयर करना वारंट | कुल |
| संतुलन की शुरुआत पिछली रिपोर्टिंग अवधि | - | - | 75.69 | - | 5.92 | -5174.07 | - | - | - | 1274.92 | - | - | - | -3817.54 |
| में परिवर्तन लेखांकन नीति या पूर्व अवधि त्रुटियाँ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| फिर से बताने से संतुलन की शुरुआत पहले का रिपोर्टिंग अवधि | | - | 75.69 | - | 5.92 | -5174.07 | - | - | - | 1274.92 | - | - | - | -3817.54 |
| कुल विस्तृत आय चालू वर्ष | - | - | - | - | - | 3,784.86 | - | - | - | -56.81 | - | - | - | 3728.05 |
| लाभांश के लिए स्थानांतरण प्रतिधारित कमाई | | | | | | | | | | | | | | |
| कोई और परिवर्तन (होने वाले) निर्दिष्ट) | | | | | | | | | | | | | | |
| संतुलन के अंत वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि | - | - | 75.69 | - | 5.92 | -1389.21 | - | - | - | 1218.11 | - | - | - | -89.49 |



The Fertilizer Corporation of India Limited

## नोट 13

**व्यापार और अन्य देयताएँ**

**(लाख रुपये में)**

| विवरण | | | | | वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2024-25 के आखिर तक के आंकड़े | पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत तक के आंकड़े |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **व्यापार देयताएँ** | | | | | | |
| सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय। | | | | | - | - |
| | | | | | | |
| सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया | | | | | 431.14 | 553.60 |
| | | | | | | |
| **कुल** | | | | | **431.14** | **553.60** |
| | | | | | | |
| **व्यापार देय उम्र अनुसार अनुसूची** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **31 मार्च 2025 तक बकाया** | | | | | | |
| **विवरण** | **6 महीने से कम** | **6 महीने से 1 वर्ष तक** | **1-2 वर्ष** | **2-3 वर्ष** | **3 वर्ष से अधिक** | **कुल** |
| **i.** एमएसएमई | | | | | | |
| - विवादित | | | | | | |
| - अन्य | | | | | | |
| उप-योग **(i)** | | | | | | |
| **(ii)** एमएसएमई के अलावा | | | | | | |
| - विवादित | | | | | | |
| - अन्य | | | | | 431.14 | 431.14 |
| उप-योग **(ii)** | | | | | 431.14 | 431.14 |
| कुल **(i+ii)** | | | | | | |

| **31 मार्च 2024 तक बकाया** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **विवरण** | **6 महीने से कम** | **6 महीने से 1 वर्ष तक** | **1-2 वर्ष** | **2-3 वर्ष** | **3 वर्ष से अधिक** | **कुल** |
| **i.** एमएसएमई | | | | | | |
| - विवादित | | | | | | |
| - अन्य | | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उप-योग **(i)** | | | | | | |
| **(ii)** एमएसएमई के अलावा | | | | | | |
| - विवादित | | | | | | |
| - अन्य | | | | | 553.60 | 553.60 |
| उप-योग **(ii)** | | | | | 553.60 | 553.60 |
| **कुल (i+ii)** | | | | | **553.60** | **553.60** |

**नोट 14**

**दीर्घकालिक प्रावधान**

**(लाख रुपये में)**

| **विवरण** | **मौजूदा रिपोर्टिंग पीरियड 2024-25 के आखिर तक के आंकड़े** | **पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत तक के आंकड़े** |
|---|---|---|
| | | |
| **कर्मचारियों के लाभों के लिए प्रावधान** | | |
| **अन्य** | | |
| **i)** व्यय के लिए प्रावधान | 23.20 | 54.97 |
| **ii)** नेहरू प्लेस फ्लैट मालिक (दिल्ली उच्च न्यायालय में देनदारी विवाद में) | 7.48 | 7.48 |
| | | |
| **iii)** आयकर मांग निर्धारण वर्ष 2018-19 और निर्धारण वर्ष 2022-23 | 8145.13 | - |
| **कुल** | **8,175.81** | **62.45** |

**नोट 15**

**अन्य गैर-वर्तमान देनदारियाँ**

**(लाख रुपये में)**

| **विवरण** | **वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2024-25 के आखिर तक के आंकड़े** | **पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत तक के आंकड़े** |
|---|---|---|
| **अन्य** | | |
| पूंजीगत मदें | 272.95 | 272.95 |
| **अन्य दीर्घकालिक देनदारियाँ** | | |
| i) व्यापार और अन्य जमाराशियाँ | 259.96 | 355.06 |
| ii) सुरक्षा / बयाना राशि जमा | 454.32 | 542.06 |
| iii) पूर्व कर्मचारी | 68.83 | 76.50 |

| | | |
|---|---|---|
| iv) पूर्व कर्मचारी (पट्टा आवास) | 2,188.31 | 2,267.32 |
| v) सांविधिक देनदारियाँ (निर्विवादित) | 78.29 | 78.29 |
| vil) अन्य देयताएं | 82.45 | 82.45 |
| viil) श्रमिक सुविधा निधि | 131.30 | 120.14 |
| viii) ग्रेच्युटी (अनफंडेड) | 5.14 | 4.75 |
| ix) छुट्टी नकदीकरण (अनफंडेड) | 2.12 | 1.81 |
| x) सेवानिवृत्ति (अनफंडेड) | 9.62 | 20.21 |
| xi) बोनस | - | 0.10 |
| xii) कर्मचारी बचत समिति | 0.45 | 0.45 |
| xiii) विशेष कल्याण कोष | 28.36 | 35.37 |
| xiv) आईबीपी (आईओसीएल) को भुगतान का प्रावधान | 9.96 | 9.96 |
| xv) अग्रिम रूप से प्राप्त आस्थगित किराया | 2,764.49 | 1,718.89 |
| xvi) पानी के बिल के लिए देयता | 34.29 | - |
| | | |
| **कुल** | **6,390.84** | **5,586.31** |

## नोट 16

**व्यापार और अन्य देयताएँ**

**(लाख रुपये में)**

| **विवरण** | **वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2024-25 के आखिर तक के आंकड़े** | **पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत तक के आंकड़े** |
|---|---|---|
| | | |
| देय लेखापरीक्षा शुल्क | 3.29 | 2.63 |
| | | |
| **कुल** | **3.29** | **2.63** |

## नोट 17

**अन्य वर्तमान देनदारियां**

**(लाख रुपये में)**

| **विवरण** | **वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2024-25 के आखिर तक के आंकड़े** | **पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत तक के आंकड़े** |
|---|---|---|
| | | |
| सुरक्षा / बयाना राशि जमा | 40.29 | 39.67 |
| व्यापार और अन्य जमाराशियाँ | 49.26 | 134.83 |
| वैधानिक देनदारियाँ | 228.75 | 74.41 |
| कर्मचारियों के लिए वेतन | 0.71 | 0.63 |
| अग्रिम में देय आस्थगित किराया | - | 556.86 |

| | | |
|---|---|---|
| अग्रिम पट्टा किराया | 46.46 | 2.30 |
| अन्य वर्तमान देनदारियां | 18.73 | 21.48 |
| भविष्य निधि में योगदान | 0.40 | |
| **कुल** | **384.60** | **830.18** |

**नोट 18**

**अल्पकालिक प्रावधान**

**(लाख रुपये में)**

| **विवरण** | **वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2024-25 के आखिर तक के आंकड़े** | **पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत तक के आंकड़े** |
|---|---|---|
| | | |
| **(क) कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान** | | |
| सेवानिवृत्ति (अनफंडेड) | 3.73 | 3.14 |
| **(ख) अन्य** | | |
| व्यय के लिए प्रावधान | 297.45 | 226.86 |
| टीए के लिए प्रावधान | - | 0.60 |
| पूंजी खाते के लिए प्रावधान | 684.56 | - |
| **कुल** | **985.74** | **230.60** |

**नोट संख्या 18A:**

**"प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों" पर IND AS 37 के अनुसार प्रकटीकरण और आकस्मिक संपत्तियां" 31 मार्च 2025 तक**

**(लाख रुपये में)**

| **क्रमांक** | **विवरण** | **संतुलन के रूप में** | **जोड़ना** | **उपयोग** | **उलटफेर** | **संतुलन के रूप में** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | बिक्री कर की मांग | 2,434.71 | - | - | - | 2,434.71 |
| **2** | संपत्ति कर की मांग | 16.64 | - | - | - | 16.64 |
| **3** | न्यायालय का निर्णय लंबित | 697.39 | - | - | 5.27 | 692.12 |
| **.4** | आयकर मांग AY 18-19* | 9,747.65 | - | - | 9,747.65 | - |
| **5** | आयकर मांग AY 22-23** | 644.21 | - | - | 644.21 | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | विदेशी टेक्नीशियनों से इनकम टैक्स की मांग*** | 19.14 | - | - | - | 19.14 |
| 7 | जीएसटी की मांग | 8,315.29 | | | | 8,315.29 |
| | **कुल** | **21,875.03** | **-** | **-** | **10,397.13** | **11,477.90** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **(II) प्रतिबद्धताएँ** | | | | | |
| (i) मेसर्स डेलोइट टूश तोहमात्सु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 25.45 | - | - | - | 25.45 |
| | | | | | |
| (ii) मेसर्स एनबीसीसी | 4,356.02 | | | 2,213.33 | 2,142.69 |
| | | | | | |
| **कुल आकस्मिक देनदारियाँ** | 26,256.50 | - | - | 12,610.46 | 13,646.04 |
| | | | | | |

* माननीय उच्च न्यायलय में अपील फाइल की गई थी, लेकिन इस दौरान इस साल किताबों में 7500.91 लाख रुपये दिए गए हैं
इनकम टैक्स प्राधिकारियो की मांग के अनुसार ।
** हालांकि, साल के दौरान CIT (अपील) के पास अपील फाइल की गई है
मांग के अनुसार पुस्तकों में 644.21 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए हैं
इनकम टैक्स प्राधिकारियो ।
***यह तालचेर यूनिट फीस है जो विवाद में है।

**ओ**. पिछले साल के आंकड़ों को फिर से इकट्ठा किया गया है, जहाँ भी आवश्यक हो उन्हें बनाने के लिए मौजूदा साल के आंकड़ों से तुलना करें ।

**<u>परिचालन से राजस्व</u>**

| **विवरण** | **वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2024-25 के आखिर तक के आंकड़े** | **पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत तक के आंकड़े** |
|---|---|---|
| **बिक्री** | **-** | - |
| | | |
| | | |
| **कुल** | **-** | **-** |

## नोट 19

**अन्य कमाई** (लाख रुपये में)

| विवरण | वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2024-25 के आखिर तक के आंकड़े | पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत तक के आंकड़े |
|---|---|---|
| **ब्याज आय** | | |
| लघु अवधि जमायें | 4,492.04 | 3,975.80 |
| श्रमिक सुविधा निधि हेतु बैंक में जमा | 7.30 | 4.61 |
| घटाएँ: श्रमिक सुविधाओं के कोष में स्थानांतरण | (7.30) | (4.61) |
| **अन्य गैर-परिचालन आय** | | |
| आई टी ओ से रिफंड पर ब्याज | 40.28 | - |
| लीज़ पर दिए गए आवास से किराए की वसूली | 817.97 | 293.15 |
| एसीसी रेलवे साइडिंग के लाइसेंस शुल्क की वसूली | 478.66 | 392.54 |
| भूमि किराया प्राप्त हुआ | 737.31 | 397.56 |
| सफाई शुल्क प्राप्त हुआ | 11.68 | - |
| विविध आय | 10.84 | 6.72 |
| अन्य छोटी-मोटी आय | 37.43 | 46.21 |
| सफाई शुल्क प्राप्त हुआ (छूट सहित) | 9.35 | - |
| डीएमसी द्वारा दी गई छूट | 0.16 | - |
| निविदा शुल्क की प्राप्ति | 0.39 | 19.33 |
| विलंबित भुगतान अधिभार | 2.00 | - |
| सिलेंडर से किराया आय | 4.83 | 4.83 |
| आवश्यकता समाप्त होने पर वापस लिखा गया प्रावधान | 107.80 | 3.68 |
| फ्लाई ऐश की बिक्री | 435.34 | 881.59 |
| पिछली अवधि की आय (नोट 23 देखें) | 104.11 | 420.12 |

| | | |
|---|---|---|
| अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ | 1.93 | - |
| बागवानी उत्पादों, सूखी लकड़ियों की बिक्री | 11.91 | 5.21 |
| **कुल** | **7,304.03** | **6,446.74** |

**नोट 20**

**कर्मचारी लाभ व्यय**

**(लाख रुपये में)**

| **विवरण** | **वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2024-25 के आखिर तक के आंकड़े** | **पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत तक के आंकड़े** |
|---|---|---|
| वेतन और मजदूरी | 13.01 | 12.43 |
| भविष्य निधि में योगदान | 0.93 | 0.29 |
| वीएसएस पर व्यय | 4.08 | 0.92 |
| कर्मचारी कल्याण व्यय | 3.77 | 3.29 |
| अवकाश नकदीकरण | 0.53 | 0.10 |
| **कुल** | **22.71** | **17.33** |

**नोट 21**

**वित्तीय लागत**

**(लाख रुपये में)**

| **विवरण** | **वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2024-25 के आखिर तक के आंकड़े** | **पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत तक के आंकड़े** |
|---|---|---|
| | | |
| अग्रिम कर के देरी से पेमेंट पर ब्याज | 0.06 | 0.31 |
| बैंक शुल्क | 0.24 | 0.24 |
| | | |
| **कुल वित्त लागत** | **0.30** | **0.55** |

## नोट 22

**मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय**

(लाख रुपये में)

| विवरण | वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2024-25 के आखिर तक के आंकड़े | पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत तक के आंकड़े |
|---|---|---|
| संपति संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास | 9.30 | 9.08 |
| **कुल** | **9.30** | **9.08** |

## नोट 23

**अन्य खर्चों**

(लाख रुपये में)

| विवरण | वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2024-25 के आखिर तक के आंकड़े | पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत तक के आंकड़े |
|---|---|---|
| बिजली और पानी के शुल्क | 14.65 | 14.34 |
| किराया | 6.00 | 6.00 |
| मरम्मत और रखरखाव | 1.65 | 2.88 |
| सुरक्षा व्यय | 379.86 | 311.32 |
| बीमा | 0.02 | 0.23 |
| दरें और कर | 29.25 | 54.72 |
| प्रतिघारितों को भुगतान | 113.20 | 117.86 |
| अनुबंध श्रम व्यय | 225.26 | 224.76 |
| कानूनी और व्यावसायिक व्यय | 10.22 | 36.80 |
| न्यायालय के आदेश के अनुसार ब्याज का भुगतान | - | 85.61 |
| वाहनों का किराया | 9.36 | 21.11 |
| ईपीएफ के निरीक्षण शुल्क | 0.15 | 0.12 |
| समाचार पत्र और पत्रिकाएँ | 0.23 | 0.21 |
| गेस्ट हाउस का खर्च | 0.05 | 0.08 |
| मुद्रण और स्टेशनरी | 4.29 | 3.79 |
| डाक और टेलीग्राम | 0.82 | 0.85 |
| टेलीफोन, फैक्स आदि। | 1.43 | 2.16 |
| **यात्रा व्यय** | | |
| निदेशक | 1.50 | 0.73 |
| अन्य | 7.82 | 6.82 |
| नोएडा ज़मीन का लीज़ रैंट | 5.99 | 5.99 |
| विज्ञापन | 1.50 | 7.19 |
| संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | 18.82 | 10.19 |
| पूर्व अवधि व्यय | 63.09 | 65.78 |

| | | |
|---|---|---|
| पुनर्वास अध्ययन पर व्यय | 1.18 | 2.57 |
| विविध व्यय | 14.50 | 231.23 |
| बोर्ड बैठक व्यय | 0.77 | - |
| कर्मचारी कल्याण व्यय | 0.88 | - |
| **लेखा परीक्षकों को भुगतान** | | |
| लेखा परीक्षक के रूप में | | |
| **क)** लेखा परीक्षा शुल्क | 3.13 | 2.41 |
| **ख)** कर लेखा परीक्षा शुल्क | 0.47 | 0.47 |
| प्रमाणन शुल्क | 0.05 | 0.38 |
| सीजीएसटी का व्यय | 2.60 | 11.37 |
| एसजीएसटी का व्यय | 2.60 | 11.37 |
| IGST का व्यय | 3.50 | 1.27 |
| उपकर पर व्यय | 8.50 | 10.05 |
| वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2022-23 के लिए आयकर मांग का प्रावधान | 8,145.13 | - |
| भरने और लाइसेंस शुल्क | 1.09 | 0.13 |
| अदालती मामले पर व्यय | 1.77 | - |
| पुस्तकों की खरीद | 0.07 | - |
| अन्य संगठन की सदस्यता | 14.00 | 2.00 |
| एमएसटीसी पर कमीशन | 9.75 | 28.99 |
| सीएसआर गतिविधियों पर व्यय | 74.89 | 48.09 |
| | **9,180.04** | **1,329.87** |
| **पूर्व अवधि आइटम** | | |
| वेतन और मजदूरी | - | 0.20 |
| अन्य खर्चों | 63.09 | 65.58 |
| **कुल** | **63.09** | **65.78** |
| **आय** | | |
| अन्य विविध आय | 104.11 | 420.12 |
| कुल | 104.11 | 420.12 |
| **शुद्ध योग** | **(41.02)** | **(354.34)** |

**नोट 24**

| **प्रति शेयर आय (ईपीएस)** | | |
|---|---|---|
| | | **(लाख रुपये में)** |
| **विवरण** | **मौजूदा रिपोर्टिंग पीरियड 2024-25 के आखिर तक के आंकड़े** | **पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के अंत तक के आंकड़े** |
| | | |
| वर्ष के लिए निवल लाभ/हानि | -3,518.32 | 3,784.86 |
| इक्विटी शेयर धारकों (ए) के लिए उपलब्ध रकम | -3,518.32 | 3,784.86 |
| शेयरों की भारित औसत संख्या (बी) | 75.09 | 75.09 |

| | | |
|---|---|---|
| **प्रति शेयर मूल और द्रवीय आय (ए/बी)** | **-46.85** | **50.40** |
| अंकित मूल्य 100 प्रति शेयर | | |

## नोट -25

**31 मार्च, 2025 तक वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में खातों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट:-**

**(क). महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**

पिछले वर्ष की नीतियों की तुलना में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिनका लगातार अनुसरण किया जा रहा है।

**I. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार**

ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों के अनुसार (इंड एएस), ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अंतर्गत, प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए जाते हैं, सिवाय कुछ वित्तीय साधनों के जिन्हें उचित मूल्यों पर मापा जाता है, और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों के अनुसार। इंड एएस (अधिसूचित सीमा तक), कंपनी भारतीय लेखा ) नियम (मानक, 2015 के नियम 3 और उसके बाद जारी किए गए प्रासंगिक संशोधन नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष तक की सभी अवधियों के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए, जिन्हें कंपनी नियम (लेखा), 2014 (भारतीय GAAP) के पैराग्राफ 7 के साथ पढ़ा गया है। 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण, कंपनी द्वारा भारतीय लेखा मानक )IAND AS) के अनुसार तैयार किए गए पहले वित्तीय विवरण थे।

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किये गये हैं।

कंपनी की बंद इकाइयों के पुनरुद्धार पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के दिनांक (सीसीईए)9/5/2013 के निर्णय के कार्यान्वयन के बाद चालू व्यवसाय के आधार पर खातों को अंतिम रूप दिया गया है।

**राशियों का पूर्णांकन**

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए )'आईएनआर') में प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी मान निकटतम लाख आईएनआर) 00,000) तक पूर्णांकित किए जाते हैं, सिवाय जब अन्यथा संकेत दिए जाते हैं।

**II. अनुमानों का उपयोग**

सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरण की तिथि पर परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण तथा वर्ष के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधियों में भविष्यसूचक रूप से मान्यता दी जाती है।

**III. व्यावसायिक संयोजन**

पहली बार अपनाने से संबंधित भारतीय लेखा मानक 101 प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने 1 अप्रैल 2018 से व्यावसायिक संयोजनों के लिए भारतीय लेखा मानक लेखांकन लागू करने का चुनाव किया है। इस प्रकार, उस तिथि से पहले किए गए व्यावसायिक संयोजनों से संबंधित भारतीय GAAP शेष, जिसमें सद्भावना भी शामिल है, को न्यूनतम समायोजन के साथ आगे बढ़ाया गया है।

व्यावसायिक संयोजनों का लेखा अधिग्रहण पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। अधिग्रहण की लागत, अधिग्रहण तिथि पर मापे गए उचित मूल्य पर हस्तांतरित प्रतिफल और अधिग्रहिती में किसी भी गैरनियंत्रक हित की राशि के - योग के रूप में मापी जाती है। प्रत्येक व्यावसायिक संयोजन के लिए, कंपनी यह चुनती है कि अधिग्रहिती में गैर-नियंत्रक हित को उचित मूल्य पर या अधिग्रहिती की पहचान योग्य शुद्ध परिसंपत्तियों के आनुपातिक हिस्से पर मापा जाए। अधिग्रहण से संबंधित लागतों को व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

**संयुक्त उद्यमों में निवेश**

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के दिनांक 04.08.2011 और 27.06.2013 के अधिदेश के अनुसार, उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए निम्नलिखित संयुक्त उद्यम कंपनियाँ गठित की गईं। एफसीआईएल को भूमि उपयोग, उपयोग योग्य संपत्ति और अवसर लागत प्रदान करने के बदले इक्विटी प्रदान की गई है।

**(क) रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड**

**(ख) तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और**

**(ग) हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड**

संयुक्त उद्यम समझौतों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसार, यदि किसी कंपनी की एक या एक से अधिक सहायक कंपनियाँ हैं, जिनमें सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम शामिल हैं, तो उसे समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक है।

कानूनी राय के आधार पर कंपनी का मानना है कि कंपनियों में कंपनी का निवेश भारतीय लेखा मानक-28 'संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग' में प्रदत्त की "संयुक्त उद्यम" परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि कंपनी उपरोक्त कंपनियों की आर्थिक गतिविधियों पर संयुक्त नियंत्रण नहीं रखती है। इसलिए कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए हैं और पहले के वर्षों के लिए भी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी नियम (लेखा), 2014 के पैराग्राफ 7 के साथ पठित, अपने एकल वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

**IV. चालू बनाम गैरचालू वर्गीकरण-**

कंपनी अपनी बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू/गैरचालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती हैः किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब वह:

• सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की उम्मीद हो

• मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से धारित हो

• रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद हो, या

• नकद या नकद समतुल्य, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों तक विनिमय या किसी देनदारी के निपटान के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध न हो

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता-है।

देयता तब चालू होती है जब:

• इसका सामान्य परिचालन चक्र में निपटान अपेक्षित हो

• यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से धारित हो

• इसका निपटान रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर किया जाना हो, या

• रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार न हो।

कंपनी अन्य सभी देयताओं को गैरचालू के रूप में वर्गीकृत करती है।-

परिचालन चक्र, प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकदी व नकद समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच का समय है। समूह ने बारह महीनों को अपने परिचालन चक्र के रूप में निर्धारित किया है।

**V. राजस्व मान्यता**

राजस्व की पहचान उस सीमा तक की जाती है जहाँ तक यह संभावना हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और राजस्व का विश्वसनीय मापन किया जा सकता है, चाहे भुगतान कब भी किया जा रहा हो। राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें भुगतान की अनुबंधित शर्तों को ध्यान में रखा जाता है और सरकार की ओर से वसूले जाने वाले करों या शुल्कों को शामिल नहीं किया जाता है। राजस्व की पहचान से पहले निम्नलिखित विशिष्ट मान्यता मानदंडों को भी पूरा किया जाना चाहिए:

- निवेश की गई राशि और ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए ब्याज आय को समय अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है; और
- राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, जो आमतौर पर तब होता है जब शेयरधारक लाभांश को मंजूरी देते हैं; और
- निवेश संपत्तियों पर परिचालन पट्टों से उत्पन्न किराये की आय को पट्टे की शर्तों के दौरान उपार्जन आधार पर हिसाब में लिया जाता है और इसकी परिचालन प्रकृति के कारण लाभ या हानि के विवरण में राजस्व में शामिल किया जाता है।

**VI. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)**

पिछले GAAP (भारतीय GAAP) के तहत, निवेश संपत्ति के अलावा फ्रीहोल्ड भूमि और भवन को (संपत्ति) 31/03/2015 को किए गए उचित मूल्यांकन के आधार पर बैलेंस शीट में रखा गया था। कंपनी ने संपत्ति के उन मूल्यों को पुनर्मूल्यांकन की तिथि पर अनुमानित लागत के रूप में मानने का चुनाव किया है क्योंकि वे मोटे तौर पर उचित मूल्य के बराबर थे। कंपनी ने यह भी निर्धारित किया है कि 31/03/2015 को पुनर्मूल्यांकन 1 अप्रैल 2018 (इंड एएस में संक्रमण की तिथि) के उचित मूल्यांकन से भौतिक रूप से भिन्न नहीं है। तदनुसार, कंपनी ने 1 अप्रैल 2018 को संपत्ति का फिर से मूल्यांकन नहीं किया है। संयंत्र और उपकरण की कुछ वस्तुओं को इंड एएस में संक्रमण की तिथि पर उचित मूल्य पर मापा गया है। कंपनी उचित मूल्य को संक्रमण तिथि, अर्थात 1 अप्रैल 2018 को अनुमानित लागत मानती है।

**अन्य परिसंपत्तियां:**

क) मूर्त अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है, सिवाय निपटान के लिए रखी गई अचल परिसंपत्तियों के, जिनका 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन किया गया है।

ख) मूर्त अचल परिसंपत्तियों को तब पूंजीकृत किया जाता है जब यह प्रमाणित हो जाता है कि वे पूर्ण हो गई हैं तथा अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार हैं।

ग) राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों द्वारा 'निःशुल्क' दी गई भूमि को भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों-के अनुसार लागत औरया आकस्मिक व्यय के आधार पर पूंजीकृत / किया जाता है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

घ) मशीनरी स्पेयर पार्टस, जिन्हें कम्पनी 12 माह से भी अधिक समय के लिए प्रयोग करना चाहती है, उन्हें लेखाकंन स्टेंडर्ड -2 (संशोधित) के तहत पूंजीकृत किया जाता है।

ड) अमूर्त परिसंपत्ति को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब भविष्य में आर्थिक लाभ कंपनी को मिलने की संभावना हो तथा लागत और व्यय को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके।

च) सेवानिवृत अचल संपत्तियों और अन्य संपत्तियों का मूल लागत के 95% तक मूल्यह्रास किया जाता है और 5% अवशिष्ट मूल्य के रूप में दिखाया जाता है। हालाँकि, जहाँ अचल संपत्तियों का मूल्यह्रास पहले ही लागत के 95% से अधिक हो चुका है, उसे यथावत रखा जाता है।

**VII. निवेश**

दीर्घकालिक निवेश लागत पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में अस्थायी के अलावा किसी भी प्रकार की गिरावट कमी को मान्यता दी जाती है और उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

**VIII. मूल्यह्रास**

**(क)** 5,000 रुपये तक की लागत वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास, संवर्धन वर्ष में पूर्णतः ह्रासित किया जाता है।

**(ख)** कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्दिष्ट अचल परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन काल के दौरान सीधी रेखा पद्धति के अनुसार आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास और परिशोधन प्रदान किया जाता है।

**(ग)** पट्टे पर दी गई भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि के दौरान किया जाता है।

**IX. इन्वेंटरी**

इन्वेंट्री का मूल्यांकन लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। प्रत्येक उत्पाद को उसके वर्तमान स्थान और स्थिति तक पहुँचाने में होने वाली लागत का लेखा इस प्रकार किया जाता है:

• कच्चा माल लागत में क्रय लागत और माल को उसकी वर्तमान स्थिति और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागतें शामिल हैं। लागत का निर्धारण "पहला आगमन पहला निर्गमन", आधार पर किया जाता है।

• तैयार माल और प्रगति पर कार्यऔर श्रम की लागत और सामान्य परिचा लागत में प्रत्यक्ष सामग्री :लन क्षमता के आधार पर विनिर्माण उपरिव्ययों का एक अनुपात शामिल है, लेकिन उधारी लागत को छोड़कर। लागत का निर्धारण "पहला आगमन पहला निर्गमन", आधार पर किया जाता है।

•व्यापारिक वस्तुएँ लागत में क्रय लागत और माल को उसकी वर्तमान स्थिति और स्थान पर लाने में होने वाली अन्य लागतें शामिल होती हैं। लागत भारित औसत के आधार पर निर्धारित की जाती है।

शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य, व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुमानित विक्रय मूल्य है, जिसमें से पूरा करने की अनुमानित लागत और बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित लागत घटा दी जाती है।

पैकिंग सामग्री और भंडार एवं पुर्जों के अन्य स्टॉक को शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य पर मापा गया है और मूल्य में अप्रचलन के लिए प्रावधान किया गया है।

**ii) अप्रचलन या ह्रास:**

इन्वेंट्री के वर्तमान मूल्यों को लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर माना जाता है।

**X. गैरवित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति-**

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक क्षति परीक्षण आवश्यक है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति या नकदी (उत्पादक इकाई -सीजीयू) के उचित मूल्य में से निपटान की लागत घटाकर और उसके उपयोग मूल्य में से जो अधिक हो, वह होती है। वसूली योग्य राशि किसी एकल परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न न करे जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों से प्राप्त नकदी प्रवाह से काफी हद तक स्वतंत्र हों। जब किसी परिसंपत्ति या CGU की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और उसे उसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है।

उपयोग मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को करपूर्व छूट दर का उपयोग करके - उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है, जो मुद्रा के समय मूल्य और परिसंपत्ति से संबंधित जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करते समय, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेनदेन की पहचान नहीं की जा सकती, तो उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है।

निरंतर परिचालनों से होने वाली हानियाँ, जिनमें इन्वेंट्री की हानि भी शामिल है, लाभहानि विवरण में - पहचानी जाती हैं, सिवाय उन संपत्तियों के जिनका पुनर्मूल्यांकन पहले ही कर लिया गया हो और पुनर्मूल्यांकन अधिशेष OCI में ले लिया गया हो। ऐसी संपत्तियों के लिए, हानि को OCI में किसी भी पिछले पुनर्मूल्यांकन अधिशेष की राशि तक पहचानी जाती है।

साख को छोड़कर अन्य संपत्तियों के लिए, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या इस बात का कोई संकेत है कि पहले पहचानी गई हानियाँ अब मौजूद नहीं हैं या कम हो गई हैं। पहले पहचानी गई हानि को केवल तभी उलटा किया जाता है जब पिछली हानि पहचाने जाने के बाद से संपत्ति की वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त मान्यताओं में कोई परिवर्तन हुआ हो। उलटाव इस प्रकार सीमित होता है कि संपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो, और न ही उस वहन राशि से अधिक हो जो मूल्यह्रास को घटाकर निर्धारित की गई होती, यदि पिछले वर्षों में संपत्ति के लिए कोई हानि पहचानी नहीं गई होती। इस प्रकार के उलटफेर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति को पुनर्मूल्यांकित राशि पर नहीं रखा जाता है, ऐसी स्थिति में, उलटफेर को पुनर्मूल्यांकन वृद्धि के रूप में माना जाता है।

**XI. कर्मचारी लाभ**

**i. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ**

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, जैसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना )VRS) चुनने वाले कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी, वेतन, भविष्य निधि में अंशदान, सवेतन वार्षिक अवकाश, चिकित्सा देखभाल जैसे मौद्रिक लाभ और वर्तमान कर्मचारियों के लिए मकान जैसे गैरमौद्रिक लाभ-, खातों में चालू व्यय के रूप में दर्ज किए जाते हैं।

**ii. सेवानिवृत्ति लाभ**

सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों, जैसे ग्रेच्युटी निधि में अंशदान, संचित अवकाश के नकदीकरण का प्रावधान, उपार्जन आधार पर किया जाता है और लाभहानि विवरण में दर्ज किया जाता है।-

**XII. पूर्वभुगतान व्यय-**

प्रत्येक मामले में 25,000 रुपये तक के पूर्वभुगतान व्यय का लेखा उस वर्ष में किया जाता है जिसमें वे किए गए थे।

**XIII.** तीन वर्ष से अधिक पुराने प्राप्य को संदिग्ध ऋण माना जाएगा और प्रदान किया जाएगा।

**XIV. पट्टे:**

किसी व्यवस्था के पट्टा होने का निर्धारण (या उसमें पट्टा होने), पट्टे के आरंभ में व्यवस्था के सार पर आधारित होता है। व्यवस्था पट्टा है या उसमें पट्टा है, यदि व्यवस्था की पूर्ति किसी विशिष्ट परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के उपयोग पर निर्भर करती है और व्यवस्था उस परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार प्रदान करती है, भले ही वह अधिकार व्यवस्था में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न हो।

**जहाँ कंपनी पट्टेदार है**

ऐसे पट्टे जहाँ पट्टादाता पट्टे पर दी गई वस्तु के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से बनाए रखता है, परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। परिचालन पट्टे के भुगतानों को पट्टे की अवधि के दौरान लाभ और हानि विवरण में सीधी रेखा के आधार पर एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

**जहाँ कंपनी पट्टाकर्ता है**

ऐसे पट्टे जिनमें कंपनी परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टे के अधीन परिसंपत्तियाँ अचल परिसंपत्तियों में शामिल हैं। पट्टा आय को पट्टा अवधि के दौरान उपार्जन के आधार पर लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। मूल्यह्रास सहित लागत को व्यय के रुप मान्यता दी जाती है। प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें जैसे कानूनी लागतें, ब्रोकरेज लागतें, आदि को लाभहानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

**XV. प्रति शेयर आय**

प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को दिए जाने वाले वर्ष के शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

**(ख). लेखा नोट्स**

**पृष्ठभूमि**

**1.** फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की स्थापना 1 जनवरी 1961 को सिंदरी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड और हिंदुस्तान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के विलय से हुई थी।

**2.** बाद में, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को 1.4.1978 को पाँच कंपनियों, अर्थात् FCIL, NFL, HFCL, RCF और PDIL, में पुनर्गठित किया गया।

**3.** FCIL की चार इकाइयाँ हैं, अर्थात् सिंदरी (झारखंड), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), रामागुंडम (तेलंगाना) और तालचेर (ओडिशा) एवं कोरबा परियोजना (छत्तीसगढ़)।

**बीआईएफआर को संदर्भित**

**4**. पुनर्गठन के बाद, एफसीआईएल के पास रखी गई इकाइयों की पुरानी तकनीक और फीडस्टॉक की प्रकृति के कारण, कंपनी को घाटा होने लगा और 1983-84 तक इसकी पूरी निवल संपति समाप्त हो गई।

**5.** रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान)अधिनियम, 1985 (एसआईसीए में) 1992 में संशोधन के बाद, एफसीआईएल को अप्रैल 1992 में बीआईएफआर को संदर्भित कर दिया गया।

**इकाइयों का संचालन बंद करना**

**6.** उर्वरक इकाइयों के आर्थिक संचालन की अव्यवहार्यता के कारण, भारत सरकार ने 2002 में सभी उर्वरक इकाइयों का संचालन बंद करने और कर्मचारियों को वीएसएस पर मुक्त करने का निर्णय लिया। तदनुसार, संयंत्रों की सुरक्षा और वैधानिक कार्यों के निर्वहन हेतु रखे गए अल्प कर्मचारियों को छोड़कर, अधिकांश कर्मचारियों को वीएसएस पर मुक्त कर दिया गया। जिन कर्मचारियों को रखा गया था, वे बाद में सेवानिवृत्त हो गए या समय के साथ वीएसएस के तहत मुक्त कर दिए गए।

**7.** वर्तमान में, कंपनी में केवल 1 कर्मचारी कार्यरत है और विभिन्न इकाइयोंकॉर्पोरेट कार्यालयों में कार्य / आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ अनुचरों की सेवाएँ ली जा रही हैं।

**इकाइयों का पुनरुद्धार**

**8.** इसके बाद, देश में यूरिया की माँगआपूर्ति के अंतर को देखते हुए और एफसीआईएल की बंद उर्वरक - इकाइयों में उपलब्ध परिसंपत्तियों और अवसंरचना का लाभ उठाने के लिए, भारत सरकार ने अप्रैल 2007 में इन इकाइयों के पुनरुद्धार पर विचार करने का निर्णय लिया।

**9.** अक्टूबर 2008 में, सीसीईए ने इन इकाइयों के पुनरुद्धार की व्यवहार्यता की जाँच करने और सरकारी वित्तपोषण के बिना तथा गैस की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये पुनरुद्धार हेतु एक योजना की सिफारिश करने के लिए सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। (ईसीओएस)

**10.** आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (ECOS) की सिफारिशों पर, 4.8.2011 को, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) ने भारत सरकार द्वारा नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) द्वारा या बोली प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तिगत इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु एक मसौदा पुनर्वास योजना को मंजूरी दी। CCEA ने यह भी मंजूरी दी कि सरकार द्वारा नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्जीवित संयुक्त उद्यम, FCIL को परियोजना में न्यूनतम 11% इक्विटी और बोर्ड में एक सीट प्रदान करेंगे।

**11**. इसके अलावा, CCEA ने 9.5.2013 को FCIL के 31.3.2012 तक के भारत सरकार के ऋण (₹273927.66 लाख) और ब्याज (₹790446.80 लाख) को माफ करने को मंजूरी दी ताकि (एफसीआईएल) का निवल मूल्य सकारात्मक हो सके और पुनरुद्धार प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए FCIL BIFR से पंजीकरण रद्द करवा सके। कंपनी का BIFR से पंजीकरण 27.6.2013 को रद्द कर दिया गया।

**12.** वर्तमान में, भारत सरकार के अनुमोदन से, एफसीआईएल की इकाइयों का पुनरुद्धार निम्नानुसार किया जा रहा है-:

संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ पट्टा समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। पट्टा समझौतों की शर्तों के अनुसार, सभी पट्टे परिचालन पट्टे हैं और लेखांकन प्रक्रिया तदनुसार की गई है।

**<u>रामागुंडम इकाई</u>**

नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अर्थात् ईआईएल, एनएफएल और एफसीआईएल द्वारा रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया (आरएफसीएल) है। इसका उद्देश्य 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया प्रति वर्ष की क्षमता वाला एक गैसआधारित उर्वरक संयंत्र - स्थापित करना है। एफसीआईएल को भूमि उपयोग, उपयोग योग्य संपत्ति और अवसर लागत प्रदान करने के बदले 11% इक्विटी दी गई है। रियायत समझौते, पट्टा समझौते और प्रतिस्थापन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संयंत्र ने 22 मार्च 2021 से यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

**<u>तालचेर इकाई</u>**

नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अर्थात् आरसीएफ, गेल, सीआईएल और एफसीआईएल द्वारा तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य (टीएफएल) 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया प्रति वर्ष की क्षमता वाला एक कोयलाआधारित उर्वरक संयं-त्र स्थापित करना है। भूमि उपयोग, उपयोगी संपत्तियाँ और अवसर लागत प्रदान करने के बदले एफसीआईएल को 4.45% इक्विटी दी जाएगी। परियोजना का कार्य अब आगे बढ़ रहा है। परियोजना की पूर्णता तिथि दिसंबर, 2027 निर्धारित की गई है। परियोजनापूर्व गतिविधियां पूरी हो चुकी है। विभिन्न एलएसटी के और गैरएलएसटी के अनुबंध फर्मों द्वारा परियोजनापूर्व-गतिविधियां प्रगति पर हैं। रियासत समझौते पट्टा समझौते और प्रतिस्थापन समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

**<u>सिंदरी और गोरखपुर इकाइयाँ</u>**

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13.7.2016 को एफसीआईएल की सिंदरी और गोरखपुर इकाइयों के साथसाथ - एचएफसीएल की बरौनी इकाई को एनटीपीसी, सीआईएल और आईओसीएल नामक नामित सार्वजनिक उपक्रमों की एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया ताकि प्रत्येक में 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाले गैस आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जा सकें। एफसीआईएल और एचएफसीएल संयुक्त उद्यम भागीदार भी होंगे, जिन्हें भूमि उपयोग, उपयोग योग्य परिसंपत्तियों और अवसर लागत के बदले प्रत्येक परियोजना में **10.99%** इक्विटी प्राप्त होगी। इकाइयों के पुनरुद्धार के उद्देश्य से 'हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल)' के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया है। सिंदरी और गोरखपुर परियोजनाओं के लिए रियायत समझौतों, पट्टा विलेखों और प्रतिस्थापन समझौतों पर हस्ताक्षर

किए गए हैं। **गोरखपुर और सिंदरी संयंत्र में क्रमशः 03.05.2022 और 15.04.2023 को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो चुका है।**

**(ग) <u>अचल संपतियाँ, निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य और आकस्मिक देयताएँ</u>**

**1. (i)** सिंदरी स्थित कुल 6652.61 एकड़ भूमि में से, बिहार सरकार से निःशुल्क प्राप्त (अब झारखंड)112 एकड़ भूमि का मूल्यांकन लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार पूँजी आरक्षित निधि के अंतर्गत अनुमानित मूल्य पर 14.11 लाख रुपये किया गया है, जिसे बाद में लाभहानि खाते से डेबिट करके लेखा - पुस्तकों से निकाल लिया गया। बाद के वर्षों में, 11.5 लाख रुपये का व्यय हुआ। भूमि विकास, पंजीकरण शुल्क, उपकर और स्टाम्प शुल्क आदि पर एफसीआईएल द्वारा 87.33 लाख रुपये व्यय किए गए।

**(ii)** उपरोक्त 6652.61 एकड़ भूमि में से, 478.18 एकड़ भूमि पचास के दशक के अंत और साठ के दशक के प्रारंभ में बिहार प्रौद्योगिकी संस्थान, बोकारो औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बिहार राज्य आवास बोर्ड और नेत्रहीन विद्यालय को स्थायी रूप से हस्तांतरित कर दी गई थी। 1413.36 एकड़ भूमि, विभिन्न पक्षों एचयूआरएल 695 एकड़, एसीसी 256.81 एकड़, सेल 304 एकड़ (इसके अतिरिक्त) 61 एकड़ सेल को प्रस्तावित है और (96.55 एकड़ भूमि विभिन्न अन्य पक्षों को अलग पट्टा-को अलग अवधि के लिए पट्टे पर दी गई है, जिसमें से 46.862 एकड़ भूमि के पट्टे बहुत पहले ही समाप्त हो चुके हैं और नवीनीकरण की प्रक्रिया में हैं।

**(iii)** सिंदरी में 304 एकड़ ज़मीन सेल चासनाला को 4 सितंबर, 2023 से 30 साल की अवधि के लिए लीज़ पर दी गई है, जो तीन चरणों में दी जानी है। 2023-24 में 60 एकड़ ज़मीन दी जा चुकी है, 2025-26 और 2026-27 में क्रमशः 110 एकड़ और 134 एकड़ ज़मीन दी जाएगी। 60 एकड़ ज़मीन के लिए भुगतान 2023-24 में प्राप्त हुआ। 244 एकड़ ज़मीन के लिए, लागू दरों के आधार पर भुगतान 2025-26 और 2026-27 में प्राप्त होगा, जब ज़मीन वास्तव में सेल को सौंप दी जाएगी।

**(iv)** सिंदरी में 6548 क्वार्टरों में से 2695 क्वार्टर अनधिकृत कब्जे में हैं और सार्वजनिक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है और कंपनी को कोई नुकसान होने की उम्मीद नहीं है।

**(v)** सिंदरी में 32.50 एकड़ भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है और सार्वजनिक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है तथा कंपनी को कोई नुकसान होने की उम्मीद नहीं है।

**2.** कोरबा में 907 एकड़ ज़मीन 1974 से 1980 के दौरान राज्य सरकार से निःशुल्क प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त, एफसीआईएल द्वारा 16.78 लाख रुपये मूल्य की 36 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित की गई। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई 907 एकड़ ज़मीन में से 21.5 एकड़ ज़मीन वर्ष 2005 में बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट (बीसीपीपी) को सौंप दी गई और 40.5 एकड़ ज़मीन पर उनका कब्ज़ा हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने एफसीआईएल से अनुमति लिए बिना ही 2007 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड को 258 एकड़ ज़मीन आवंटित कर दी।

इस प्रकार, वर्तमान में 623 एकड़ ज़मीन एफसीआईएल कोरबा के कब्जे में है।

**3. (i)** तालचेर इकाई के लिए, 1971 से 1979 की अवधि के दौरान, एफसीआईएल को राज्य सरकार से 919.59 एकड़ भूमि निःशुल्क प्राप्त हुई और एफसीआईएल ने निजी पक्षों से 21.19 लाख रुपये मूल्य की 14.01 एकड़ भूमि फ्रीहोल्ड भूमि के रूप में खरीदी। राज्य सरकार से प्राप्त भूमि का मूल्य, सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, पूंजी आरक्षित निधि के माध्यम से, 18.64 लाख रुपये आंका गया था। बाद के वर्षों में, एफसीआईएल द्वारा भूमि विकास, पंजीकरण शुल्क, उपकर और स्टाम्प शुल्क आदि पर 32.93 लाख रुपये व्यय किए गए।

**(ii)** वर्ष 1985-86 में, ओडिशा सरकार की भूमि बंदोबस्त योजना पूरे अविभाजित जिले ढेंकनाल में लागू थी, जिससे वर्ष 1993 में वर्तमान नया जिला अंगुल बना। पूरे जिले में भूमि अभिलेखों के नियमितीकरण, भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन और सुधार, भूमि के किसम में परिवर्तन आदि के लिए कई बंदोबस्त शिविर (किसम) आयोजित किए गए।

**(iii)** उपरोक्त प्रक्रिया के कारण, तालुकावार भूमि के साथ की कुल मात्रा में भी कुछ भूमि परिवर्तन परिवर्तन हुए हैं। पहले एफसीआईएल के पास कुल भूमि 933.600 एकड़ दिखाई गई थी, जबकि वास्तविक उपलब्ध भूमि केवल 908.516 एकड़ है। विभिन्न गाँवों में 25.084 एकड़ (शुद्ध) भूमि उपलब्ध नहीं है

क्योंकि वर्ष 1985-86 में ढेंकनाल जिले (अंगुल का मातृ जिला) में बंदोबस्त प्रक्रिया के दौरान बंदोबस्त प्राधिकरण द्वारा इसे अन्य खतों में स्थानांतरित कर दिया गया था।

**(iv)** एफसीआईएल के पास उपलब्ध कुल 908.516 एकड़ भूमि में से 32.381 एकड़ भारी पानी संयंत्र को सौंपी जानी है और शेष 876.135 एकड़ भूमि 2024-25 के दौरान टीएफएल को सौंप दी गई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है-

| **क्रम संख्या** | **विवरण** | **भूमि एकड़ में** |
|---|---|---|
| **1** | अधिकारों के स्पष्ट रिकॉर्ड वाली भूमि | 870.950 |
| **2** | गैर आरओआर भूमि जिसके लिए अनुमेय अधिकार उपलब्ध होगा) | 04.98 |
| **3** | एफसीआईएल के पक्ष में आरओआर प्राप्त करने के लिए राजस्व विभाग के पास मामले लंबित हैं | 0.205 |
| **कुल** | | **876.135** |

**4. (i)** गोरखपुर इकाई में, उत्तर प्रदेश सरकार ने कंपनी को अपनी परियोजना के लिए दिसंबर 1963 से मार्च 1970 के दौरान 993.335 एकड़ भूमि अधिग्रहित और आवंटित की, जिसमें से अधिग्रहण लागत का 40%, जिसका मूल्य 19.51 लाख रुपये था, एफसीआईएल द्वारा राज्य सरकार को भुगतान किया गया था और शेष 60%, जिसका मूल्य 29.26 लाख रुपये था, राज्य सरकार द्वारा दिया गया था।

**(ii)** लखनऊ में 10733.1 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला एक भूखंड दिसंबर, 1983 में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा एफसीआईएल को 7.51 लाख रुपये के मूल्य पर पट्टे पर दिया गया था। वर्ष 1996 तक का पट्टा किराया पहले ही चुका दिया गया था और उसके बाद कोई भुगतान नहीं किया गया। अब, अप्रैल 2025 में लखनऊ विकास प्राधिकरण को पट्टा किराया, गैरनिर्माण शुल्क और फ्रीहोल्ड शुल्क के रूप में 212.49 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। लीजहोल्ड भूखंड को फ्रीहोल्ड भूखंड में परिवर्तित करने से संबंधित दस्तावेजों पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाने हैं।

**(iii)** उर्वरक विभाग और गृह मंत्रालय के बीच 5-2-2004 के एमओयू के अनुसार कुछ इमारतें और क्वार्टर सशस्त्र सीमा बल को दिए गए हैं। मेसर्स एचयूआरएल द्वारा इकाई के पुनरुद्धार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, एसएसबी को लगभग 125 एकड़ के क्षेत्र में खुद को समायोजित करने की सलाह दी गई है जैसा कि उर्वरक विभाग और गृह मंत्रालय के बीच सहमति हुई थी। तदनुसार, एफसीआईएल ने 15.3.2019 को एसएसबी को 6475.00 लाख रुपये के एकमुश्त प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराया के रूप में 518.00 लाख रुपये के भुगतान पर 55 साल की अवधि के लिए 125 एकड़ जमीन के पट्टे को मंजूरी दे दी है। लेकिन एसएसबी ने सभी शुल्क माफ करने के लिए मंत्रालय स्तर पर मामला उठाया। बाद में, एफसीआईएल बोर्ड ने 4.3.2023 को 6475.00 लाख रुपये का एकमुश्त प्रीमियम माफ कर दिया। यह मामला आवश्यक हस्तक्षेप के लिए उर्वरक विभाग को भेज दिया गया है। हालाँकि, SSB द्वारा उठाए गए विवाद के कारण, FCIL वार्षिक किराये के बिल नहीं बना रहा है, इसलिए उपरोक्त मद में राजस्व की गणना नहीं की जा सकी है। इसके अलावा, प्रबंधन इसके विरुद्ध किसी संभावित अंतर्वाह पर विचार नहीं कर रहा है। इसलिए, इसे आकस्मिक परिसंपत्ति भी नहीं माना गया है।

**(iv)** कुल भूमि में से, HURL को 600 एकड़ और SSB को 125 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के बाद, विशेष सचिव ने अपने पत्र दिनांक 30.01.2019 के तहत गोरखपुर में शेष 268.335 एकड़ भूमि को FCIL की सहमति लिए बिना ही गोरखपुर के DM के नियंत्रण में कर दिया है। यह मामला राज्य सरकार के समक्ष उठाया गया है, लेकिन वे अपने दिनांक 30.01.2019 के पत्र को वापस लेने को तैयार नहीं हैं। इसके अलावा, DM, गोरखपुर द्वारा जारी दिनांक 21.10.2021 के पत्र के तहत, राज्य प्रशासन ने नवंबर-दिसंबर 2021 के महीने में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सैनिक स्कूल के लिए चिन्हित 49 एकड़ भूमि पर बने 215 क्वार्टरों को

पहले ही ध्वस्त कर दिया है, सिवाय 7 दुकानों के, जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश मिला हुआ है। ध्वस्त किए गए क्वार्टरों के लिए, 18,25,988/- रुपये का बही मूल्य और 18,16,957/- रुपये का संचित मूल्यह्रास वापस ले लिया गया है और वर्ष 2021-22 के दौरान पुस्तकों में 9031/- रुपये की राशि अयलिखित की गई थी। हमने विषय भूमि के हस्तांतरण विलेख के प्रावधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार को भूमि सौंपने के लिए उर्वरक विभाग में मामला उठाया है। इस बीच, एफसीआईएल, गोरखपुर इकाई के कुछ पूर्व कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार के 30.01.2019 और 21.10.2021 के पत्र को रद्द करने/अलग रखने की प्रार्थना करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय गए हैं।

**5.** रामागुंडम के लिए, 1971 से 1989 तक विभिन्न वर्षों में कुल 1284.04 एकड़ भूमि प्राप्त/खरीदी गई। राज्य सरकार से यह भूमि निःशुल्क प्राप्त हुई थी और इसका अनुमानित मूल्य ₹4.59 लाख (पूंजी आरक्षित) था, जिसे बाद में वर्ष 2003-04 के दौरान लाभ-हानि में स्थानांतरित कर दिया गया। लीज होल्ड और फ्री होल्ड भूमि का विवरण नीचे दिया गया है:

**(एकड़: गुंटास)**

| | **क्षेत्र** | **लागत (रु(लाख/.** |
|---|---|---|
| | **एकर गुंटास** | |
| फ्री होल्ड: | 308.32 | 308.32 |
| लीज होल्ड : | 975.12 | 33.89 |
| कुल | **1284.04*** | **162.62** |

*40 गुंटा 1 एकड़ के बराबर है।

**6.** नोएडा में, **4261.16** वर्ग मीटर का एक भूखंड, नोएडा प्राधिकरण द्वारा **24** मई **1989** को **90** वर्षों के पट्टे पर एफसीआईएल को आवंटित किया गया था। यह भूखंड ए-**11,** सेक्टर-**1,** नोएडा में स्थित है।

इस भूखंड का **2024-25** तक का वार्षिक पट्टा किराया मार्च **2024** तक नियमित रूप से भुगतान किया गया था। हालाँकि, मार्च **2025** में, **27.03.2025** को **89.80** लाख रुपये का एकमुश्त पट्टा भुगतान किया गया था और अब पट्टा अवधि समाप्त होने तक कोई वार्षिक पट्टा भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

भूखंड पर कार्यालय भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। मेसर्स एनबीसीसी को परियोजना प्रबंधन सलाहकार कार्य सौंपा गया है। अनुमानित लागत के रुप में कार्य करने का (पीएमसी) 5943 लाख रुपये है, जिसमें लागू कर और एनबीसीसी का 7% सेवा शुल्क शामिल है। मेसर्स एनबीसीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर 24 मई 2021 को हस्ताक्षर किए गए और 21.6.2021 को 650 लाख रुपये का प्रारंभिक अग्रिम भुगतान किया गया। एनबीसीसी ने कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 12.4.2022 को कार्य आदेश प्रदान किया है। समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, निर्माण की समाप्ति तिथि 30.09.2024 है, जिसे 30.11.2025 तक बढ़ा दिया गया है। 31.03.2025 तक, केवल लगभग 61% ही कार्य पूरा हुआ है। और 31.03.2025 तक एफसीआईएल द्वारा एनबीसीसी को किया गया कुल भुगतान (प्रारंभिक अग्रिम सहित) 3202.46 लाख रुपये है और एनबीसीसी ने 3012.83 लाख रुपये मूल्य का कार्य पूरा कर लिया है (एनबीसीसी को दिए गए अग्रिम पर अर्जित ब्याज के प्रति 57.55 लाख रुपये समायोजित करने के बाद), जिसे 31.03.2025 तक सीडब्ल्यूआईपी के रूप में दिखाया गया है और 132.08 लाख रुपये की शेष राशि पुस्तकों में अग्रिम के रूप में दिखाई दे रही है।

**7.** एफसीआईएल और पीडीआईएल द्वारा 6 सितंबर, 2017 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन और तत्पश्चात उर्वरक विभाग के अनुमोदन के अनुसरण में, पीडीआईएल के उपयोगाधीन भूमि और पीडीआईएल, सिंदरी इकाई की अचल संपतियाँ, जिनका सकल मूल्य और शुद्ध मूल्य क्रमशः 26.40 लाख रुपये और 24.89 लाख रुपये है, 30/04/2019 को "जैसी है जहाँ है" के आधार पर बिना भौतिक सत्यापन के एफसीआईएल को

सौंप दी गई हैं। इसे एफसीआईएल के लेखा-जोखा में शामिल नहीं किया गया है। पीडीआईएल के माध्यम से कैटेलिस्ट प्लांट और अन्य संबंधित संपत्तियों की बिक्री प्रक्रियाधीन है।

8. गैर चालू परिसंपत्तियों में **30.68** लाख रुपये मूल्य की उपयोग में नहीं ली गई या बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनका मूल्यांकन **31.03.2025** तक बही मूल्य पर किया गया है (वहन लागत), इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य और इन परिसंपत्तियों को बेचने की संगत लागत इस स्तर पर पता लगाने योग्य नहीं है, इसलिए उचित मूल्य और वहन लागत के कारण यदि कोई अंतर है, तो वह पता लगाने योग्य नहीं है, इसलिए प्रदान नहीं किया गया है।

9. सिंदरी संयंत्र में, उत्प्रेरक ग्रेड (27780.1 ग्राम का प्लैटिनम), जिसका मूल्य 31.03.2025 तक ₹174.79 लाख था, अप्रयुक्त अवस्था में सुरक्षित रखा हुआ है। इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि बाजार में प्लैटिनम का काफी मूल्य है। मेसर्स आरसीएफ के तकनीकी मार्गदर्शन में, उत्प्रेरक ग्रेड प्लैटिनम के नमूने गुणवत्ता परीक्षण के लिए मेसर्स लेडॉक्स एंड कंपनी, अमेरिका को भेजे गए। परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, सामग्री की गुणवत्ता बहुत अच्छी श्रेणी की है।

**9.1** नमूने लेते समय, उत्प्रेरक ग्रेड का कुल वजन **27145.86** ग्राम पाया गया, जबकि पहले यह **27780.1** ग्राम दर्ज किया गया था। धूल श्रेणी में **784.71** ग्राम की कमी पाई गई, जो संभवतः नमी की मात्रा और **2016** से बार-बार खोलने के कारण हुई है। अन्य सामग्रियों में अधिक वजन पाया गया। गुणवत्ता विश्लेषण के अनुसार, 31.03.2025 तक विश्लेषण के लिए भेजे गए नमूनों को छोड़कर, प्लेटिनम (27069.33 ग्राम) का मूल्यांकन 570.15 लाख रुपये आता है, लेकिन लेखा नीति के अनुसार, इसे बहीखातों में 174.79 लाख रुपये के समान स्तर पर ही रखा गया है।

**9.2** गुणवत्ता विश्लेषण के लिए कुल 150.51 ग्राम वजन वाले नमूनों के तीन सेट लिए गए (धूल को छोड़कर, जिसका एक नमूना लिया गया था), जिनमें से केवल एक नमूना अमेरिका भेजा गया और दो नमूने भविष्य के संदर्भ के लिए हमारी अभिरक्षा में हैं। प्लैटिनम के कुल मूल्यांकन की तुलना में इस्तेमाल किए गए एक नमूने के छोटे मूल्य को देखते हुए, इसका हिसाब नहीं लगाया गया है।

**9.3** उपरोक्त के अतिरिक्त, 2583.04 ग्राम (सिंदरी के लिए), 221.40 ग्राम (गोरखपुर के लिए), 524.44 ग्राम (तालचेर के लिए) और 433.687 ग्राम (रामागुंडम के लिए) प्लैटिनम के सामान, सोने के रसायन, प्रयोगशाला के बर्तन जो 27069.33 ग्राम से भिन्न गुणवत्ता के हैं, जिन्हें गुणवत्ता मूल्यांकन के अभाव में पुस्तकों में शामिल नहीं किया गया है।

**(घ) वर्तमान देयताएं और प्रावधानः**

1. वर्तमान देयता में नोट-15 में कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान शामिल है, 01 कर्मचारी (पिछले वर्ष 01 कर्मचारी) के लिए वीएसएस मुआवजा, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण के संबंध में 16.88 लाख रुपये (पिछले वर्ष 26.88 लाख रुपये) की राशि, जिनके वीएसएस के लिए अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन काम की अनिवार्यताओं के कारण 31.03.2025 तक जारी नहीं किया गया है।
2. विविध लेनदारों में गोरखपुर इकाई के नौ कर्मचारियों, जिन्होंने वीएसएस का विकल्प नहीं चुना था और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार छंटनी कर दी गई थी, के लिए ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश आदि के चेक द्वारा भुगतान के संबंध में 5.23 लाख रुपये (पिछले वर्ष 5.23 लाख रुपये) की अस्वीकृत राशि शामिल है। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट दायर करके छंटनी को चुनौती दी, जिसे 14.11.2019 को खारिज कर दिया गया और उन्होंने डिवीजन बेंच में अपील की, जो सुनवाई के लिए लंबित है। डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लंबित रहने के दौरान, उन्होंने इसी राहत के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या: 1624/2023 दायर की, जिसे 16 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

3. आरएफसीएल द्वारा एफसीआईएल को जारी किए गए शेयरों के लिए आयकर विभाग से वित्तीय वर्ष **2018-19** और **2022-23** के लिए कर और जुर्माने के रूप में **8,145.12** लाख रुपये की मांग की गई है। यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में लंबित है और कंपनी को केस जीतने की पूरी उम्मीद है, लेकिन एहतियात के तौर पर, वर्ष के दौरान खातों में राशि दर्शा दी गई है।

**(ङ) सिंदरी, गोरखपुर, रामागुंडम और तालचेर इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार, निम्नलिखित निवेश किए गए हैं- :**

**रामागुंडम इकाई:**

**भूमि उपयोग, उपयोग योग्य परिसंपत्तियों और अवसर लागत के लिए प्राप्त इक्विटी शेयर निम्नानुसार हैं:**

वर्ष **2014-15** में, कंपनी ने मेसर्स रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल), रामागुंडम के **10,000** इक्विटी शेयरों के लिए **1.00** लाख रुपये का भुगतान किया और **10,000** इक्विटी शेयर प्राप्त किए। वर्ष **2017-18** में, आरएफसीएल ने कंपनी के एसोसिएशन के नियमों के अनुसार **10** रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर अपने अंशदान के मूल्य के विरुद्ध एफसीआईएल को **9251.63** लाख रुपये के इक्विटी शेयर जारी किए हैं। कंपनी को विभिन्न वर्षों में निम्नानुसार इक्विटी शेयर प्राप्त हुए हैं **:2018-19 - 2327.01** लाख रुपये, **2019-20 - 2869.63** लाख रुपये, **2020-21- 4490.00** लाख रुपये और **2021-22, 1854.37** लाख रुपये।

**तालचेर इकाई:**

वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी ने तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड (TFL) (जिसे पहले "राष्ट्रीय कोल एंड गैस फर्टिलाइजर्स लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) में ₹0.50 लाख का निवेश किया और ₹10/- प्रति शेयर मूल्य के 5,000 इक्विटी शेयर प्राप्त किए।

**सिंदरी और गोरखपुर इकाइयाँ:**

वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी ने हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (HURL) में ₹10/- प्रति शेयर मूल्य के 16,667 इक्विटी शेयरों के लिए ₹1.67 लाख का निवेश किया, जिसके लिए कंपनी को शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त हो चुके हैं। गोरखपुर और सिंदरी इकाइयों में क्रमशः 03.05.2022 और 15.04.2023 को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो चुका है। रियायत समझौते के अनुसार, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने पर, HURL गोरखपुर और सिंदरी संयंत्र की कुल इक्विटी शेयरधारिता का 10.99% जारी करेगा। उत्पादन। HURL ने 18.08.2025 को FCIL को 56721.77 लाख रुपये के इक्विटी शेयर जारी किए हैं, जो कट-ऑफ तिथि अर्थात 30.04.2023 को अन्य तीन प्रमोटरों के इक्विटी योगदान पर आधारित है। महत्वपूर्ण कर निहितार्थों (आयकर और जीएसटी) और माननीय उच्च न्यायालयों में चल रहे मुकदमों को ध्यान में रखते हुए, प्राप्त शेयरों का आवश्यक लेखा-जोखा अगले वर्ष ICAI से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करने और इस मामले में आवश्यक कानूनी सलाह लेने के बाद किया जाएगा।

**(च) विविधः**

1. बोर्ड की राय में, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का सामान्य व्यावसायिक क्रम में प्राप्ति मूल्य कम से कम उस राशि के बराबर होता है जिस पर वे वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए हैं।

2. चूँकि कंपनी ने 2003 से विनिर्माण कार्य नहीं किया है, इसलिए दिनांक 31.12.2014 के "कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखापरीक्षा) संशोधन नियम 2014" के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान "लागत अभिलेख" बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

3. व्यापार प्राप्य, पूर्व कर्मचारियों के देय, व्यापार देय और अन्य प्राप्य और देय राशियों का शेष अपुष्ट है। इस संबंध में यदि कोई विसंगति है, तो उसका पता नहीं लगाया जा सकता है।

4. कंपनी का आयकर मूल्यांकन निर्धारण वर्ष **2024-25** तक पूरा हो गया है, तथापि निम्नलिखित निर्धारण वर्षों के लिए कंपनी/विभाग ने अपील की है।

| क्रम संख्या | मूल्यांकन वर्ष. | टिप्पणी |
|---|---|---|
| **1.** | 2002-03 to 2014-15 | आयकर विभाग ने प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) में अपील दायर की, जिसका निर्णय कंपनी के पक्ष में हुआ। आयकर विभाग ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की और निर्धारण वर्ष 2004-05 से 2009-10 तक के लिए अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने मामले को निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए विचारार्थ ITAT को वापस भेज दिया और 2009-10 के लिए राजस्व संबंधी अपील खारिज कर दी। |
| **2.** | 2018-19 | कंपनी ने सीआईटी के आदेश के विरुद्ध आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में अपील दायर की, हालाँकि, आईटीएटी का निर्णय कंपनी के पक्ष में नहीं आया। कंपनी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। मामला वहाँ लंबित है। मामले की अंतिम सुनवाई 15.04.2025 को हुई और अब इसे 30.04.2026 के लिए नियत किया गया है। हालाँकि कंपनी को केस जीतने की पूरी उम्मीद है, लेकिन एहतियात के तौर पर, वर्ष के दौरान 7500.91 लाख रुपये की माँग राशि (जिसमें 5000.61 लाख रुपये की कर माँग और 2500.30 लाख रुपये की जुर्माना राशि शामिल है) को लेखा पुस्तकों में दर्शा दिया गया है। |
| **3.** | 2022-23 | यद्यपि कंपनी ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध सीआईटी में अपील की है, लेकिन पर्याप्त एहतियाती उपाय के रूप में वर्ष के दौरान पुस्तकों में 644.21 लाख रुपये की मांग की राशि प्रदान की गई है। |
| **4.** | 2023-24 | 20.31 लाख रुपये की वापसी को वित्तीय वर्ष 2018-19 की मांग के विरुद्ध समायोजित किया गया है। |
| **5.** | 2024-25 | 832.16 लाख रुपये का रिफंड प्राप्त हो चुका है। शेष 0.12 लाख रुपये अभी भी प्राप्त होने बाकी हैं। |

निर्धारण वर्ष **2020-21, 2021-22** और **2022-23** के लिए मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान, आयकर विभाग द्वारा क्रमशः **426.36** लाख रुपये, **411.82** लाख रुपये और **201.81** लाख रुपये की रिफंड राशि को निर्धारण वर्ष **2018-19** की निर्धारित मांग के विरुद्ध समायोजित किया गया है। चूँकि कंपनी ने आयकर विभाग द्वारा निर्धारण वर्ष **2018-19** और **2022-23** के लिए की गई मांग हेतु **8145.12** लाख रुपये का प्रावधान किया है, इसलिए निर्धारण वर्ष **2020-21, 2021-22** और **2022-23** के लिए वसूली योग्य **1039.98** लाख रुपये की आयकर रिफंड राशि को वसूली के लिए उपयुक्त माना गया है।

**5.** वर्ष 2002 में विनिर्माण कार्यों को बंद करने और कर्मचारियों को वीएसएस पर कार्यमुक्त करने के भारत सरकार के निर्णय और बीआईएफआर द्वारा दिनांक 17.05.2004 के आदेश द्वारा जारी समापन अनुशंसा, तथा सीसीईए के दिनांक 10.08.2011, 09.05.2013 के निर्णय और दिनांक 13.07.2016 के कैबिनेट निर्णय के अनुसरण में, सभी इकाइयाँ पुनरुद्धार के अधीन हैं, जहाँ उपयोगी संपत्तियाँ पुनर्जीवित संयुक्त उद्यमों को सौंप दी गई हैं और अनुपयोगी वस्तुओं का निपटान किया जा रहा है। 31.3.2025 तक केंद्रीय कार्यालय सहित सभी इकाइयों में शेष अचल संपत्तियों और इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया और भौतिक सत्यापन में कोई भी भौतिक विसंगति नहीं पाई गई।

**6.** विविध लेनदारों के बकाया में पिछले कई वर्षों से देय राशि शामिल है और इन पक्षों की (पुरानी बकाया राशि) एमएसएमई स्थिति कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए, एमएसएमई स्थिति के अभाव में, एमएसएमई को देय राशि, यदि कोई हो, का पता लगाना संभव नहीं है।

**7.** तालचेर की परिसंपत्तियों (भूमि को छोड़कर) के लिए वर्ष 2014-15 में सृजित पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में से 01.04.2024 को 1310.51 लाख रुपये का शेष आरंभिक शेष के रूप में प्रदर्शित हो रहा था। वर्ष के दौरान, तालचेर इकाई की संपूर्ण परिसंपत्तियाँ (भूमि और 5 क्वार्टरों को छोड़कर) टीएफएल को हस्तांतरित कर दी गई हैं। वर्ष के दौरान निम्नलिखित समायोजन किए गए:-

**(क)** टीएफएल को हस्तांतरित परिसंपत्तियों का 834.28 लाख रुपये का अवलिखित मूल्य पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से समायोजित कर दिया गया है।

**(ख)** टीएफएल को हस्तांतरित परिसंपत्तियों का 116.93 लाख रुपये का अवलिखित मूल्य वापस ले लिया गया है और उपरोक्त पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि के साथ समायोजित कर दिया गया है।

**(ग)** पिछले वर्षों में वसूले गए 18.91 लाख रुपये के अतिरिक्त मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित कर लिया गया है।

**(घ)** 358.08 लाख रुपये की राशि (एफसीआईएल के पास 5 शेष मकानों के लिए 19.45 लाख रुपये का शेष छोड़ने के बाद) को इक्विटी घटकों के बीच हस्तांतरण और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण के भीतर प्रतिधारित आय में हस्तांतरण के रूप में माना गया है।

**8.** सिंदरी इकाई में अनधिकृत रूप से कब्जे वाले क्वार्टरों के नियमितीकरण के लिए एक माफी योजना 2023-24 में शुरू की गई थी जिसके अनुसार अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अनधिकृत रहने वालों को 21 साल के लिए पट्टा किराया और शुल्क का भुगतान करने का विकल्प दिया गया था, यानी जनवरी 2003 से दिसंबर 2023/जनवरी 2024 तक की अवधि के लिए 25% छूट का लाभ उठाने के लिए एक किस्त में या बिना छूट के तीन किस्तों में राशि का भुगतान करने के लिए। 25% छूट के लिए पात्र 212 आवेदकों से 510 लाख रुपये और 5 अन्य आवेदकों से 18.02 लाख रुपये प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान सभी 217 आवेदकों को 11 महीने के लिए अस्थायी पट्टा (आगे नवीकरणीय) प्रदान किया गया है और प्राप्त राशि को चालू वर्ष की आय के रूप में माना गया है। 35 पात्र आवेदकों से 111.52 लाख रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है, जो अस्थायी पट्टा प्रदान करने हेतु जांच/अनुमोदनाधीन है। प्राप्त राशि अग्रिम रूप से बुक कर ली गई है।

**9.** जीएसटी विभाग ने कंपनी पर निम्नलिखित मांगें रखी हैं जिन्हें आकस्मिक देनदारियां माना जाता है-

**9.1** जीएसटी विभाग ने अपने दिनांक 01.02.2025 के आदेश के माध्यम से आरएफसीएल द्वारा एफसीआईएल को अवसर लागत, परिसंपत्तियों के उपयोग और संबंधित बुनियादी ढांचे सहित भूमि के उपयोग के लिए जारी किए गए शेयरों के मूल्य पर जीएसटी जमा न करने के कारण 7485.71 लाख रुपये (जिसमें 3742.86 लाख रुपये की जीएसटी और 100% जुर्माना राशि 3742.86 लाख रुपये शामिल है) की मांग की है। कंपनी ने जीएसटी विभाग की मांग का विरोध करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है, जो वहां लंबित है।

**9.2** जीएसटी विभाग ने अपने दिनांक 30.12.2023 के आदेश के माध्यम से पैन टर्नओवर और जीएसटी टर्नओवर में अंतर के कारण 827.81 लाख रुपये (जिसमें 752.55 लाख रुपये की जीएसटी और 10% जुर्माना राशि 75.26 लाख रुपये शामिल है) की मांग की है। कंपनी ने जीएसटी विभाग की मांग का विरोध करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है, जो वहां लंबित है।

**9.3** जीएसटी विभाग ने अपने दिनांक 08.08.2024 के आदेश के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत लाभ के कारण 1.76 लाख रुपये की मांग की है (जिसमें 0.83 लाख रुपये की जीएसटी राशि, 0.73 लाख रुपये का ब्याज और 0.20 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है)। कंपनी ने जीएसटी विभाग की मांग का विरोध करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है, जो अभी लंबित है।

**10.** ईपीएफओ ने 2015-16 से 2021-22 की अवधि के लिए ईपीएफओ द्वारा समय-समय पर अधिसूचित निवेश पैटर्न के विचलन के लिए 175.33 लाख रुपये (सिंदरी के लिए 131.82 लाख रुपये और रामागुंडम के लिए 43.51 लाख रुपये का अधिभार लगाया है), जिस पर कंपनी ने आपत्ति जताई है।

2022-23 के दौरान, ईपीएफओ ने 16.01.2023 को सिंदरी स्थित बैंक खाते को जब्त कर लिया, जिसमें 84.29 लाख रुपये का बैंक बैलेंस था, जिसके खिलाफ ईपीएफओ में अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील की गई है। अपीलीय प्राधिकारी ने कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया है और अब एफसीआईएल ने यह मामला माननीय रांची उच्च न्यायालय में उठाया है। हालाँकि कंपनी को केस जीतने का भरोसा है, लेकिन एहतियात के तौर पर 2023-24 के दौरान 175.33 लाख रुपये की राशि को व्यय के रूप में दर्ज किया गया है।

**11.** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 21.03.1997 के आदेश के अनुसार, शिक्षा उपकर और स्वास्थ्य उपकर के रूप में बिहार सरकार के पास 30 लाख रुपये जमा किए गए थे, जिन्हें 2023-24 के दौरान व्यय के

रूप में लिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन और संविधान पीठ के समक्ष मामले के लंबित होने के कारण, यदि कोई अतिरिक्त देयता है, तो वह इस स्तर पर निर्धारित नहीं है, इसलिए पुस्तकों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

**(छ) वित्तीय अनुपात**

| क्रम संख्या | अनुपात | मीटर (अंश) | भाजक | 31.03.2025 | 31.03.2024 | भिन्नता | कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क . | चालू अनुपात | वर्तमान परिसंपत्तियाँ | वर्तमान देनदारियाँ | 44.23 | 53.76 | (17.73)% | उच्च प्रावधानों के प्रति वर्तमान देनदारियों में वृद्धि के कारण |
| ख . | ऋण इक्विटी | कुल ऋण | शेयरधारक इक्विटी | उपलब्ध नहीं है। | उपलब्ध नहीं है। | उपलब्ध नहीं है। | |
| ग. | ऋण सेवा कवरेज | ब्याज, बकाया और करों से पहले की आय | ब्याज और मुख्य भुगतान | उपलब्ध नहीं है। | उपलब्ध नहीं है। | उपलब्ध नहीं है। | |
| घ . | इक्विटी पर प्रतिफल | कर पश्चात लाभ | औसत शेयरधारक इक्विटी | (0.05) | 0.05 | | व्यय के उच्च प्रावधानों के कारण |
| ङ . | मालसूची कारोबार | सी.ओ.जी.एस | औसत मालसूची | उपलब्ध नहीं है। | उपलब्ध नहीं है। | उपलब्ध नहीं है। | |
| च. | व्यापार प्राप्य | शुद्ध क्रेडिट बिक्री | औसत व्यापार प्राप्य | उपलब्ध नहीं है। | उपलब्ध नहीं है। | उपलब्ध नहीं है। | |
| छ. | व्यापार देय | शुद्ध क्रेडिट खरीद | औसत व्यापार देय | उपलब्ध नहीं है। | उपलब्ध नहीं है। | उपलब्ध नहीं है। | |
| ज. | शुद्ध पूंजी कारोबार | कुल बिक्री | औसत कार्यशील पूंजी | उपलब्ध नहीं है। | उपलब्ध नहीं है। | उपलब्ध नहीं है। | |
| झ. | शुद्ध लाभ | शुद्ध लाभ | कुल बिक्री | उपलब्ध नहीं है। | उपलब्ध नहीं है। | उपलब्ध नहीं है। | |
| ञ. | नियोजित पूंजी पर रिटर्न | ब्याज और करों से पहले आय | कुल पूंजी नियोजित | (0.03) | 0.09 | | व्यय के उच्च प्रावधानों के कारण |
| ट. | निवेश पर प्रतिफल | शुद्ध लाभ | निवेश की लागत | (0.05) | 0.05 | | व्यय के उच्च प्रावधानों के कारण |

**(ii) विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ**

वर्तमान और पिछली रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी के पास विकासाधीन कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है।

**(iii) धारित बेनामी संपत्ति का विवरण**

कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है और इसलिए बेनामी लेनदेन अधिनियम (निषेध), 1988 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के विरुद्ध कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है, इसलिए कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।

**(iv) चालू संपत्तियों के विरुद्ध सुरक्षित उधार**

वित्तीय विवरणों की तिथि तक कंपनी के पास चालू संपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं है; इसलिए इस प्रकार का कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।

**(v) जानबूझकर चूककर्ता**

कंपनी को किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान/न्यायालय द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

**(vi) रद्द की गई कंपनियों के साथ संबंध**

कंपनी का ऐसी कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं है जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत रद्द किया गया हो, इसलिए इस संबंध में कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।

**(vii) कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास प्रभारों या संतुष्टि का पंजीकरण**

जिन कंपनियों का पंजीकरण अभी बाकी है या जिनका पंजीकरण अभी बाकी है, उनके विरुद्ध वैधानिक अवधि के बाद कोई प्रभार नहीं है, इसलिए किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

**(viii) कंपनियों की परतों की संख्या का अनुपालन**

कंपनी का किसी भी डाउनस्ट्रीम कंपनी में निवेश नहीं है जिसके लिए उसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (87) और कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन करना हो, इसलिए किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

**(ix) उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम का उपयोग**

**क.** कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं), जिसमें विदेशी संस्थाएँ (मध्यस्थ) भी शामिल हैं, को न तो अग्रिम, न ही ऋण दिया है और न ही निवेश किया है, इस सहमति के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या न हो) कि मध्यस्थ:

**(क)** . कंपनी या (व्यक्तियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्ति (अंतिम लाभार्थी) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा को (संस्थाओं) संस्था, या अंतिम लाभार्थियों को या उनकी (ख) ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करेगा। इसलिए इस प्रकार के किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

**(ख).** कंपनी ने किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों या संस्था/संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएँ (निधिकरण पक्ष) भी शामिल हैं, इस समझ के साथ कोई निधि प्राप्त नहीं की है (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कि कंपनी:

**(क)** निधिकरण पक्ष द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए किसी अन्य (अंतिम लाभार्थी) संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या निवेश करेगी।/संस्था/संस्था/व्यक्तियों या संस्था/व्यक्ति

**(ख)** अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा आदि प्रदान करेगी। इसलिए किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

**(x) अघोषित आय**

कंपनी के पास ऐसी कोई अघोषित आय नहीं है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न की गई हो और जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण, जैसे कि तलाशी या सर्वेक्षण या किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो। साथ ही, कंपनी के पास पहले से अलिखित आय और
संपत्तियाँ नहीं हैं जिन्हें वर्ष के दौरान लेखा पुस्तकों में उचित रूप से दर्ज किया जाना आवश्यक था।

**(xi) क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण**

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में न तो व्यापार किया है और न ही निवेश किया है, इसलिए इसके लिए प्रकटीकरण आवश्यकताएँ लागू नहीं होती हैं।

**(ज). संबंधित पक्ष प्रकटीकरण**

**(i) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमती नीरजा आदिदम,<br>(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) | 20.01.2022 to 09.09.2024 |
| 2. | श्रीमती अनीता सी. मेश्राम<br>(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) | 08.11.2024 से आज तक |
| 3. | श्री पदमसिंग पी. पाटिल<br>निदेशक (वित्त) | 26.9.2022 to 03.04.2024 |
| 4. | श्री नरेश आर्य<br>निदेशक (वित्त) | 30.04.2024 से आज तक |
| 5. | श्रीमती गीता मिश्रा<br>(सरकार द्वारा नामित निदेशक) | 29.09.2021 से 31.08.2024 |
| 6. | श्री जोहान टोपनो | 20-04-2020 से 30.09.2024 |

| | | |
|---|---|---|
| | (सरकार द्वारा नामित निदेशक) | |
| 7. | श्री एचचिंजासन .<br>(सरकार द्वारा नामित निदेशक) | 01.11.2024 से आज तक |
| 8. | श्री मोहन लाल मीणा<br>(सरकार द्वारा नामित निदेशक) | 01.11.2024 से आज तक |

**(ii) <u>संयुक्त उद्यम कंपनी जहां एफसीआईएल की इक्विटी हिस्सेदारी है</u>**

1) रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल)

2) तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल)

3) हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल)

**(iii) संबंधित पार्टी लेनदेन**

संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण निम्नलिखित है-

| संबंधित पक्ष का नाम | राशि (में .रु) | लेनदेन की प्रकृति- |
|---|---|---|
| रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) | 1<br><br>1 | 1. एफसीआईएल द्वारा आरएफसीएल को लीज रेंट के रूप में 1 रुपये का बिल भेजा गया है।<br>2. आरएफसीएल द्वारा एफसीआईएल को किराये के बकाया के रूप में 1 रुपये का बिल भेजा गया है। |
| हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) | 5,95,108<br><br><br><br><br><br>48,52,050<br><br>1,18,000<br><br>12,91,296<br><br>1,18,000 | 1. एफसीआईएल द्वारा वहन किए गए 6,50,516 रुपये के रखरखाव शुल्क को समायोजित करने के बाद पट्टेदारों से वसूले गए 12,45,624 रुपये के जल शुल्क के लिए एचयूआरएल को दिए गए (सिंदरी)5,95,108 रुपये का क्रेडिट नोट।<br>2. क्वार्टरों के किराये के बकाया के लिए एफसीआईएल द्वारा एचयूआरएल पर बिल की गई राशि। (सिंदरी)<br>3. लीज रेंट के लिए एफसीआईएल द्वारा एचयूआरएल पर बिल की गई राशि। (सिंदरी)<br>4. किराये के बकाया के लिए एफसीआईएल द्वारा एचयूआरएल पर बिल की गई राशि। (गोरखपुर)<br>5. लीज रेंट के लिए एफसीआईएल द्वारा एचयूआरएल पर (गोरखपुर) बिल की गई राशि। |
| तालचर उर्वरक लिमिटेड (टीएफएल) | 36,58,473<br><br>6,10,043 | 1. भूमि राजस्व के खिलाफ टीएफएल पर एफसीआईएल की राशि<br>2. टीएफएल पर एफसीआईएल द्वारा ली गई राशि |

**(झ). खंड रिपोर्टिंग**

वर्ष के दौरान या पिछले वर्ष में कंपनी द्वारा किसी भी विनिर्माण कार्य के अभाव में, रिपोर्ट करने के लिए कोई अलग खंड नहीं है।

**(ञ). आयकर**

कंपनी की सभी इकाइयों में उत्पादन गतिविधियों के न होने के कारण, शुद्ध आस्थगित कर परिसंपतियों के समायोजन की कोई निश्चितता नहीं होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित आयकर पर आईएनडीएएस- 12 के प्रावधानों के अनुसार शुद्ध आस्थगित कर के संबंध में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

**(ट). प्रति शेयर आय**

प्रति शेयर मूल आय की गणना कर पश्चात शुद्ध लाभ को उस अवधि के लिए बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके निम्नानुसार की गई है-:

| | 2024-25 | 2023-24 |
|---|---|---|
| इक्विटी शेयरधारक को वर्ष के लिए शुद्ध लाभ - (लाख रुपये में( | (3518.32) | 3784.86 |
| शेयरों की संख्या | 75,09,239 | 75,09,239 |
| प्रति शेयर अंकित मूल्य (में .रु) | 1000.00 | 1000.00 |
| प्रति शेयर आय:<br>मूल :(रुपये में) | (46.85) | 50.40 |
| द्रवीय :(रुपये में) | (46.85) | 50.40 |

**(ठ). अतिरिक्त जानकारी**

| | **31.3.2025** तक | **31.3.2024** तक |
|---|---|---|
| सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य | शून्य | शून्य |
| विदेशी मुद्रा में व्यय | शून्य | शून्य |
| कच्चे माल की खपत | शून्य | शून्य |
| भंडार और पुर्जों की खपत | शून्य | शून्य |

**(इ).** कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी द्वारा एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया गया है। (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 74.89 लाख रुपये खर्च करने थे, जिसका भुगतान 06.03.2025 को प्रधानमंत्री राहत कोष में किया गया, इसलिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई भी राशि अप्रयुक्त नहीं रहेगी।

वर्ष भर निधियों का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित गतिविधियों पर किया गया, जो अधिनियम की अनुसूची **VII में निर्दिष्ट हैं-:**

| **क्रम संख्या** | **विवरण** | **पहले से खर्च की गई राशि** | **खर्च की गई राशि** | **कुल** |
|---|---|---|---|---|
| (i) | किसी भी संपत्ति का निर्माणअधिग्रहण/ | - | - | |
| (ii) | उपरोक्त )i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर | 74.89 | - | 74.89 |

**(ढ)आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं .**

| **विवरण** | **31 मार्च 2025 तक** | **31 मार्च 2024 तक** |
|---|---|---|
| **आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धताएँ**<br><br>**(उस सीमा तक जहाँ तक प्रावधान नहीं किया गया है)** | | |
| **(I) आकस्मिक देनदारियाँ** | | |

| | | |
|---|---|---|
| कंपनी के विरुद्ध दावे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए।<br><br>अपील के अंतर्गत विवादित कर मामले, जिनमें संभावित ब्याज शामिल है। | | |
| बिक्री कर की माँग | 2,434.71 | 2,434.71 |
| संपत्ति कर की माँग | 16.64 | 16.64 |
| वस्तु एवं सेवा कर की माँग | 8315.29 | |
| न्यायालय का निर्णय लंबित मध्यस्थता के अधीन / | 692.12 | 697.39 |
| आयकर माँग वर्ष 18-19* | | 9,747.65 |
| आयकर मांग, मूल्यांकन वर्ष 22-23** | | 644.21 |
| विदेशी तकनीशियनों की आयकर माँग*** | 19.14 | 19.14 |
| **कुल आकस्मिक देनदारियाँ** | **11,477.90** | **13,559.74** |
| **(II) प्रतिबद्धताएँ**<br><br>**(i) मेसर्स डेलॉइट टच तोहमात्सु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** | **25.45** | **25.45** |
| **(ii) मेसर्स एन.बी.सी.सी.** | **2,142.69** | **4,356.02** |
| **कुल आकस्मिक देनदारियाँ** | **13,646.04** | **17,941.21** |

* माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी, हालाँकि वर्ष के दौरान आयकर विभाग की माँग के अनुसार पुस्तकों में 7500.91 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।

** सीआईटी में अपील दायर की गई थी (अपील), हालाँकि वर्ष के दौरान आयकर विभाग की माँग के अनुसार पुस्तकों में 644.21 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।

*** तालचेर इकाई शुल्क देय है जो विवादित है।

**(ण).** पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक रूप से समझा गया हो, पुनः समूहीकृत/पुनर्निर्मित किया गया है ताकि उन्हें वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाया जा सके

*******